वार्षिक रिपोर्ट
1994-95

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट
1994-95

NIEPA DC

D09607

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9607
Date 05-09-97

विषय-सूची

अध्याय-I

पृष्ठ सं.

प्रस्तावना

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तथा संगठन 1
1.2 वित्त 2
1.3 वर्ष के दौरान मुख्य कार्य 5

अध्याय-II

शिक्षा प्रणाली - संस्थाओं, नामांकनों तथा संकायों की संख्या में वृद्धि

2.1 छात्र नामांकन 10
2.2 संस्थाएं 12
2.3 स्टाफ की संख्या 13

अध्याय-III

स्तरों का अनुरक्षण और समन्वय

3.1 अकादमिक स्टाफ कालेज 20
3.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप) 21
3.3 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आधार-संरचना को सुदृढ़ बनाना (कोसिस्ट) 23
3.4 प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनःसंरचना 24
3.5 विषय नामिकाएँ 24
3.6 देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम 24
3.7 गैर-प्रसारणीय वीडियो व्याख्यान 26
3.8 विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्र (यूसिक) 26
3.9 प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण 26
3.10 परीक्षा सुधार 28
3.11 पर्यावरण शिक्षा 28

अध्याय–IV

विश्वविद्यालयों को योजनागत और योजनेतर वित्तीय सहायता

4.1	वि॰अ॰आ॰ द्वारा सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालय	30
4.2	राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान	30
4.3	केंद्रीय विश्वविद्यालय	30
4.4	समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	32
4.5	वर्ष के दौरान समविश्वविद्यालय संस्थाओं की मुख्य उपलब्धियाँ	34
4.6	राज्य विश्वविद्यालय	41

अध्याय–V

कालेजों को योजनागत तथा योजनेतर वित्तीय सहायता

5.1	वित्तीय सहायता के लिए वि॰अ॰आ॰ द्वारा मान्यता प्राप्त कालेज	43
5.2	कालेजों के लिए माडल मार्गनिर्देश	43
5.3	कालेजों को योजनागत अनुदान	44
5.4	स्वायत्त कालेज	45
5.5	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कालेजों को योजनागत/योजनेतर सहायता	46
5.6	शताब्दी समारोह अनुदान	46

अध्याय–VI

नवीन और अंत:विद्याशाखा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा अध्ययन

6.1	अतिचालकता कार्यक्रम	47
6.2	वायुमंडलीय विज्ञान	48
6.3	नवीन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम	48
6.4	यू.जी.सी. कम्प्यूटरीकरण	49
6.5	क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम	50

अध्याय–VII

अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र तथा सूचना केंद्र

7.1	नाभिकीय विज्ञान केंद्र	53
7.2	खगोल-विज्ञान तथा खगोल-भौतिकी के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र, पुणे (आई यू सी ए ए)	54
7.3	क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, बंगलौर	54
7.4	परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) सुविधाओं के लिए अंतर्विश्वविद्यालय संकाय	57
7.5	क्रिस्टल संवृद्धि केंद्र, मद्रास	58
7.6	सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क कार्यक्रम (इन्फिलिब्नेट)	58
7.7	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र, शिमला	59
7.8	पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, बंबई	60
7.9	शैक्षिक संचार संकाय, दिल्ली	60

अध्याय–VIII

भारतीय संस्कृति, विरासत और मूल्यों का संवर्धन तथा परिरक्षण

8.1	गांधी अध्ययन	63
8.2	बौद्ध अध्ययन	63
8.3	नेहरू अध्ययन	64
8.4	क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र (भंजा साहित्य)	64
8.5	मणिपुरी अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र तथा जनजातीय अध्ययन केंद्र	64
8.6	मूल्यपरक शिक्षा	64
8.7	व्यावहारिक हिंदी पाठ्यक्रम	65

अध्याय–IX

तकनीकी, इंजीनियरी, प्रबंध तथा कम्प्यूटर शिक्षा का विकास

9.1	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा	66
9.2	विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधाओं और कम्प्यूटर शिक्षा का विकास	66
9.3	कालेजों में कम्प्यूटर सुविधाएं	67
9.4	कालेज शिक्षकों का प्रशिक्षण	69
9.5	स्नातकोत्तर स्तर पर कम्प्यूटर अनुप्रयोग	69
9.6	प्रबंध अध्ययनों का विकास	69

अध्याय–X

अनौपचारिक शिक्षा

10.1	प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा	70
10.2	जनसंख्या शिक्षा	71
10.3	'एड्स' नियंत्रण के लिए कार्ययोजना	72
10.4	दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार पाठ्यक्रम	73
10.5	आयोजना मंच	73

अध्याय–XI

शिक्षण और अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास

11.1	संगोष्ठियां, परिचर्चाएं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं आदि	74
11.2	अंग्रेजी भाषा के शिक्षण को सुदृढ़ बनाना	74
11.3	राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	74
11.4	अभ्यागत एसोशिएटशिप	75
11.5	अतिथि/अंशकालिक शिक्षक	75
11.6	अभ्यागत प्रोफेसर/अध्येता	75
11.7	शिक्षक अध्येतावृत्ति	76
11.8	अनुसंधान वैज्ञानिकवृत्ति	76

11.9	विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों में शिक्षकों के लिए लघु एवं बृहत् अनुसंधान परियोजनाएं	77
11.10	भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की रचना	78
11.11	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान	79
11.12	वृत्तिक अवार्ड	79
11.13	इमेरिटस अध्येतावृत्ति	79
11.14	अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा	80
11.15	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान अध्येतावृत्तियां	81
11.16	अनुसंधान एसोशिएटशिप	82
11.17	विकासशील देशों के छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति/अनुसंधान एसोशिएटशिप	83
11.18	हरीओम आश्रम न्यास अवार्ड तथा स्वामी प्रणवानंद सरस्वती अवार्ड	83

अध्याय–XII

शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूदों का संवर्धन

12.1	शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	84
12.2	विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलकूद के लिए आधार-संरचना तैयार करना	84
12.3	साहसिक खेलों को बढ़ावा देना	85
12.4	विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा एवं अभ्यास के संवर्धन के लिए योजना	85

अध्याय–XIII

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुविधाएं

13.1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुविधाएं देने वाले कालेजों को सहायता और विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में विशेष सेलों की स्थापना	86
13.2	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण	88
13.3	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उपचारी अनुशिक्षण	88

अध्याय–XIV

महिलाओं के लिए सुविधाएं

14.1	उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि	90
14.2	महिलाओं के नामांकन का राज्यवार, स्तरवार तथा संकायवार वितरण	90
14.3	महिला कालेज	93
14.4	विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययनों का संवर्धन	93
14.5	महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिप	94

अध्याय–XV

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

15.1	द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम	97
15.2	शिष्टमंडल	97
15.3	अध्येतावृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां	98
15.4	ऐसे शिक्षकों को यात्रा अनुदान जिन्हें विदेश में उनके अनुरक्षण के लिए अध्येतावृत्तियां/वजीफे देने का प्रस्ताव है	98
15.5	भारत–अमरीका अध्येतावृत्ति कार्यक्रम	99
15.6	फ्रांस के साथ सी एस आई आर – सी एन आर एस विनिमय कार्यक्रम	99
15.7	शैक्षिक संपर्क अंतर्विनिमय योजना (ए एल आई एस)	99
15.8	सार्क पीठें/अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां	99
15.9	सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी टी पी)	100
15.10	राष्ट्रमंडलीय शैक्षिक स्टाफ अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां	101
15.11	कनाडियन अध्ययनों का विकास	101
15.12	भारत और यू.एस.ए. के बीच सहयोगी अनुसंधान	101

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(1994-95)

अध्यक्ष

1. डॉ॰ (कु॰) आर्मेती एस. देसाई*

उपाध्यक्ष

2. प्रोफेसर एन. सी. माथुर**

सदस्य

3. श्री एस. वी. गिरि
4. श्री के. वेंकटेसन
5. डॉ॰ बिपन चंद्र
6. प्रोफेसर प्रणब कुमार सेन
7. प्रोफेसर ए. एस. निगवेकर
8. प्रोफेसर डी. आर. गडेकर
9. प्रोफेसर बशीरुद्दीन अहमद
10. प्रोफेसर डी.पी. सिंह
11. प्रोफेसर (श्रीमती) केर्मा लिंग्डोह
12. प्रोफेसर के.पी. सिंह

सचिव

श्री इन्द्रजीत खन्ना

---

* प्रोफेसर जी. राम रेड्डी के स्थान पर 9 फरवरी, 1995 से

** 16 अगस्त, 1994 से

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तथा संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक संगठन है । इसकी स्थापना संसद् के एक अधिनियम द्वारा सन् 1956 में की गई थी । चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा के समन्वय और स्तरों के निर्धारण एवं अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय निकायों में से एक है, अतः यह केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है । अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को सलाह भी देता है । इसके अतिरिक्त, आयोग विषय-विशेषज्ञों और विद्याविदों की सलाह से विनियम भी बनाता है यथा - शिक्षा के न्यूनतम स्तर, शिक्षकों की अर्हताएं आदि । आयोग ऐसे विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों के साथ कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका मूल्यांकन एवं परिवीक्षण करने में सतत रूप से अन्योन्यक्रिया करता रहता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 में यह उपबंध दिया गया है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से ऐसे सभी कदम उठाएगा जिन्हें वह विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों के अनुरक्षण के लिए उपयुक्त समझता है । उच्च शिक्षा क्षेत्रक में उत्कृष्टता के संवर्धनार्थ तथा स्तरों को बढ़ावा देने के लिए पहल कार्य शुरू किए गए हैं और योजनाएं तथा कार्यक्रम अमल में लाए जा रहे हैं ।

आयोग के 10 सदस्य और एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष है । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्तियां पूर्णकालिक हैं । अन्य 10 सदस्यों में से दो सदस्य केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और चार विश्वविद्यालय शिक्षकों का । शेष चार सदस्यों की नियुक्ति कुलपतियों, विद्याविदों तथा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों में से की जाती है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यकारी प्रमुख सचिव होता है । वह आयोग के सचिवालय का प्रधान होता है जिसमें 90 से भी अधिक अधिकारी हैं तथा अन्य सहायक स्टाफ की संख्या लगभग 750 है । कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका मूल्यांकन एवं परिवीक्षण करने में वि.अ.आ. की सहायता के लिए विश्वविद्यालयों, कालेजों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थाओं के विषय-विशेषज्ञ होते हैं ।

आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने लेखापरीक्षा महानिदेशक की सिफारिश पर एक आंतरिक लेखापरीक्षा एकक की स्थापना भी की जिसका उद्देश्य बेहतर रखरखाव तथा सुस्पष्टता की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखाओं का निरीक्षण करना है ।

1.2 वित्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अपनी कोई निधि नहीं है । आयोग विधि द्वारा सौंपे गए अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय सरकार से योजनेतर तथा योजनागत अनुदान प्राप्त करता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम द्वारा आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, दिल्ली तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेजों और कुछ ऐसी संस्थाओं को जिन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है, पूरा अनुरक्षण एवं विकास अनुदान आबंटित तथा संवितरित कर सकता है । राज्य विश्व-विद्यालयों, कालेजों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं को विकास योजनाओं के लिए योजनागत अनुदान से सहायता प्राप्त होती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे अनेक कार्यक्रम संचालित करता है जिनके अंतर्गत वृत्तिक उन्नति तथा अनुसंधान जैसे कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध की जा सकती है ।

गत दो दशकों की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध कराए गए योजनागत तथा योजनेतर संसाधनों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

सारणी 1.1
संसाधन (रु० करोड़ में)

	पांचवीं योजना	छठी योजना	सातवीं योजना	आठवीं योजना
योजनागत	216	233	575	612
योजनेतर	207	388	845	968*
जोड़	**423**	621	1420	

* 31 मार्च 1995 तक

योजनागत अनुदान का उपयोग नए भवनों के निर्माण, प्रयोगशालाओं के लिए उपस्करों की खरीद जैसी भौतिक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार तथा पुस्तकालय-सुविधाओं के विस्तार के लिए और शैक्षिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुविधाओं के लिए किया जाता है । रु० 612 करोड़ का जो परिव्यय निर्धारित किया गया है वह 7वीं योजना के परिव्यय से लगभग 6.5 प्रतिशत अधिक है । योजनेतर अनुदान के लिए वर्ष 1994-95 के बजट में वार्षिक आबंटन रु० 343.18 करोड़ था जो वर्ष 1993-94 के संशोधित प्राक्कलनों (रु० 336.50 करोड़) से मामूली अधिक है । राज्य विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदानों का 41 प्रतिशत और राज्य विश्वविद्यालयों के कालेजों को 20.5 प्रतिशत अंश प्रदान किया जाता है । इस प्रकार, यह राशि कुल योजनागत अनुदानों की 61.5 प्रतिशत है ।

योजनेतर अनुदान का उपयोग मुख्यतः केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 12 समविश्वविद्यालय संस्थाओं, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 55 और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध 4 कालेजों के अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय क्षेत्रक में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, प्रबंधन एवं कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए अलग से विकास अनुदान प्राप्त होते हैं । गत लगभग दस वर्षों के दौरान अनुसंधान अध्येतावृत्तियों, स्वायत्त कालेजों, शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अकादमिक स्टाफ कालेजों, अंतर्विश्वविद्यालय केंद्रों के रूप में सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, नवीन क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों तथा उच्च अनुसंधान हेतु विशेष सहायता कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में पर्याप्त वृद्धि हुई है । उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों और संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या और इसके परिणामस्वरूप सभी प्रकार की आवश्यकताओं में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधन विशेषकर उसके योजनागत आबंटन, विकास संवर्धन तथा स्तर सुधार के लिए अपेक्षित धन-राशि की तुलना में कम पड़ते हैं ।

वर्ष 1994-95 के दौरान प्राप्त योजनागत तथा योजनेतर अनुदानों तथा विभिन्न संस्थाओं और कार्यकलापों के लिए आबंटित की गई राशि का ब्योरा निम्नलिखित तीन सारणियों में दिया गया है :-

सारणी 1.2
वर्ष 1994-95 के दौरान प्राप्त अनुदान
(रु० करोड़ में)

		योजनागत	योजनेतर
1.	सहायता अनुदान	234.20	345.59
2.	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी	22.70	
3.	अन्य	1.00	
	जोड़	**257.90**	**345.59**

सारणी 1.3
वर्ष 1994-95 के दौरान जारी किए गए योजनेतर अनुदान

	संस्थाओं का प्रकार	रू० करोड़ में	कुल योजनेतर अनुदान का प्रतिशत
1.	निम्नलिखित का अनुरक्षण :		
	(क) केंद्रीय विश्वविद्यालय	222.93	64.07
	(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कालेज	80.92	23.26
	(ग) समविश्वविद्यालय संस्थाएं	21.69	6.23
2.	शिक्षक पुरस्कार, अनुसंधान अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, आदि	7.99	2.30
3.	अंतर-विश्वविद्यालय संस्थाएं	3.25	0.93
4.	राज्य विश्वविद्यालय	2.11	0.61
5.	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए विशिष्ट अनुदान	1.05	0.30
6.	विश्वविद्यालयेतर संस्थाएं	0.42	0.12
7.	वि.अ.आ. का स्थापना व्यय	7.60	2.18
	जोड़ (योजनेतर)	**347.96***	**100.00**

* जारी किए गए अनुदानों की राशि प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक है जैसा कि सारणी 1.2 में दिखाया गया है । इसका कारण आरंभिक बकाया राशि से निधियों का उपयोग किया जाना, योजनेतर अनुदान पर ब्याज और पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि की वापसी है ।

सारणी 1.4
वर्ष 1994-95* के दौरान जारी किए गए योजनागत अनुदान

	संस्थाओं का प्रकार	रू० करोड़ में	कुल योजनागत अनुदान का प्रतिशत
1.	राज्य विश्वविद्यालय*	84.37*	41.62
2.	राज्य विश्वविद्यालयों के कालेज	48.10	23.73
3.	केंद्रीय विश्वविद्यालय	38.80	19.14
4.	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र	18.02	8.89
5.	समविश्वविद्यालय संस्थाएं	6.81	3.36
6.	विविध	3.87	1.91
7.	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कालेज	2.73	1.35
	जोड़ (योजनागत)	**202.70**	**100.00**

* इसमें खेलकूद तथा इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी जैसी अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदत्त अनुदान शामिल नहीं है ।

1.3 वर्ष के दौरान मुख्य कार्य

(i) शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए नियुक्त की गई समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो० आर०पी० रस्तोगी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों एवं कालिजों के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करना था । मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप से तैयार किया गया इस समिति का विचारार्थ विषय इस प्रकार है :-

(क) विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों तथा विश्वविद्यालय के कुल सचिवों के लिए वेतनमान संशोधन योजना के अंतर्गत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा कार्रवाई के दौरान इस संबंध में मूल्यांकन करना कि अर्हताओं, सेवा शर्तों और वेतनमानों से संबंधित पूर्व सिफारिशों को किस सीमा तक अमल में लाया गया है ।

(ख) विश्वविद्यालय और कालेज के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों तथा विश्वविद्यालय के कुल सचिवों की परिलब्धियों के वर्तमान ढांचे की जांच करना और उनको उपलब्ध कराये गए कुल हितलाभों (यथा - अधिवर्षिता हितलाभ, चिकित्सा एवं आवास सुविधाएं) पर विचार करना ।

(ग) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता, शिक्षण व्यवसाय के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने और उसमें उनको रखने तथा उपर्युक्त वर्ग के व्यक्तियों के लिए उन्नति के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त विषय पर सिफारिशें करना ।

समिति विचारार्थ विषय के संबंध में आवश्यक अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत कर सकती है लेकिन उसको अपनी अंतिम सिफारिशें भारत सरकार के 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर करनी चाहिए ताकि दोनों में तालमेल बना रहे ।

(ii) **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का अनुसरण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छह क्षेत्रीय कार्यालय खोले और इस प्रकार अपने कार्यकरण का विकेंद्रीकरण किया । ये क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित राज्यों के लिए हैं :-

(i) पूर्वी क्षेत्र	:	**कलकत्ता** पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिकिक्म ।
(ii) उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	:	**गोवाहाटी** असम, मणिपुर तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्य ।
(iii) उत्तरी क्षेत्र	:	**गाजियाबाद** जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरयाणा और उत्तर प्रदेश ।
(iv) केंद्रीय क्षेत्र	:	**भोपाल** मध्य प्रदेश और राजस्थान ।
(v) पश्चिमी क्षेत्र	:	**पूना** महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात ।
(vi) दक्षिणी क्षेत्र	:	**हैदराबाद** केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक ।

क्षेत्रीय केंद्र केवल कालेजों से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं पर कार्रवाई करेंगे । शुरू में क्षेत्रीय केंद्रों में 8वीं योजना के दौरान कालेजों से संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रमों और योजनाओं पर कार्रवाई की जाएगी :-

1. कालेजों का विकास (पूर्वस्नातक/स्नातकोत्तर) ।
2. कालेज विकास परिषद् ।
3. 'कोसिप' और 'कोहस्सिप' ।
4. लघु अनुसंधान परियोजनाएं ।
5. स्वायत्त कालेज (किसी कालेज को स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय दिल्लीस्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यालय में लिया जाएगा लेकिन अन्य सभी मामलों यथा - अनुदानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी) ।
6. कालेजों के लिए संगोष्ठियां/परिचर्चाएं ।

उपर्युक्त छह क्षेत्रीय कार्यालयों में से केंद्रीय, उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों ने आलोच्य वर्ष के दौरान कार्य करना शुरू कर दिया था । इन कार्यालयों की स्थापना से यह आशा की जाती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(एफ) तथा 12(बी) के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण देश के अनेक कालेजों को अपनी जरूरतें पूरी करने तथा समस्याओं का समाधान करने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे ।

(iii) संसाधन जुटाना

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 1994-95 में यह प्रावधान किया गया कि जो कर-निर्धारिती विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा डी आर डी ओ के तत्वावधान में विज्ञानप्रयोगशालाओं, इलैक्ट्रानिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए अंशदान करेगा, उसे अंशदान पर 125 प्रतिशत की भारित कटौती दी जाएगी । । गत वर्ष भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों द्वारा दान से सृजित निधियों पर 100 प्रतिशत करछूट प्रदान की थी । संसाधन जुटाने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संचित निधि (कार्पस फंड) में रखे जाने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा जुटाए गए संसाधनों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएगा । इन पर उपार्जित ब्याज का उपयोग प्रतिवर्ष विकास कार्यों के लिए किया जाएगा ।

(iv) राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् (एन ए ए सी)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना, 1986 का संशोधन 1992 में किया गया । उसमें यह उल्लेख किया गया कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करने के लिए एक क्रियाप्रणाली स्थापित करेगा । इस सिफारिश पर अमल करने के लिए 9 क्षेत्रीय संगोष्ठियों तथा अंततः एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में विचार-विमर्श करने के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12 (सी सी सी) के अंतर्गत अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् की स्थापना की है जिसका मुख्यालय बंगलौर में है ।

राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् की स्थापना कर्नाटक पंजीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 16.09.1994 को की गई थी । राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

1. उच्च शिक्षा संस्थाओं तथा उनके कार्यक्रमों की ग्रेडिंग करना,
2. संस्थाओं में शैक्षिक वातावरण और शिक्षण तथा अनुसंधान की गुणवत्ता को संवर्धित करना,
3. शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में संस्थाओं की सहायता करना,
4. उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करने वाली संस्थाओं के सभी पक्षों में आवश्यक परिवर्तनों, नवाचारों तथा सुधारों को बढ़ावा देना, और
5. उच्च शिक्षा में नवाचारों, स्व-मूल्यांकन तथा उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना ।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् -

1. उच्च शिक्षा संस्थाओं या उनकी इकाइयों या विशिष्ट कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं का आवधिक मूल्यांकन तथा ग्रेडिंग करने की व्यवस्था कर सकती है,
2. संबंधित संस्था को उस रूप में और ढंग से मूल्यांकन और मूल्यांकन के परिणाम की सूचना दे सकती है जो संशोधक कार्रवाई, परिशोधन तथा स्व-सुधार के लिए उचित हो,
3. स्व-मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाएं, तकनीकें तथा रीतियां विकसित करने में संस्थाओं की सहायता कर सकती है और उनको प्रोत्साहित कर सकती है,
4. शैक्षिक संस्थाओं/कार्यक्रमों की आयोजना तथा मूल्यांकन में अनुसंधान संबंधी अध्ययन प्रारंभ करवा सकती है,

5. संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के अभिज्ञात लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकती है, और

6. मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के सुचारु रूप से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित कर सकती है ।

राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् उच्च शिक्षा के स्तरों के संवर्धन और अनुरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए एक साधन के रूप में कार्य करेगी ।

(v) कुलपति सम्मेलन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूना (पुणे) विश्वविद्यालय में 13 नवंबर, 1994 को कुलपतियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया । सम्मेलन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विषय-लेख – "मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् – प्रणाली तथा कार्यविधि" – पर चर्चा की गई । विषय-लेख में निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद् की भूमिका और कार्यों का उल्लेख किया गया । सम्मेलन ने बंगलौर में इस परिषद् को स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई पहल का स्वागत किया ।

० ० ० ० ०

अध्याय-II

शिक्षा प्रणाली
संस्थाओं, नामांकनों तथा संकायों की संख्या में वृद्धि

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अर्थात् 1947 में देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कालेज थे। उच्च शिक्षा तंत्र में छात्रों और शिक्षकों की संख्या भी बहुत कम थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनकी संख्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालयों की संख्याओं में दस गुना और कालेजों की संख्या में 12 गुना वृद्धि हुई है जबकि छात्र नामांकन में पच्चीस गुना वृद्धि हुई है।

2.1 छात्र नामांकन

मुख्य प्रेक्षण नीचे दिए जा रहे हैं :-

(क) गत बीस वर्षों के दौरान बृहत् स्तर पर छात्र नामांकन की प्रवृत्ति परिशिष्ट-II, चित्र 2.4 में दर्शाई गई है। लेकिन राज्य स्तर तथा संकाय से संबंधित छात्र नामांकन की प्रवृत्तियों का विवरण संक्षिप्त कर दिया गया है और उसे वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक पांच वर्ष की अवधि तक के लिए दिया गया है।

(ख) इस अवधि के दौरान छात्र नामांकन की वृद्धि सामान्य किंतु स्थिर रही। नामांकन की वृद्धि की मिश्रित दर प्रतिवर्ष 5.5 प्रतिशत थी।

(ग) लेकिन, उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत मिश्रित दर की तुलना में राज्य स्तर पर काफी अंतर रहा। गोवा की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत अधिकतम तथा केरल की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत निम्नतम रही। 14 राज्यों (दिल्ली सहित) में औसत वृद्धि दर अखिल भारतीय औसत दर 5.5 प्रतिशत से कम थी।

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान उच्च शिक्षा संस्थाओं में लगभग 61.14 लाख छात्रों का नामांकन किया गया।

स्तरवार नामांकन

(क) उच्च शिक्षा प्रणाली में बहुत भारी संख्या में छात्र पूर्वस्नातक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित होते हैं। इस स्तर पर कुल छात्रों में से लगभग 88 प्रतिशत छात्र कालेजों और विश्व-विद्यालयों में नामांकित हैं। मास्टर स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों का प्रतिशत 9.4 है

जबकि बहुत कम छात्र (1.1 प्रतिशत) उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार मात्र 1.3 प्रतिशत छात्र डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं (परिशिष्ट - IV)।

(ख) जैसा कि चित्र 2.5 में दर्शाया गया है, उच्च शिक्षा प्रणाली में अधिसंख्य छात्र संबद्ध कालेजों में नामांकित हैं। कुल पूर्वस्नातक छात्रों में से लगभग 88 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर छात्रों में से 56 प्रतिशत छात्र इन संबद्ध कालेजों में हैं और शेष छात्र विश्वविद्यालयों और उनके संघटक कालेजों में हैं। इसके विपरीत, एम.फिल या पीएच.डी. करने वाले 85 प्रतिशत अनुसंधान छात्र विश्वविद्यालयों में हैं। डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में भी, विश्वविद्यालय विभागों तथा कालेजों (दोनों को मिलाकर) की संख्या संबद्ध कालेजों से अधिक है। लेकिन, पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर के अधिसंख्य छात्र कालेजों में हैं जहां उच्च शिक्षा की नींव रखी जाती है। इसके दूरगामी नीति-निहितार्थ होने चाहिए।

(ग) यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि गत दो दशकों के दौरान छात्रों का स्तरवार वितरण वस्तुतः अपरिवर्तित रहा है।

संकायवार नामांकन

छात्रों का संकायवार विवरण चित्र 2.6 में दिया गया है।

(क) उच्च शिक्षा में दस छात्रों में से चार छात्र कला संकाय में हैं जो सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं जिनमें इतिहास और संस्कृति तथा भाषाएं शामिल हैं। दस छात्रों में से दो विज्ञान पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। वाणिज्य का अनुपात भी वही है जो विज्ञान का है।

(ख) दूसरी दृष्टि से देखें तो चित्र 2.6 से यह पता चलता है कि दस छात्रों में से तीन छात्र विज्ञान, इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान, कृषि तथा संबद्ध विद्याशाखाओं के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं।

(ग) वाणिज्य में छात्र नामांकन में सत्तर के दशक में वृद्धि होने लगी थी। प्रतीत होता है कि वाणिज्य में होने वाली वृद्धि कला तथा मानविकी के संकायों की कीमत पर हुई। इस परिवर्तन को छोड़ कर हाल के वर्षों में संकायवार नामांकन के इस पैटर्न में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

डाक्टरेट की डिग्रियां

डाक्टरेट की जो डिग्रियां प्रदान की गईं उनसे पता चलता है कि उनकी संख्या वर्ष 1991-92 में 8743 से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 9369 हो गई। वर्ष 1993-94 में प्रदत्त डाक्टरेट की डिग्रियों की कुल संख्या में से कला संकाय में प्रदत्त डिग्रियों की संख्या 3748 थी जो सर्वाधिक थी। दूसरा स्थान विज्ञान संकाय का था जिसमें 3505 डिग्रियां प्रदान की गईं।

2.2 संस्थाएं

(क) नामांकन में इतनी भारी वृद्धि उच्च शिक्षा संस्थाओं - विशेषकर कालेजों की संख्या में वृद्धि के बिना संभव नहीं थी (देखिए चित्र 2.7) । लेकिन, चित्र 2.7 में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे पता चलता है कि कालेजों की संख्या में वृद्धि की दर राज्यों में भिन्न-भिन्न थी । सापेक्ष रूप से कहा जाए तो चित्र 2.7 में उल्लिखित महाराष्ट्र में वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान कालेजों की वृद्धि दर सर्वाधिक रही । कर्नाटक (सं. 10) तथा आंध्र प्रदेश (सं.1) में भी वृद्धि दर उल्लेखनीय रूप से उच्च रही । मध्य स्तर पर असम (सं.3), बिहार (सं.4), गुजरात (सं.6), केरल (सं.11), मध्य प्रदेश (सं.12), उड़ीसा (सं.18) और तमिलनाडु (सं.22) आते हैं । कुछ छोटे राज्यों में कालेजों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जबकि दो बड़े राज्यों यथा उत्तर प्रदेश (सं.24) और पश्चिम बंगाल (सं.25) में कालेजों की वृद्धि दर कम रही है ।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान लगभग 296 नए कालेज स्थापित किए गए । इस प्रकार उनकी कुल संख्या बढ़कर 8613 हो गई ।

(ग) वर्ष 1994-95 में स्थापित किए गए नए कालेजों में से 231 कला, विज्ञान तथा वाणिज्य कालेज थे और 65 वृत्तिक कालेज थे ।

(घ) वर्ष 1994-95 के अंत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(एफ) के अधीन मान्यताप्राप्त कालेजों की कुल संख्या 4685 थी जबकि गत वर्ष यह संख्या 4570 थी ।

(ड.) गत वर्षों के दौरान कालेज की संख्या में वृद्धि मुख्यतः प्राइवेट सहायताप्राप्त संबद्ध कालेजों की संख्या में वृद्धि का परिणाम है । आज वर्तमान लगभग 75 से 80 प्रतिशत कालेज इसी श्रेणी में आते हैं ।

(च) वर्ष 1994-95 के अंत में 204 विश्वविद्यालय थे । आलोच्य वर्ष के दौरान स्थापित किए गए नए विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं :-

1. जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)
2. नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, नालंदा (बिहार)
3. नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा (नागालैंड)
4. एम.पी. भोज विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
5. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड (महाराष्ट्र)

सारणी 2.1
उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रकार

		1994-95
1.	केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय	164
2.	समविश्वविद्यालय	36
3.	राज्य विधान द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं	4
4.	कालेज	8613 *

* अनुमानित

2.3 स्टाफ की संख्या

(क) वर्ष 1994-95 में विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेजों में शिक्षण स्टाफ की कुल संख्या 3.01 लाख थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 2.91 लाख थी ।

(ख) संबद्ध कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के विभागों और कालेजों में पदों के उल्लेख के साथ शिक्षकों की संख्या विषयक पांच वर्षों के आंकड़े, जिनमें वर्ष 1994-95 भी शामिल है, अलग से चित्र सं. 2.8 में दिए गए हैं । लेक्चरार वर्ग में शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है । वर्ष 1994-95 में विश्वविद्यालयों और संबद्ध कालेजों के विभागों एवं कालेजों में उनकी संख्या क्रमशः 57 प्रतिशत तथा 82 प्रतिशत थी जबकि प्रोफेसरों की संख्या 12.8 प्रतिशत और रीडरों की संख्या 26.2 प्रतिशत थी । इस प्रकार, इनका पिरामिड 1:2:4 बनता है जो एक उचित वितरण है ।

चूँकि उच्च शिक्षा संस्थाओं में सबसे अधिक संख्या संबद्ध कालेजों की थी अतः 77 प्रतिशत शिक्षक संबद्ध कालेजों में ही काम कर रहे थे ।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान संबद्ध कालेजों में कुल शिक्षकों में वरिष्ठ शिक्षकों (अर्थात् प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर तथा वरिष्ठ लेक्चरार) की संख्या 13.9 प्रतिशत थी ।

o o o o o

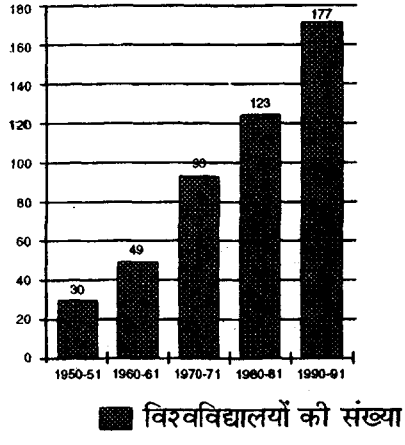

चित्र 2.1

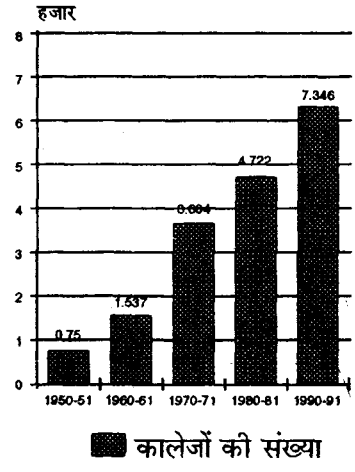

चित्र 2.2

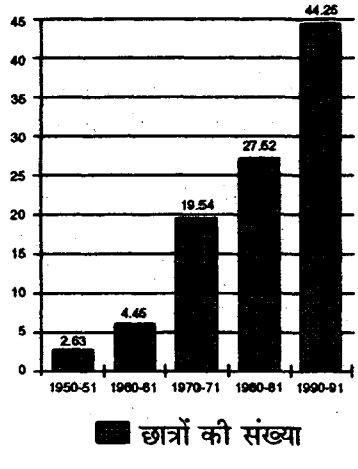

चित्र 2.3

चित्र 2.4

छात्र नामांकन की अखिल भारतीय वृद्धि (1975-76 से 1994-95)

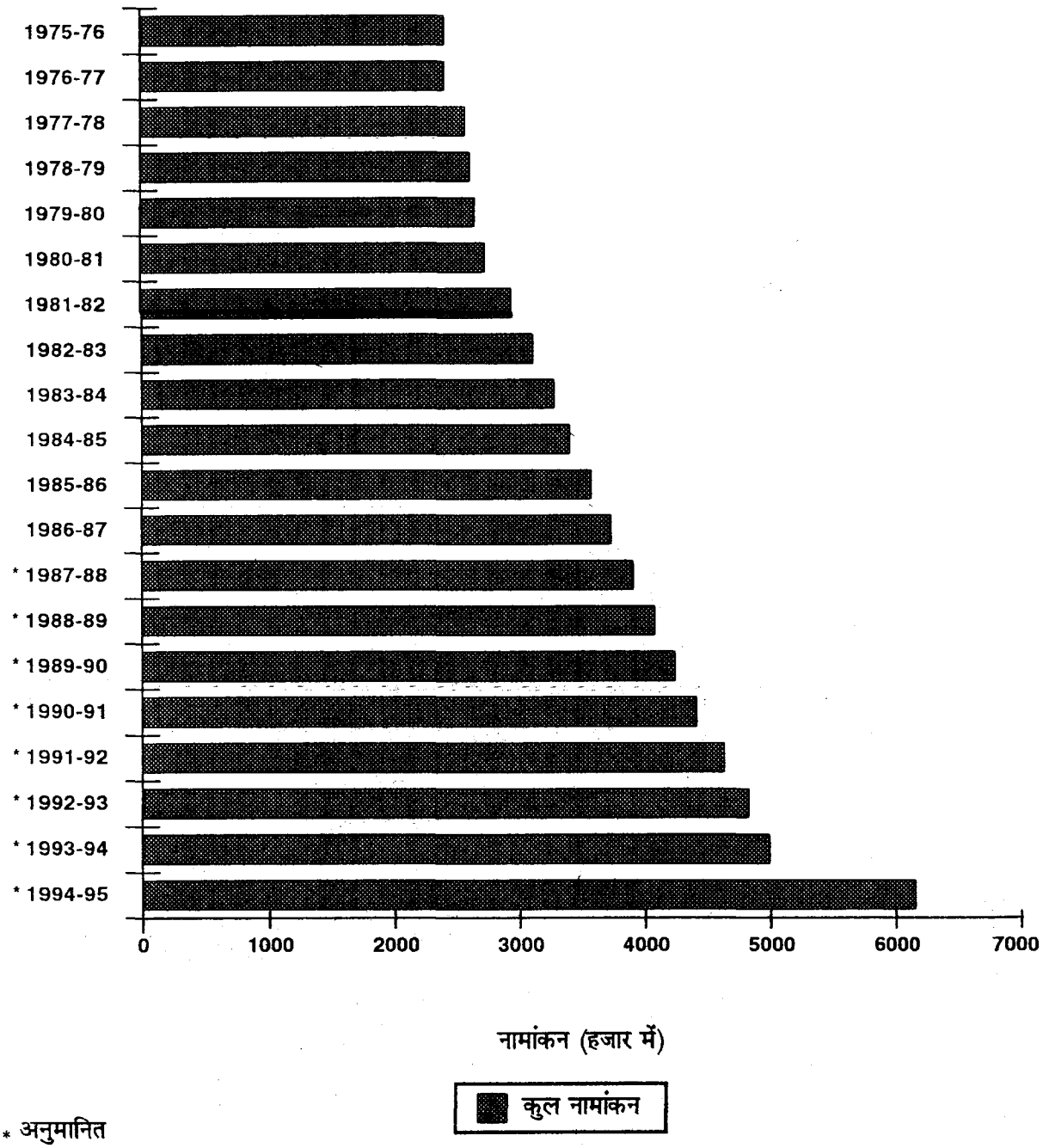

* अनुमानित

चित्र 2.5

राज्यवार नामांकन
विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कालेज
(1994-95)

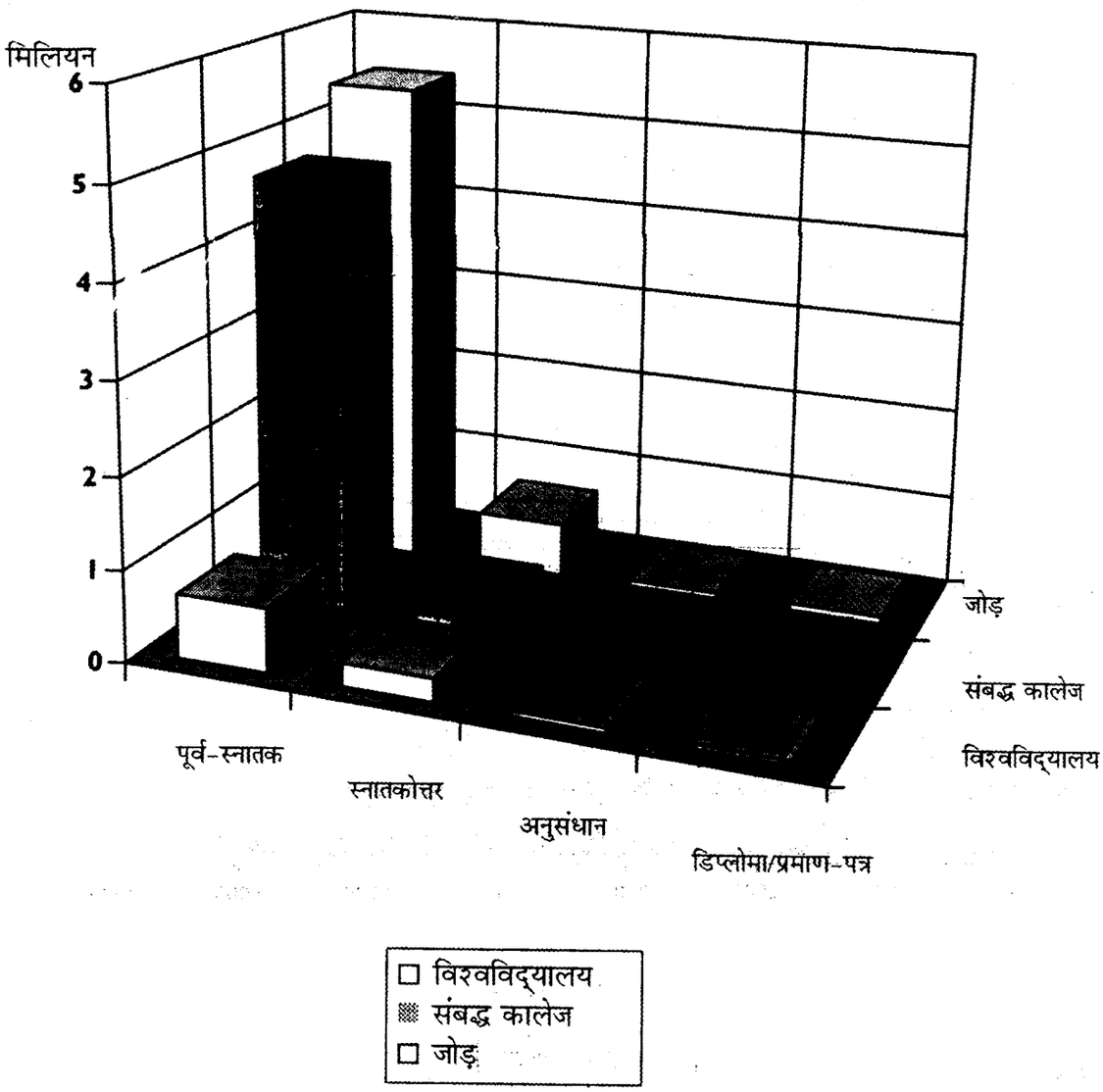

चित्र 2.6

विश्वविद्यालयों में संकायवार छात्र नामांकन (1990-91 से 1994-95)

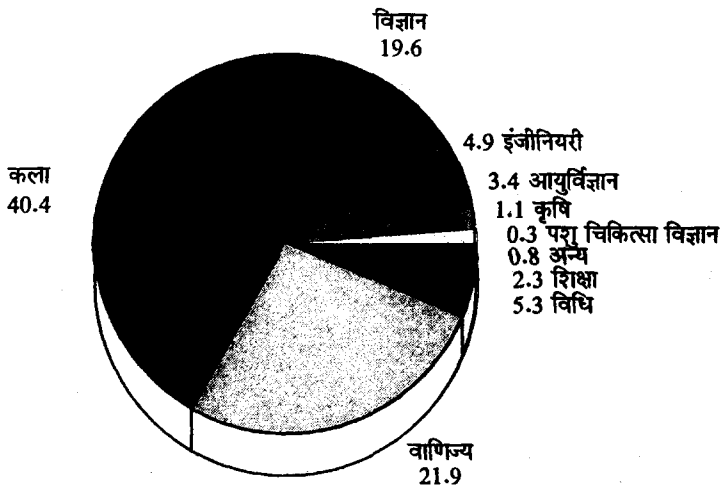

टिप्पणी : वर्ष 1990-91से 1994-95 के दौरान संकायवार छात्र नामांकन के प्रतिशतता-वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

चित्र 2.7

राज्यवार कालेजों की संख्या (1990-91 से 1994-95)

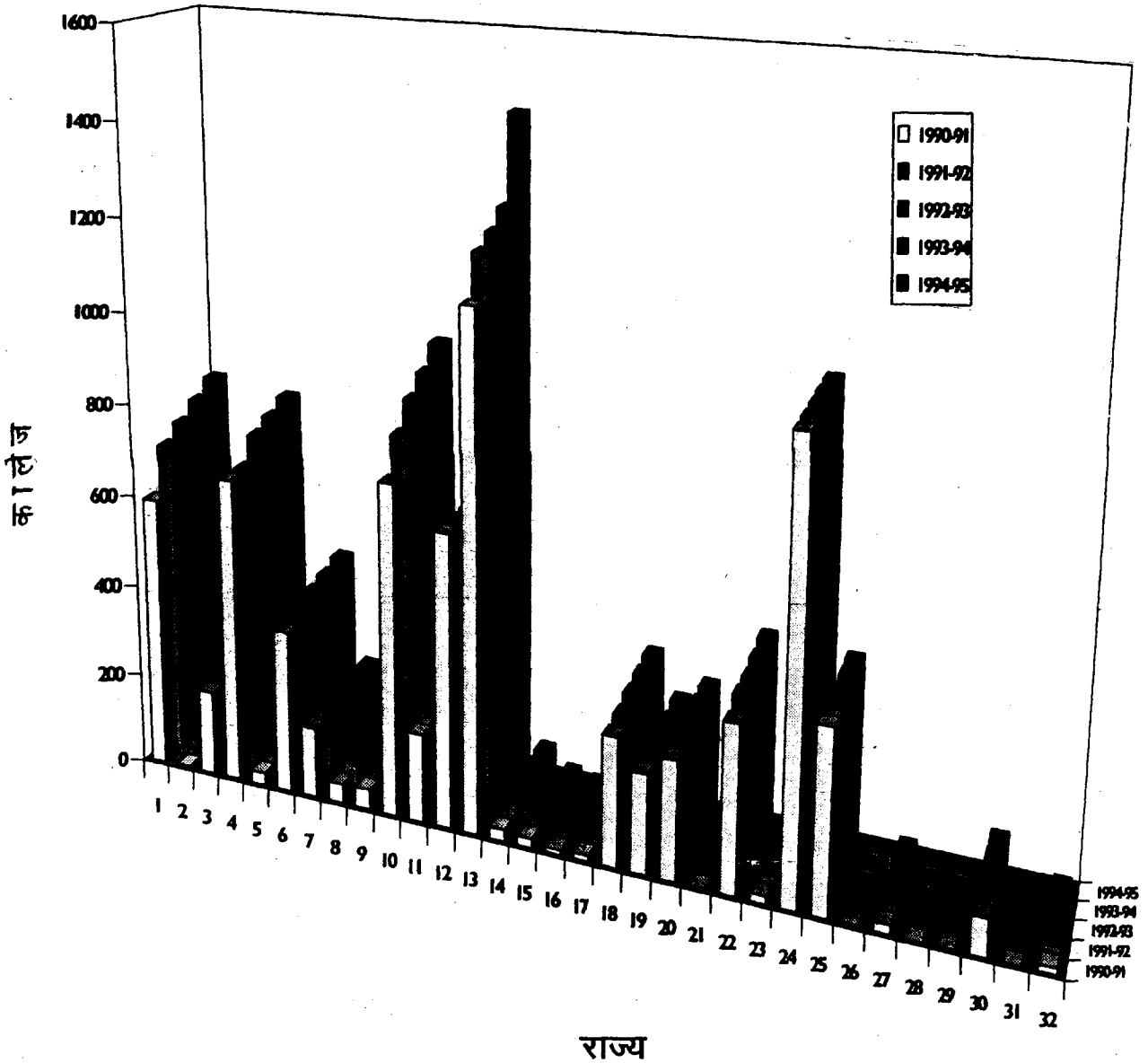

01-आं.प्र., 02-अरुणाचल, 03-असम, 04-बिहार, 05-गोवा, 06-गुजरात, 07-हरयाणा, 08-हि.प्र., 09-ज.क., 10-कर्नाटक, 11-केरल, 12-म०प्र०, 13-महराष्ट्र, 14-मणिपुर, 15-मेघालय, 16-मिज़ोरम, 17-नागालैंड, 18-उड़ीसा, 19-पंजाब, 20-राज०, 21-सिक्किम, 22-तमिलनाडु, 23-त्रिपुरा, 24-उ०प्र०, 25-प०बं०, 26-अंड०निको०, 27-चंडीगढ़, 28-दा०न० हवेली, 29-दमन, दीव, 30-दिल्ली, 31-लक्ष, 32-पांडिचेरी ।

टिप्पणी : दादर नगर हवेली तथा लक्षदीप में कालेजों की संख्या 1989-90 से 1993-94 तक शून्य रही ।

चित्र 2.8

पद के अनुसार शिक्षण स्टाफ का वितरण (1994-95)

विश्वविद्यालय विभाग/विश्वविद्यालय कालेज

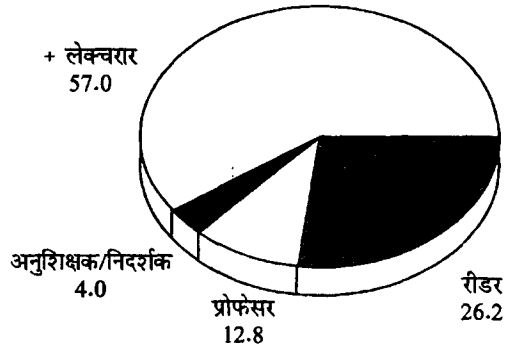

प्रोफेसर	रीडर	+ लेक्चरार	अनुशिक्षक/निदर्शक	जोड़
8868	18152	39492	2271	69283

\+ इनमें सहायक प्रोफेसर और सहायक लेक्चरार भी शामिल हैं ।

संबद्ध कालेज

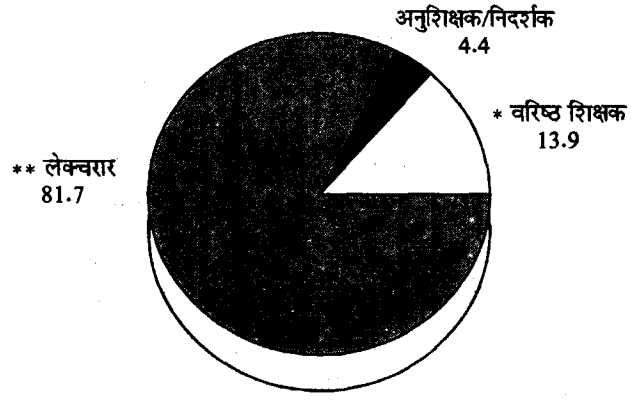

* वरिष्ठ शिक्षक	** लेक्चरार	अनुशिक्षक/निदर्शक	जोड़
32180	189144	10186	231510

* इनमें प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर और वरिष्ठ लेक्चरार शामिल हैं ।

** इनमें सहायक प्रोफेसर और सहायक लेक्चरार शामिल हैं ।

अध्याय-III

स्तरों का अनुरक्षण और समन्वय

3.0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 में व्यवस्था की गई है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श करके ऐसे सभी कदम उठाएगा जिन्हें वह विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन एवं समन्वय तथा शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों के अनुरक्षण के लिए उपयुक्त समझता है । समय-समय पर संसाधनों की कमी के बावजूद आयोग ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है तथा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उच्च शिक्षा की संस्थाओं को निधियां उपलब्ध कराई हैं ताकि वे अपनी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा पाठ्यविवरणों में सुधार कर सकें, नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकें, परीक्षा में सुधार कर सकें, संकाय हायर कर सकें, अनुसंधान को बढ़ावा दे सकें तथा अपने संकाय और प्रशासनिक स्टाफ के ज्ञान और कौशल को समुन्नत कर सकें । इन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों से संबद्ध योजनाओं/कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी जा रही है :-

3.1 अकादमिक स्टाफ कालेज

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च शिक्षा विषयक राधाकृष्णन् और कोठारी आयोगों सहित (1948 और 1964) विभिन्न आयोगों ने अकादमिक स्टाफ के सतत एवं सोद्देश्य विकास की सिफारिश की है । 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अकादमिक स्टाफ कालेजों के माध्यम से शिक्षकों के वृत्तिक विकास के एक व्यापक कार्यक्रम पर जोर दिया गया है । इन अकादमिक स्टाफ कालेजों के माध्यम से शिक्षक अपनी भूमिकाओं एवं दायित्वों की पूर्ति के लिए नवीन तथा रचनात्मक कार्य के वास्ते वृत्तिक उन्नति और पहल के अवसर प्राप्त कर सकते हैं ।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षण का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण एक आवश्यक तत्व समझा जाता है । शिक्षकों के वेतन-मान की चतुर्थ वेतन समिति (मेहरोत्रा समिति) ने विश्वविद्यालय और कालेज के शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर उचित ही जोर दिया है । अकादमिक स्टाफ कालेज जिनकी संख्या 45 है, इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । ये अकादमिक स्टाफ कालेज (ए.एस.सी.) नवीन तकनीकों से न केवल नवीन शिक्षकों के लिए चार सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं अपितु विभिन्न शाखाओं में सेवारत शिक्षकों के लिए 3-4 सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी चलाते हैं ताकि वे अपने ज्ञान को अद्यतन बना सकें ।

चूँकि 45 अकादमिक स्टाफ कालेज समस्त शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं अत: केवल पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए 57 विभागों को चुना गया है । इन संस्थाओं ने शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए पठन सामग्री तैयार की है । अकादमिक स्टाफ कालेज संग्राही

क्षेत्र में स्थित प्रिंसिपलों के लिए 2-3 दिन की संगोष्ठियों का भी आयोजन करते हैं । अभिविन्यास और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने के वास्ते उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए इन्हें बहुत उपयोगी पाया गया है ।

अकादमिक स्टाफ कालेज शिक्षकों को उस पर्यावरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं जिसमें वे कार्य कर रहे होते हैं । छात्रों की आशाओं एवं समझ के बारे में भी वे शिक्षकों को संवेदनशील बनाते हैं । शिक्षा प्रणाली में कार्य की गतिशीलता के विषय में अंतर्दृष्टि को विकसित करने में भी शिक्षकों को सहायता मिलती है । शिक्षक छात्रों में आवश्यक मूल्य, मानव अधिकार, सामाजिक आशा और अनुसंधान कौशल की भावना भी जागृत करते हैं । अप्रैल 1995 तक 82,000 शिक्षकों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया था । फीडबैक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी पाए गए हैं ।

3.2 विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप)

उच्च शिक्षा के विकास के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाना अत्यंत आवश्यक है । वि.अ. आ. यह कार्य मुख्यत: दो कार्यक्रमों के माध्यम से कराता है, विशेष सहायता कार्यक्रम (सेप) और कोसिस्ट । यह सहायता चुनिंदा आधार पर ऐसे विभागों को दी जाती है जिन्होंने उच्चकोटि के अनुसंधान कार्य को करने में अभिरुचि दिखाई हो अथवा जो शिक्षा और अधिगम के विख्यात केंद्र हों । आशा की जाती है कि कुछ ही समय में ये विभाग विश्व की अन्य प्रमुख संस्थाओं में विद्यमान स्तरों के अनुरूप उच्च स्तर प्राप्त कर लेंगे ।

विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वि०अ०आ० विज्ञान, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में विश्वविद्यालय विभागों को अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराता है । यह सहायता आवश्यक मानव संसाधन, पुस्तक और पत्रिका, भवन और उपस्कर के नवीकरण/उन्नयन के लिए तथा साथ ही शतप्रतिशत आधार पर पाँच वर्ष के लिए आवर्ती व्यय हेतु प्रदान की जाती है । सेप के अंतर्गत निम्नलिखित तीन स्तरों पर सहायता प्रदान की जाती है ।

(i) उच्च अध्ययन केंद्र (केस);

(ii) विशेष सहायता विभाग (डी एस ए); और

(iii) विभागीय अनुसंधान सहायता (डी आर एस)

सेप विभाग

	मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग		विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभाग	
	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95
उच्च अध्ययन केंद्र (केस)	16	16	41	41
विशेष सहायता विभाग (डी एस ए)	110	108	115	115
विभागेय अनुसंधान सहायता (डी आर एस)	40	47	81	84

वर्ष 1992-93 में योजना की समीक्षा के पश्चात् विज्ञान विषयों के लिए (गणित और सांख्यिकी सहित) सहायता की सीमा सी ए एस, डी एस ए और डी आर एस के लिए क्रमशः रु॰ 60 लाख, रु॰ 50 लाख और रु॰ 35 लाख कर दी गई है । मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए दी जाने वाली सहायता का स्तर उपर्युक्त सीमा का लगभग आधा है । तथापि मानविकी और सामाजिक विज्ञान के ऐसे विभागों के लिए जिन्हें वैज्ञानिक उपस्कर और कम्प्यूटर की आवश्यकता होती है इस सहायता को विज्ञान और इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी विभागों को दी जाने वाली सहायता सीमा के 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है ।

उपर्युक्त किसी भी वर्ग के अंतर्गत जब किसी विभाग को सहायता के लिए चुना जाता है तो इसकी शैक्षिक उपलब्धियों की जांच विषय से संबद्ध विशेषज्ञों द्वारा की जाती है और इसकी सिफारिशों को पूर्व अनुमोदन के लिए वि॰अ॰आ॰ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । इसके पश्चात् एक विशेषज्ञ समिति या तो उस विभाग का निरीक्षण करती है या संबद्ध विभाग के प्रतिनिधियों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष अपनी आवश्यकताएँ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है । सेप कार्यक्रम में नियमित तथा सतत परिवीक्षण की आंतरिक व्यवस्था है । अनुसंधान निष्पादन के आधार पर विभाग को उसी स्तर पर सहायता जारी रखी जाती है अथवा उसे अगले उच्च स्तर तक बढ़ा दिया जाता है या विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के आधार पर बंद कर दिया जाता है ।

इन योजनाओं के माध्यम से विभागों ने पर्याप्त आधार-संरचनात्मक सुविधाएँ प्राप्त कर ली हैं । इसी की वजह से वे डी एस टी, सी एस आई आर, आई सी ए आर, डी ओ ई, एम एच आर डी आदि विभिन्न एजेंसियों से धन प्राप्त करने में तथा विदेशस्थ विख्यात वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों के साथ प्रभावी संपर्क बनाने में समर्थ हो सके हैं और इनमें से कुछेक ने इन केंद्रों के साथ सहयोगी अनुसंधान करने की पहल की है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूरा कर लेने वाले अनेक विभागों की समीक्षा की गई और (डी आर एस और डी एस ए से) उनके उन्नयन तथा जारी रखे जाने और बंद कर दिए जाने की बावत निर्णयों से विश्वविद्यालयों को अवगत करा दिया गया ।

3.3 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आधार-संरचना को सुदृढ़ बनाना (कोसिस्ट)

वि०अ०आ० चुनिंदा आधार पर विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों को अत्याधुनिक एवं कीमती उपस्कर प्राप्त करने के लिए सहायता देता है ताकि वे स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनने में समर्थ हो सकें । ऐसे विभागों का चुनाव स्थायी समिति द्वारा निर्धारित कड़े मानकों के आधार पर किया जाता है । अंतिम चयन के लिए संबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञ दलों से परामर्श लिया जाता है ।

समवर्ती परिवीक्षण और मूल्यांकन इस योजना का अभिन्न अंग है । मूल्यांकन का विषय अनुसंधान की गुणवत्ता और मात्रा, जनशक्ति का प्रशिक्षण द्वारा वैज्ञानिक विकास, शिक्षण विधि में किए गए नवीन परिवर्तन, छात्रों का मूल्यांकन, पाठ्यचर्या को आधुनिक बनाना और कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन में गतिरोध को दूर करना है ।

कोसिस्ट सहायताप्रदत्त विभागों को कार्यात्मक स्वायत्तता दी गई है ।

चूँकि सहायता का अधिकांश भाग अत्याधुनिक उपस्कर प्राप्त करने के लिए दिया जाता है अत: उपस्कर की लागत का 5 प्रतिशत इन विभागों को इनके रख-रखाव के लिए प्रदान किया जाता है । रख- रखाव के लिए सहायता तब ही प्रदान की जाती है जब काम दर ठेका आधार पर दिया जाता है ।

वि०अ०आ० द्वारा सारे देश में कार्यक्रम के कराए गए मूल्यांकन से ज्ञात हुआ है कि इसने छात्रों और शिक्षकों दोनों ही में उत्साह और स्पर्धात्मक भावना पैदा की है और विभागों द्वारा प्राप्त की गई आधार-सरंचनात्मक सुविधाओं के कारण न केवल भारत की अपितु विदेशों की निधीयन एजेंसियों से भी इन्हें अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है ।

वि०अ०आ० इन विभागों द्वारा किए गए काम का मूल्यांकन निरीक्षक समितियों की सहायता से करता है । वर्ष 1994-95 के दौरान भी वि०अ०आ० ने भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, नई दिल्ली के माध्यम से 17 कोसिस्ट सहायता प्राप्त विभागों का बिबलियोमीट्रिक विश्लेषण विषयक मूल्यांकन किया ।

वर्ष 1994-95 के दौरान कोसिस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए छह नवीन विभागों को चुना गया । इस प्रकार, 31.03.1995 की स्थिति के अनुसार ऐसे विभागों की कुल संख्या 141 हो गई है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत नवीन और चालू गतिविधियों के लिए आयोग ने रु० 200 लाख का अनुदान प्रदान किया ।

वर्ष के दौरान यह निर्णय किया गया कि कोसिस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता एक बार किए जाने वाले निवेश के रूप में होगी । कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग को चरणबद्ध सहायता की पूर्व प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है ।

3.4 प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुन:संरचना

पुन:रचित पाठ्यक्रमों में आधार-पाठ्यक्रम, मूल पाठ्यक्रम और अनुप्रयोगपरक कार्यक्रम शामिल हैं । आधार-पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों में भारतीय इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, एशिया तथा अफ्रीका की संस्कृति और गांधीवादी विचारधारा का बोध कराना है । दूसरी ओर, मूल पाठ्यक्रम छात्रों की चुने हुए विषयों में अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करते हैं जिसमें एक या अधिक विषयों का गहन अध्ययन शामिल है । अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कार्यजगत का ज्ञान कराना है ।

कालेजों को उनके द्वारा शुरू किए गए संशोधित और पुनर्गठित पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए पाँच वर्ष की अवधि के लिए रुपए 7.5 लाख तक सहायता दी जाती है । 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 38 कालेजों को चुना गया ।

3.5 विषय नामिकाएँ

वि०अ०आ० के पास विशेषज्ञों के पैनल हैं जो उसको विभिन्न विषयों में शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने, विश्वविद्यालयों में उपलब्ध अनुसंधान और शिक्षण सुविधाओं की बाबत स्थिति रिपोर्ट तैयार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के उपायों के बारे में परामर्श देते हैं । इन नामिकाओं की सिफारिशें पाठ्यक्रमों को अद्यतन तथा आधुनिक बनाने में तथा शिक्षण और अनुसंधान में नवीन आयाम लागू करने में अति उपयोगी सिद्ध होती हैं । प्रति दो वर्ष के बाद इन नामिकाओं का पुनर्गठन किया जाता है ।

इस समय ऐसे 28 विषय हैं जिनके लिए नामिकाओं का गठन किया गया है । 1994-95 के दौरान 25 नामिकाओं की बैठकें बुलाई गईं और उनकी सिफारिशों पर विचार किया गया ।

3.6 देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम

दूरदर्शन ने वि०अ०आ० को सप्ताह में छह दिन दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक तथा सप्ताह में चार दिन प्रात: छह बजे से सात बजे तक उच्च शिक्षा से संबंधित अंग्रेजी के देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए समय प्रदान किया है । हिंदी में तैयार किए गए इसी प्रकार के कार्यक्रम जिन्हें "देशव्यापी कक्षा" कहा जाता है सप्ताह में तीन दिन आधे घंटे के लिए प्रात: 6.00 से 6.30 तक प्रसारित किया जाता है । इस प्रकार वि०अ०आ० उच्च शिक्षा को देश के दूरदराज क्षेत्रों तक ले जाने में समर्थ हो सका है ।

शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र (ई एम आर सी) तथा दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र (ए वी आर सी) वाली संस्थाओं की सूची नीचे दी गई है :-

शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र (ई एम आर सी)

1. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली ।
2. पूना विश्वविद्यालय, पुणे
3. केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद
4. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
5. सेंट ज़ेवियर कालेज, कलकत्ता
6. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
7. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै

दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केंद्र (ए वी आर सी)

1. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
2. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की
3. अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास
4. मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
5. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
6. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
7. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
8. डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर
9. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
10. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट

01.04.94 से 31.03.95 तक की अवधि के दौरान विभिन्न मीडिया केंद्रों ने 10,727 मिनट की अवधि के कुल 552 कार्यक्रम तैयार किए । इसमें 1521 मिनट की अवधि के हिंदी में तैयार किए गए 67 कार्यक्रम शामिल हैं । इस समय दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों का 85 प्रतिशत भाग देश में ही तैयार किया जात है ।

3.7 गैर-प्रसारणीय वीडियो व्याख्यान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्व-स्नातक छात्रों के लिए 15 विषयों में गैर-प्रसारणीय वीडियो व्याख्यान टेप तैयार करने की योजना शुरू की है । 31.03.1995 को विद्यमान स्थिति के अनुसार सात विषयों में वीडियो व्याख्यान पूरे किए जा चुके थे ।

3.8 विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्र (यूसिक)

शिक्षण एवं अनुसंधान में अत्याधुनिक यंत्रों के अधिकतम प्रयोग के लिए वि०अ०आ० ने "यूसिकों" की स्थापना द्वारा "सामान्य पूल" की संकल्पना का सूत्रपात किया है । इन केंद्रों का उद्देश्य विश्व-विद्यालय के लिए यंत्रीकरण के सभी पहलुओं का ध्यान रखना है जिनमें यंत्रों का रख-रखाव और मरम्मत तथा विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधनों का प्रशिक्षण शामिल है ।

वि०अ०आ० स्टाफ के वेतन, उपस्कर, कार्यशाला, आकस्मिकता और भवन के लिए शतप्रतिशत वित्तीय सहायता देता है । इस योजना के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक उपस्कर का अधिकतम उपयोग हुआ है ।

31.03.1995 को विद्यमान स्थिति के अनुसार यूसिकों की स्थापना के लिए 75 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई । इस संख्या में यूसिकों की सहायता के लिए दो प्रादेशिक केंद्र भी शामिल हैं - एक भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और दूसरा पश्चिमी प्रादेशिक यंत्रीकरण केंद्र, बंबई है ।

3.9 प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण

वि०अ०आ० द्वारा गठित प्रथम डिग्री शिक्षा के व्यावसायीकरण विषयक मूल समिति की सिफारिशों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करते हुए वि०अ०आ० द्वारा 1994-95 से प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रू० 26 करोड़ की राशि प्रदान की है ।

व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति (स्कोवे) और एतदर्थ गठित इसकी उपसमिति/प्रादेशिक समितियों की सिफारिश के आधार पर वि०अ०आ० ने 1994-95 के दौरान प्रथम डिग्री स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए पहले 209 संस्थाओं (19 विश्वविद्यालय तथा 190 कालेज) को चुना है । ये संस्थाएँ मूल समिति द्वारा चुने गए 35 विषयों में एक से तीन विषयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर सकती हैं । इन 35 विषयों की सूची नीचे दी गई है :-

1. व्यावहारिक हिंदी
2. व्यावहारिक संस्कृत
3. सम्प्रेषणात्मक अंग्रेजी
4. पुरातत्व और संग्रहालय विज्ञान

5. बीमा सिद्धांत और पद्धति
6. बीमांकिक विज्ञान
7. कार्यालय प्रबंध और सचिवालय पद्धति
8. कर-प्रक्रिया और व्यवहार
9. विदेशी व्यापार पद्धति और क्रियाविधि
10. पर्यटन और यात्रा प्रबंध
11. विज्ञापन, बिक्री संवर्धन (बिक्री प्रबंध)
12. कम्प्यूटर प्रयोग
13. औद्योगिक रसायन (सात विधाएँ)
14. खाद्य विज्ञान और गुणवत्ता नियंत्रण
15. नैदानिक पोषण आहारिकी
16. औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान
17. जैव-प्रौद्योगिकी
18. जीवन विज्ञान प्रौद्योगिकी और नमूने की तैयारी
19. बीज प्रौद्योगिकी
20. रेशम उत्पादन
21. औद्योगिक मत्स्यपालन और मीन उद्योग
22. यंत्रीकरण
23. प्रकाशकीय यंत्रीकरण
24. भू-अन्वेषण और वेधन प्रौद्योगिकी
25. जनसंपर्क वीडियो प्रस्तुति
26. स्थिर-फोटाग्राफी ऑडियो प्रोडक्ट्स
27. इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर अनुरक्षण
28. कम्प्यूटर अनुरक्षण
29. विद्युत् उपस्कर अनुरक्षण
30. पर्यावरण और जल-प्रबंध

31. ग्रामीण प्रौद्योगिकी
32. ऑटोमोबाइल अनुरक्षण
33. प्रशीतन और वातानुकूलन अनुरक्षण
34. निर्माण प्रौद्योगिकी प्रबंध
35. विनिर्माण प्रक्रिया

आलोच्य वर्ष के दौरान व्यावसायिक शिक्षा की स्थायी समिति ने अपने सदस्यों में से प्रादेशिक परिवीक्षण दलों का गठन किया और भोपाल, बंबई, बंगलौर, कलकत्ता तथा दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने में संस्थाओं द्वारा की गई प्रगति का निर्धारण करने के लिए परिवीक्षण कार्य किया । इन दलों ने संस्थाओं के साथ चर्चा की तथा आवश्यक होने पर तत्काल सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया । वर्ष के दौरान परिवीक्षण दलों की रिपोर्टों का विश्लेषण कार्य जारी था ।

3.10 परीक्षा सुधार

वि०अ०आ० परीक्षा सुधार के विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन पर जोर देता रहा है । इनमें सतत आंतरिक मूल्यांकन, प्रश्न बैंकों का विकास, ग्रेडिंग पद्धति, सेमेस्टर प्रणाली तथा पाठ्य-विवरण, प्रश्न- पत्र तथा परीक्षा लेने से संबंधित कुछ न्यूनतम सुधार शामिल हैं । आलोच्य वर्ष के दौरान योजना की समीक्षा की गई और संशोधित मार्गनिर्देश विश्वविद्यालयों में प्रचारित किए गए ।

3.11 पर्यावरण शिक्षा

उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार वि०अ०आ० ने पर्यावरण का एक पाठ्यक्रम शुरू करने और कालेज-शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य विषय के तौर पर इसे शामिल करने के लिए विश्व-विद्यालयों से अनुरोध किया । तदनुसार वि०अ०आ० ने इस विषय में विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पर्यावरण शिक्षा पर विशेषज्ञ दलों का गठन किया । 31.03.1995 तक आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए सहायता का अनुमोदन किया :

1. पर्यावरण शिक्षा के बारे में स्नातकोत्तर स्तर पर 10 विश्वविद्यालयों/कालेजों के विभिन्न विभागों में कार्यशालाएँ और संगोष्ठियां ।
2. 10 विश्वविद्यालयों/कालेजों के विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के विषय में विशेष प्रश्नपत्र का आरंभ करना ।
3. 10 विश्वविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा में एम एस सी पाठ्यक्रम प्रारंभ करना ।
4. "फ्लाइऐश के जमाव" और "बड़े पैमाने पर इसके उपयोग के लिए क्षेत्रों का पता लगाना" पर छह अनुसंधान परियोजनाएँ ।

अकादमिक स्टाफ कालेज, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति।
भौतिकी में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का उद्घाटन समारोह।

अकादमिक स्टाफ कालेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा आयोजित
चौदहवें अभिविन्यास पाठ्यक्रम (विज्ञान शाखा) का उद्घाटन समारोह।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए लगभग 100 उपाख्यान भी "देशव्यापी कक्षा" कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित किए हैं ।

आयोग पर्यावरण विषयक विशेषज्ञ दलों की सहायता से पूर्वस्नातकों के लिए पाठ्यपुस्तक तथा लोकप्रिय साहित्य भी तैयार कर रहा है ।

० ० ० ० ०

अध्याय–IV

विश्वविद्यालयों को योजनागत और योजनेतर वित्तीय सहायता

4.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायताप्रदत्त विश्वविद्यालय

वि०अ०आ० द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता तथा विश्वविद्यालयों का प्रकार निम्नलिखित है :-

(i) **केंद्रीय विश्वविद्यालय** : इस वर्ग में 9 विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान और 12 विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान किया जाता है । आठवीं योजना अवधि में नए स्थापित तीन विश्वविद्यालयों को केवल योजना अनुदान प्रदान किए जाते हैं ।

(ii) **राज्य विश्वविद्यालय** : 111 राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान दिया जाता है ।

(iii) **समविश्वविद्यालय** : इस वर्ग में 10 संस्थाओं को पूर्ण अनुरक्षण अनुदान तथा दो संस्थाओं को आंशिक अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है जबकि 19 संस्थाओं को विकास अनुदान दिया जाता है ।

4.2 राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान

आयोग ने वर्ष 1991 के दौरान विशेषज्ञ समितियों की सिफारिश के आधार पर राज्य विश्वविद्यालयों के लिए आठवीं योजना के विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया । वर्ष 1994–95 के दौरान आयोग ने कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर आठवीं योजना अवधि के लिए अपनी समस्त वचनबद्धता के भाग के रूप में राज्य विश्वविद्यालयों को कुल रु० 96.65* करोड़ का विकास अनुदान दिया ।

4.3 केंद्रीय विश्वविद्यालय

योजनेतर अनुदान शिक्षणेतर और शिक्षण स्टाफ के वेतन और प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और भवनों के अनुरक्षणार्थ आवर्ती व्यय पूरा करने के लिए दिया जाता है । अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भी योजनेतर सहायता प्रदान की जाती है जिनमें मीडिया केंद्रों/कालेजों/इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के संकायों के लिए अनुदान शामिल हैं ।

---

* इसमें इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के लिए तथा धारा III के अंतर्गत अनुदान शामिल है ।

वर्ष 1994-95 के दौरान नौ केंद्रीय विश्वविद्यालयों का अनुरक्षण व्यय पूरा करने के लिए रु० 227.59 करोड़ की राशि जारी की गई । केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण व्यय में विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है ।

योजनागत अनुदान : वि०अ०आ० केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मेडिकल कालेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों तथा दिल्ली के कालेजों के भवनों के विकासार्थ योजना के अंतर्गत अलग से राशि आबंटित करता है ।

वर्ष 1994-95 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को रु० 4434.74 लाख के योजनागत अनुदान प्रदान किए गए । इसमें तीन नए स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय - असम, तेजपुर और नागालैंड - के लिए जारी की गई रु० 575.15 लाख की राशि शामिल है ।

वर्ष 1994-95 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दी गई योजनागत और योजनेतर सहायता (रु० लाख में)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	योजनेतर अनुदान	योजनागत अनुदान (विकास)
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	5684.51	620.86
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	6565.35	661.46
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	3362.86	527.68
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	775.76	427.69
5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	2218.11	587.63
6.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1083.45	431.84
7.	उत्तरपूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	1205.55	227.73
8.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	362.54	175.37
9.	विश्वभारती	1500.82	196.68
10.	असम विश्वविद्यालय	-	230.00
11.	तेजपुर विश्वविद्यालय	-	255.10
12.	नागालैंड विश्वविद्यालय	-	90.05
13.	इंदिरगांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	-	2.65
		22759.35	4434.74

वि०अ०आ० केंद्रीय विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों के लिए एक परिक्रामी निधि भी रखता है ताकि इन संस्थाओं के कर्मचारियों को गृहनिर्माण पेशगी प्रदान की जा सके । वि०अ०आ० प्रतिवर्ष इन निधियों का वितरण विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की संख्या, प्राप्त आवेदनों की संख्या और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए करता है ।

वर्ष 1994-95 के दौरान योजना के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मेडिकल कालेजों को निम्नलिखित अनुदान भी प्रदान किए गए हैं :-

क्रम सं.	कालेज	प्रदत्त अनुदान (रु० लाख में)
1.	आयुर्विज्ञान का विश्वविद्यालय कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	14.50
2.	आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	87.50
3.	जे० एन० मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	14.50

4.4 समविश्वविद्यालय संस्थाएँ

वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 3 में यह व्यवस्था की गई है कि विश्वविद्यालय से भिन्न यदि उच्च शिक्षा की कोई संस्था किसी विशिष्ट क्षेत्र में अति उच्चस्तरीय कार्य कर रही है तो उसे समविश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है । ऐसी संस्था को एक विश्वविद्यालय का शैक्षिक दर्जा एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह सामान्य प्रकार का बहु-संकाय वाला विश्वविद्यालय न होकर अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में गतिविधियों को सुदृढ़ कर सकेगा ।

वर्ष 1994-95 के दौरान निम्नलिखित दो संस्थाओं को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया :-

1. श्री रामचन्द्र मेडिकल कालेज और अनुसंधान संस्थान, मद्रास ।
2. मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान, बंगलौर ।

वर्ष 1994-95 के दौरान वि०अ०आ० ने समविश्वविद्यालय संस्थाओं को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किए :-

समविश्वविद्यालयों को अनुदान - 1994-95
(रु० लाख में)

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	योजनेतर	योजनागत
1.	अविनाशीलिंगम् गृहविज्ञान संस्थान	120.39	62.45
2.	बनस्थली विद्यापीठ	–	14.91
3.	सी आई ई एफ एल, हैदराबाद	307.53	95.00
4.	सी आई एच टी अध्ययन	0.21	0.31
5.	दयालबाग शिक्षा संस्थान	76.77	29.77
6.	बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान	5.68	48.30
7.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	238.34	48.71
8.	गुजरात विद्यापीठ	229.23	75.53
9.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	139.03	39.25
10.	भारतीय खान स्कूल, धनबाद	563.60	78.68
11.	आई आई एस, बंगलौर	0.26	228.49
12.	जामिया मिलिया	279.30	45.76
13.	राजस्थान विद्यापीठ	–	31.99
14.	श्री सत्य साईं उच्च शिक्षा संस्थान	–	21.78
15.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	–	5.00
16.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई	258.10	43.86
17.	जैन विश्वभारती	–	5.67
18.	लालबहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ	0.67	16.86
19.	डकन कालेज स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थान, पुणे	0.78	11.72
20.	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, कांचीपुरम	7.00	30.00

21.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	0.12	15.29
22.	योजना और वास्तुकला विद्यालय	–	1.00
23.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	45.98	80.97
24.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली	0.16	0.22
25.	राष्ट्रीय कला संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय	0.56	1.21
26.	थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	18.76	4.20
27.	गोखले राजनीति तथा अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे	–	8.19
28.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	0.13	0.19
29.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	0.40	0.60
		2293.50	1045.89

4.5 वर्ष के दौरान समविश्वविद्यालय संस्थाओं की मुख्य उपलब्धियाँ

(i) टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान

नवीन पाठ्यक्रम

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मुख्य विकल्पों के साथ "गौण" क्षेत्र के जारी रहने की संकल्पना प्रारंभ की गई । इस प्रकार सामाजिक कार्य में एम०ए० के छात्रों को गौण विषय के रूप में किसी एक अथवा समाज कल्याण प्रशासन (एस डब्ल्यू ए) को अपनाते हुए परिवार और बाल कल्याण, अपराधविज्ञान और सुधारात्मक प्रशासन, मेडिकल और मनोरोग समाज कार्य तथा शहरी एवं ग्रामीण सामुदायिक विकास के विषय में प्रमुखता प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया ।

वर्ष के दौरान समाज कल्याण संगठनों के प्रबंधन के सामाजिक एवं विधिक पक्षों और विरोध, परिवर्तन एवं नवाचार के प्रबंध पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया था ।

वर्ष 1994-95 से पारिवारिक अध्ययनों के एकक द्वारा सामाजिक कार्य में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के लिए एक नवीन पाठ्यक्रम - "जराविज्ञानी सामाजिक कार्य" शुरू किया गया । अनेक अंतर्विद्याशाखा अनुसंधान परियोजनाएँ भी शुरू की गईं ।

वर्ष 1994-95 के दौरान संकाय के 64 सदस्यों ने विभिन्न संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं/परिसंवादों में भाग लिया । संकाय के बाईस सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लिया । संकाय के शिक्षकों द्वारा पंद्रह पुस्तकें तथा इक्यासी लेख/शोध लेख प्रकाशित किए गए । पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन और स्तरों को सुधारने का कार्य भी किया गया ।

वर्ष के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित अंतर्विद्याशाखा अनुसंधान परियोजनाएँ भी शुरू कीं :-

(क) बंबई पारसी पंचायत की सामाजिक कल्याण गतिविधियों का मूल्यांकन ।

(ख) महाराष्ट्र में प्रारंभिक बाल-देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रमों की निर्देशिका ।

(ग) महिलाओं का मानसिक हिंसा विषयक अनुभव का गवेषणात्मक अध्ययन ।

(घ) अण्टा गैस आधारित ताप शक्ति परियोजना का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण ।

(ड.) बंबई में दंगों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, राजनीतिक, जनसांख्यिकीय तथा आर्थिक कारण ।

(च) सामाजिक दल कार्यवृत्ति का क्षेत्रीय बोध ।

(छ) जनसंख्या-दबाव, पर्यावरण और संस्थागत स्थितियों के बीच तालमेल के वर्ग और लिंगपरक पहलू ।

(ज) रामागुंडम एस टी पी पी पुनर्गठन और पुनर्वास अध्ययन ।

(झ) महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों का अध्ययन ।

कार्मिक प्रबंध और औद्योगिक संबंध विभाग के छात्रों ने मेलांगे (एम ई एल ए एन जी ई) 1994 का आयोजन किया । स्वास्थ्य प्रबंध तथा अस्पताल प्रबंध कार्यक्रमों के एम०ए० के छात्रों ने "स्वास्थ्य रक्षा प्रबंध : भावी चुनौतियाँ और अवसर" विषयक एक दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन फरवरी, 1995 में किया । सामाजिक कार्य छात्र मंच ने जनवरी, 1995 में 'अंतर्व्यावसायिक विनिमय : सामाजिक कार्यवृत्ति की समस्याएँ' नामक चतुर्थ वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया ।

समाज और पड़ौस के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए संस्थान सत्रह क्षेत्र-कार्य परियोजनाएँ भी चलाता है । वर्ष के दौरान महिलाओं पर अत्याचार के विषय में किए गए कार्य के दस वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में महिलाओं और बालकों के लिए एक तीसरे विशेष कक्ष का उद्घाटन कांदीवली पुलिस थाने (पश्चिमी उपनगर) में किया गया ।

(ii) गृह-विज्ञान तथा महिलाओं की उच्च शिक्षा का अविनाशीलिंगम् संस्थान

वर्ष 1994-95 के दौरान संस्थान ने परिमाणात्मक तकनीक तथा अर्थशास्त्र विषय में एक पंचवर्षीय समेकित एम०एससी० पाठ्यक्रम की शुरूआत की । निम्नलिखित पाँच व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए :-

Documentation Centre
...ational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-9607

1) खाद्य विज्ञान और गुणवत्ता नियंत्रण

2) नैदानिक पोषण और भोजन प्रबंध

3) सम्प्रेषण और अंग्रेजी

4) व्यावहारिक हिंदी

5) कर-प्रक्रिया और व्यवहार

1995-96 के शैक्षिक वर्ष से कम्प्यूटर अनुप्रयोग को एक अनिवार्य आनुषंगिक विषय बना दिया गया है । मानविकी में दो नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं - प्रदर्शन कलाओं में एम०ए० तथा व्यवसाय प्रशासन निष्णात ।

वर्ष 1994-95 के दौरान संस्थान के संकाय ने निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लिया :-

1) अविनाशीलिंगम् धर्मस्व भाषण

2) संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ

3) पंचायती राज विषयक कार्यशाला

(iii) गुजरात विद्यापीठ

वर्ष के दौरान विद्यापीठ ने पाँच नवीन पाठ्यक्रम शुरू किए :-

1) एम०सी०ए०

2) बी०एससी०

3) गृह विज्ञान में एम०फिल

4) होटल प्रबंध में डिप्लोमा

5) कम्प्यूटर अनुप्रयोग, खाद्य विज्ञान, इलेक्ट्रानिक मरम्मत, कार्यालय प्रबंध तथा पुरातत्व और भारतीय विद्या जैसे प्रथम डिग्री स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम ।

विद्यापीठ ने ग्रामीण अर्थशास्त्र के विभाग में स्नातकोत्तर स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में पर्यावरणीय अर्थशास्त्र भी चालू किया है ।

एक बायोगैस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया जिसने बायोगैस के इंजीनियरिंग पक्ष पर पहला मोनोग्राफ प्रकाशित किया ।

निम्नलिखित विषयों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए गए :-

1) प्रौढ़ शिक्षा
2) पुस्तकालय विज्ञान
3) पत्रकारिता और संचार, तथा
4) सामाजिक नृविज्ञान

निम्नलिखित विषयों पर छह संगोष्ठियों का आयोजन किया गया :-

1) पत्रकारिता और संचार की समस्याएँ
2) समसामयिक साहित्य और कला
3) समसामयिक हिंदी काव्य
4) खेलकूद शिक्षा की पाठ्यचर्या
5) पर्यावरणीय अर्थशास्त्र
6) बदलते विश्व में गांधी जी

(iv) श्री सत्य साई उच्चशिक्षा संस्थान

वर्ष 1994-95 के शैक्षिक वर्ष के दौरान विज्ञान के समस्त विभागों ने विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य शुरू किया है ।

वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा किए गए अन्य मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :-

1) संकाय के सदस्यों द्वारा अकादमिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भाग लेना ।
2) विख्यात पत्रिकाओं में शिक्षकों द्वारा शोध लेख/लेख एवं मोनोग्राफ/पुस्तकें प्रकाशित किया जाना ।
3) **पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन :**

   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग-निर्देशों के अनुसार सभी पूर्व-स्नातक छात्रों के लिए पर्यावरण अध्ययनों में एक दो-क्रेडिटीय-बोध-पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जो शैक्षिक वर्ष 1995-96 से शुरू किया जाएगा ।

(v) जैन विश्वभारती संस्थान

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य ऐसे मॉडल का विकास करना है जिसमें शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और अहिंसक सामाजिक व्यवस्था एवं विश्व शांति के युग में प्रवेश कराना भी है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित कार्य भी शुरू किए :-

1) शिक्षण और अनुसंधान के अंतर्विद्याशाखा कार्यक्रमों के अंतर्गत संगोष्ठियों और भाषण माला का आयोजन किया ।

2) अनेक शिक्षकों ने शैक्षिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भी भाग लिया तथा शोध-लेख/लेख प्रकाशित किए ।

3) अनेक विषयों में पुनर्गठित पाठ्यक्रम शुरू किए गए ।

4) संस्थान ने पूर्व-स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर विज्ञान, व्यवसाय प्रबंध, पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय विज्ञान के नवीन कार्यक्रम शुरू किए ।

5) छह छात्रों ने एन ई टी/जे आर एफ में अर्हता प्राप्त की तथा अनेक छात्रों ने अंतर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए ।

(vi) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालय ने कार्मिक प्रबंध और औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा पूर्व-स्नातक स्तर पर औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी तथा संग्रहालय विज्ञान एवं पुरातत्व में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए ।

संकाय के सदस्यों ने राष्ट्रीय/राज्य स्तर के सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लिया । विज्ञान तथा मानविकी में अनेक शोध लेख/लेख भी प्रकाशित किए गए ।

(vii) गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान

वर्ष 1994-95 के दौरान संस्थान ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी में बी॰एससी॰ पाठ्यक्रम शुरू किया । शिक्षण और अनुसंधान के अंतर्विद्याशाखा कार्यक्रमों के अंतर्गत संस्थान ने ग्रामीण उद्योग और प्रबंध, ग्रामीण विकास फ्यूचरोलॉजी, गृहविज्ञान और विस्तार जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए ।

लगभग 25 शिक्षकों ने विभिन्न शैक्षिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भाग लिया । वर्ष के दौरान शिक्षकों द्वारा अनेक शोध लेख और लेख प्रकाशित किए गए ।

राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा पंचायती राज अध्ययन के लिए एक राजीव गांधी पीठ की स्थापना की गई है । दो धर्मस्व भी स्थापित किए गए हैं ।

एक विभाग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक पृथक् बैंक स्थापित करने का भी नवीन कार्य शुरू किया है ।

(viii) केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान

इस समय संस्थान अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, स्पेनी तथा जापानी भाषा के पाठ्यक्रम चला रहा है ।

संस्थान के 15 स्नातकोत्तर विभाग, शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्र और दो प्रादेशिक केंद्र हैं ।

वर्ष 1994-95 के दौरान संस्थान ने अंग्रेजी, भाषा विज्ञान, अंग्रेजी में संप्रेषण, दूरस्थ शिक्षा, फ्रेंच, जर्मन तथा रूसी भाषा के वि०अ०आ० पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए ।

शिक्षकों तथा व्यापारिक कार्यपालकों के लिए अनेक अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन करके अतिरिक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास किए गए । संस्थान ने भाषा विज्ञान, अंग्रेजी और साहित्य तथा अन्य संबद्ध विषयों में स्ववित्तीयन ग्रीष्म संस्थानों का भी आयोजन किया ।

(ix) डकन कालेज, पुणे

इस संस्थान को वर्ष 1993-94 में समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था । संस्थान ने पुरातत्व तथा भाषा-विज्ञान के विभाग में एम०ए० तथा पीएच०डी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश देना शुरू किया । दोनों ही विभागों में शिक्षकों तथा अनुसंधान स्टाफ ने अनेक अनुसंधान परियोजनाओं का कार्य किया । दस संकाय सदस्यों ने 7-11 दिसंबर, 1994 को दिल्ली में आयोजित विश्व पुरातत्त्व कांग्रेस में भाग लिया । संस्थान ने विस्तार कार्यक्रमों में भी सक्रिय भाग लिया ।

(x) दयालबाग शैक्षिक संस्थान

वर्ष के दौरान अनेक शिक्षक अपने शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए विदेश गए । संकाय द्वारा अनेक शोध पत्र भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए । अनेक शिक्षकों ने 'युवा वैज्ञानिक' पुरस्कार प्राप्त किए । अनेक शिक्षकों ने संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भी भाग लिया ।

(xi) केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान

संस्थान तिब्बती अध्ययनों के नौ वर्षीय पाठ्यक्रम तीन श्रेणियों - मध्यमा (पूर्व स्नातक), शास्त्री(स्नातक) और आचार्य (स्नातकोत्तर) के अंतर्गत चलाता है । इसमें चार संकाय तथा नौ विभाग हैं जो इस प्रकार हैं :-

संकाय

1. हेतु एवं अध्यात्म विद्या संकाय
2. शब्द विद्या संकाय
3. आधुनिक विद्या संकाय
4. तिब्बती चिकित्सा और ज्योतिष संकाय

विभाग

1. संस्कृत विभाग
2. सम्प्रदाय शास्त्र विभाग
3. सामाजिक विज्ञान विभाग
4. तिब्बती भाषा विभाग
5. शास्त्रीय और आधुनिक भाषा विभाग
6. मूल शास्त्र विभाग
7. चिकित्सा विद्या (तिब्बती आयुर्वेद) विभाग
8. शिल्प विद्या विभाग
9. ज्योतिष विद्या विभाग

मुख्य अनुसंधान एकक और परियोजनाएँ

1. पुनरुद्धार एकक
2. अनुवाद एकक
3. प्रकाशन एकक
4. कोश एकक
5. दुर्लभ बौद्ध पाठ परियोजना

(xii) श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय

इस महाविद्यालय को मई 1993 में समविश्वविद्यालय घोषित किया गया था । वर्ष 1994-95 के दौरान महाविद्यालय ने संस्कृत तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान स्नातक (बी॰एस॰ए॰एस॰) नामक पाठ्यक्रम शुरू किया है । इसमें संस्कृत, अंग्रेजी, जीवविज्ञान, लेखाशास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान और गणित विषय शामिल हैं ।

वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा पहले से चलाए जा रहे पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए ताकि जिन छात्रों को पहले प्रवेश दिया गया था वे अपने पाठ्यक्रम पूरे कर सकें ।

(xiii) बनस्थली विद्यापीठ

वर्ष 1994-95 के दौरान विद्यापीठ द्वारा निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए :-

1. एम०एससी० जैवप्रौद्योगिकी
2. सामाजिक विज्ञान (इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञान) में तथा अंग्रेजी (भाषा शिक्षण) में एम०फिल कार्यक्रम ।

समविश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्राप्त कर लेने के बाद जारी किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को और भी समुन्नत कर दिया गया है ।

आठ संकाय शिक्षकों ने शैक्षिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में भाग लिया तथा 14 शोध लेख/लेख भी प्रकाशित किए गए ।

पूर्वस्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन भी किया गया ।

विद्यापीठ ने स्तर एवं परीक्षा में सुधार के लिए अनेक उपाय किए ।

4.6 राज्य विश्वविद्यालय

विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत स्थापित किए गए 164 राज्य विश्वविद्यालय हैं । वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12 बी के अनुसार 17 जून, 1992 के पश्चात् स्थापित नवीन राज्य विश्वविद्यालय तब तक केंद्रीय सरकार, वि०अ०आ० अथवा केंद्रीय सरकार से निधि प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन से किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे जब तक कि आयोग विहित मानकों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार यह संतुष्टि नहीं कर लेता है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने योग्य है अथवा नहीं ।

फिलहाल, कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर 111 राज्य विश्वविद्यालय वि०अ०आ० से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं । पात्र विश्वविद्यालयों को विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदानों सहित विकास अनुदान प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उन आधार-संरचनात्मक सुविधाओं को प्राप्त कर सकें जो सामान्यतः उन्हें राज्य सरकार अथवा उनकी सहायता करने वाले अन्य निकायों से उपलब्ध नहीं होते हैं । संकाय के पदों, शैक्षिक भवनों, छात्रावासों, उपस्करों, पुस्तक तथा पत्रिकाओं, स्टाफ क्वार्टरों के लिए तथा ऐसी अन्य सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिससे शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि हो एवं सामाजिक जीवन को प्रोत्साहन मिल सके । यद्यपि प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए आम विकासार्थ परिव्यय की मात्रा का निर्णय योजना अवधि के प्रारंभ में ही कर लिया जाता है और यह उस विश्वविद्यालय के विकास की स्थिति के आधार पर निश्चित की जाती है तथापि विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त प्रस्तावों की जाँच के पश्चात् विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं ।

वर्ष 1994-95 के दौरान पाँच विश्वविद्यालयों को रु० 9,664.91 लाख के योजना विकास अनुदान प्रदान किए गए। नीचे, सारणी में योजना विकास अनुदान के राज्यानुसार आबंटन का विवरण दिया गया है।

राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदान
1994-95
(कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर)

राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	प्रदत्त अनुदान (रु० लाख में)
आंध्र प्रदेश	10	1033.70
असम	2	157.34
बिहार	7	244.14
हिमाचल प्रदेश	1	101.92
जम्मू और कश्मीर	2	203.91
गोआ	1	61.75
गुजरात	6	602.32
हरयाणा	2	228.85
कर्नाटक	7	534.74
केरल	4	348.45
मध्य प्रेदश	10	712.65
महाराष्ट्र	8	966.99
मणिपुर	1	37.26
उड़ीसा	4	391.60
पंजाब	3	465.09
राजस्थान	5	144.58
तमिलनाडु	12	944.45
त्रिपुरा	1	29.37
उत्तर प्रदेश	14	1504.55
पश्चिमी बंगाल	7	951.25
जोड़	**107**	**9664.91**

अध्याय-V

कालेजों को योजनागत और योजनेतर वित्तीय सहायता

5.1 वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कालेज

कालेजों में प्राय: पूर्वस्नातक स्तर पर कुल नामांकन का 85 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कुल नामांकन का 55 प्रतिशत नामांकन होता है । लेकिन केवल वही कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं जो वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 2(एफ) और 12 बी के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हैं । अनुदान की मात्रा विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर परिकलित की जाती है यथा शिक्षण का स्तर, छात्र और संकाय संख्या ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने असमानताओं और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, ग्रामीण अथवा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कालेजों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के कालेजों को विकास अनुदान देने में मानकों में ढील दी है । अनुदान सामान्यत: छात्रावास समेत भवन निर्माण तथा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने तथा शिक्षकों के संकाय सुधार कार्यक्रमों के लिए दिए जाते हैं ।

वर्ष 1994-95 के दौरान देश में कालेजों की संख्या 8613 (अनुमानित) है । इनमें से 4685 कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं । वर्ष 1994-95 के दौरान पात्र कालेजों ने रू० 4886.95 लाख के योजनागत अनुदान प्राप्त किए ।

5.2 कालेजों के लिए माडल मार्गनिर्देश

आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने उस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया जिसकी नियुक्ति आयोग द्वारा कालेजों को सहसंबंधित करने तथा उनको सहायता अनुदान प्रदान करने की शर्तों के संबंध में माडल मार्गनिर्देश तैयार करने के लिए की गई थी । मार्गनिर्देश राज्य सरकारों तथा संबद्ध विश्वविद्यालयों को भेज दिए गए हैं ।

5.3 कालेजों को योजनागत अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न राज्यों में विशेषज्ञ समितियां इस उद्देश्य से भेजीं ताकि कालेजों के प्रिंसिपलों, राज्य सरकारों तथा संबद्ध विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के परामर्श से आठवीं योजना के अंतर्गत कालेजों को दिए जाने वाले विकास अनुदान के परिव्ययों को अंतिम रूप दिया जा सके ।

इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार राज्य के 37 कालेजों के लिए रु०3.44 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया (इनमें वे स्नातकोत्तर विभाग भी शामिल हैं जिनको पहले शामिल नहीं किया गया था) । इस प्रकार 3966 कालेजों के लिए परिव्यय की राशि बढ़ाकर रु० 268.72 करोड़ कर दी गई । वर्ष 1994-95 के दौरान कालेजों को प्रदत्त विकास अनुदान समेत योजनागत अनुदान का राज्यवार ब्योरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :-

सारणी 5.1

कालेजों को योजनागत अनुदान 1994-95

क्र.सं.	राज्य	प्रदत्त अनुदान (रु० लाख में)
1.	आंध्रप्रदेश	468.06
2.	असम	156.49
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.02
4.	बिहार	288.10
5.	गुजरात	92.83
6.	गोवा	29.22
7.	हरयाणा	242.73
8.	हिमाचल प्रदेश	53.31
9.	जम्मू और कश्मीर	1.57
10.	कर्नाटक	331.49

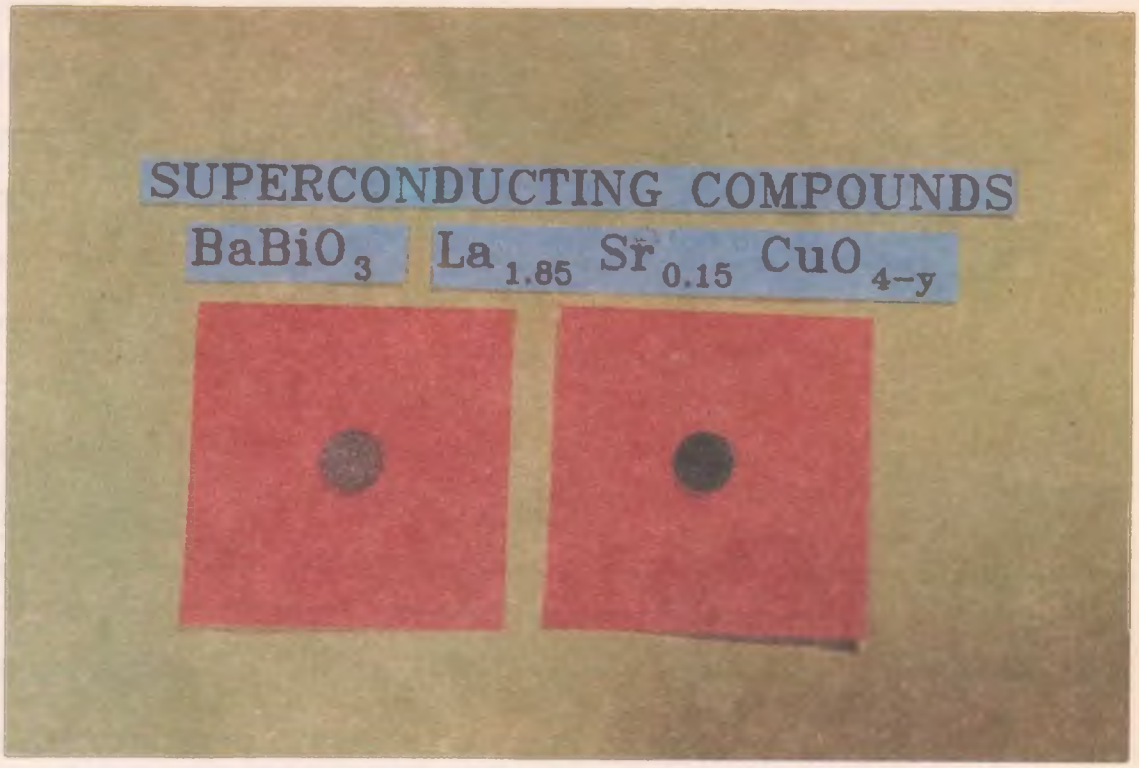

नाभिकीय भौतिकी विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा विकसित अतिचालन यौगिक।

11.	केरल	106.37
12.	मध्य प्रदेश	347.68
13.	महाराष्ट्र	633.93
14.	मणिपुर	10.39
15.	उड़ीसा	246.83
16.	पंजाब	225.08
17.	राजस्थान	265.11
18.	त्रिपुरा	1.60
19.	तमिलनाडु	530.34
20.	उत्तर प्रदेश	557.54
21.	पश्चिम बंगाल	298.10
	जोड़	**4886.79**

5.4 स्वायत्त कालेज

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक और योजना है जिसके अंतर्गत इसके संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा घोषित स्वायत्त कालेज अपने द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की विषय-वस्तु तथा गुणवत्ता के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं । ऐसे कालेज अपने परीक्षा प्रश्नपत्र तैयार करने और अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं । कालेज छात्रों का मूल्यांकन ऐसी डिग्रियां प्रदान करने के लिए करता है जिन्हें उनका मूल विश्वविद्यालय स्वीकार कर लेगा ।

स्वायत्त कालेज को प्रतिवर्ष रू॰ 4.00 लाख से लेकर रू॰ 7.00 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो उनके द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रमों और शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है ।

31.03.1995 तक 109 कालेज स्वायत्त कालेजों के रूप में काम कर रहे थे । इन कालेजों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :-

राज्य का नाम	कालेजों की संख्या
तमिलनाडु	44
आंध्रप्रदेश	20
मध्य प्रदेश	29
उड़ीसा	5
उत्तर प्रदेश	3
राजस्थान	6
गुजरात	2

5.5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कालेजों को योजनागत/योजनेतर सहायता

वर्ष 1994-95 के दौरान अनुरक्षण व्यय पूरा करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों को रु॰ 8030.65 लाख और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कालेजों को रु॰ 62.72 लाख की राशि प्रदान की गई । वर्ष 1994-95 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों को रु॰ 267.00 लाख और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कालेजों को रु॰1.68 लाख का योजनागत अनुदान प्रदान किया गया ।

5.6 शताब्दी समारोह अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक ऐसे कालेज को रु॰ 20.00 लाख की विशेष सहायता उपलब्ध कराता है जिसने अपने स्थापना के 100 या अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं । यह सहायता भवन निर्माण पर होने वाले पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए दी जाती है ।

० ० ० ० ०

अध्याय-VI

नवीन और अंत:विद्याशाखा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा अध्ययन

6.1 अतिचालकता कार्यक्रम

अतिचालकता के क्षेत्र में आधुनिक विकास तथा उसके संभावित अनुप्रयोगों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वि०अ०आ० वर्ष 1987 से विश्वविद्यालयों को मूलभूत और अनुप्रयुक्त - दोनों क्षेत्रों में शिक्षा एवं अनुसंधान क्षमताओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता रहा है । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एक स्थायी समिति वि०अ०आ० की सहायता करती है । समूह परिवीक्षण बैठकों तथा वार्षिक/छमाही रिपोर्टों के माध्यम से आवधिक समीक्षा करना इस कार्यक्रम की मूल विशेषता है ।

आयोग ने इस योजना की अवधि पांच वर्ष अर्थात् 01.04.1994 से 31.03.1999 तक और बढ़ा दी है और इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को सहायता भी उपलब्ध कराई है :-

1. अन्ना विश्वविद्यालय
2. एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय
3. पुणे विश्वविद्यालय
4. कल्याणी विश्वविद्यालय
5. बरकतुल्ला विश्वविद्यालय
6. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय
7. उत्कल विश्वविद्यालय
8. मद्रास विश्वविद्यालय
9. राजस्थान विश्वविद्यालय
10. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
11. दिल्ली विश्वविद्यालय
12. इलाहाबाद विश्वविद्यालय
13. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय

6.5 क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तीन उद्देश्य हैं :-

(i) संबंधित क्षेत्र की समस्याओं और संस्कृति से संबंधित विशेषीकृत अध्ययनों के लिए स्कालरों को प्रशिक्षित करना ।

(ii) अंतर-विद्याशाखा अनुसंधान का विकास करना ।

(iii) तुलनात्मक दृष्टि से शिक्षण और अनुसंधान का विकास करना ।

वर्ष 1994-95 के अंत तक 19 विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित 23 क्षेत्र अध्ययन केंद्र काम कर रहे थे जिनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 100 प्रतिशत सहायता मिल रही थी :-

1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	–	पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	–	नेपाल संबंधी अध्ययन केंद्र
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	–	चीनी एवं जापानी अध्ययन
4.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	–	दक्षिण-पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र
5.	बंबई विश्वविद्यालय	–	1. अफ्रीकन अध्ययन केंद्र 2. रूसी अध्ययन केंद्र
6.	मद्रास विश्वविद्यालय	–	दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन केंद्र
7.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	–	शहरी विकास एवं क्षेत्रीय योजना केंद्र
8.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	–	भारत-चीन अध्ययन केंद्र
9.	गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान	–	पूर्व-यूरोपीय अर्थशास्त्र केंद्र
10.	राजस्थान विश्वविद्यालय	–	दक्षिण एशिया जिसमें सरकार और राजनीति के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है ।
11.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	–	हिमालय संबंधी अध्ययन
12.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	–	1. खाड़ी के देश 2. रूसी अध्ययन 3. यूरोपीय अध्ययन

13.	कश्मीर विश्वविद्यालय	–	मध्य एशिया, मंगोलिया
14.	आंध्र विश्वविद्यालय	–	'सार्क' देशों में सहयोग की संभावनाएं
15.	गोवा विश्वविद्यालय	–	लेटिन अमरीकी देश
16.	मणिपुर विश्वविद्यालय	–	मणिपुरी और जनजातीय अध्ययन
17.	जामिया मिलिया इस्लामिया	–	1. विकासशील देशों की अकादमी 2. फेडरल अध्ययन केंद्र
18.	पुणे विश्वविद्यालय	–	रक्षा और सामरिक अध्ययन
19.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	–	भारतीय डायसपोरा अध्ययन

o o o o o

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

है और अब इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई आई टी) और अन्य संस्थानों के अलावा 41 विश्वविद्यालय और 22 कालेज सम्मिलित हैं । वर्ष 1994 में, विभिन्न प्रकार की 25 बीमें प्रयोक्ताओं को दी गई थीं ।

बृहत् अनुनाद अध्ययनों के लिए उच्च ऊर्जा गामा किरण परीक्षणों के लिए स्थापित No.I संसूचक चालू किया गया है । उच्च चक्रण (स्पिन) स्पेक्ट्रामिकी अनुसंधान उपयोगी पाया गया है और चूंकि अतिरिक्त सुविधाएँ (प्लंजर एवं लघु-औरेन्ज स्पेक्ट्रममापी) पूर्ण हो गई हैं इसलिए अब यह और प्रभावी सिद्ध होगा । आवेशित कण संसूचक व्यूह (सी पी डी ए) परियोजना डी एस टी द्वारा निधीयन के लिए अनुमोदित कर दी गई है । प्रतिक्षेप एवं प्रक्षेप्य आयनों के बीच संपात की पद्धति (एस सी ओ आर पी आई ओ एन ओ जो प्रयोक्ताओं के लिए आयन-परमाणु संघट्टों से उत्पादित उच्च आवेशित मंद गतिमान प्रतिक्षेप आयनों के अध्ययन के लिए नई सुविधा है) विश्वविद्यालय परियोजना के लिए वि॰अ॰आ॰ के निधीयन से प्रारंभ की गई है ।

"प्रतिक्षेप पृथक्कारकों और संसूचक ब्यूहों के साथ भौतिकी" पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 30 जनवरी से 2 फरवरी, 1995 तक आयोजित की गई थी जिसमें भारत और विदेशों के लगभग सौ वैज्ञानिकों ने भाग लिया था । इससे हमारे वैज्ञानिकों को इसी प्रकार की सुविधाओं से भौतिकी से संबंधित किए गए कार्य पर समीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ ।

संदर्भित पत्रिकाओं में अब 65 लेख (प्रस्तुत लेखों सहित) प्रकाशित किए गए हैं ।

7.2 खगोल-विज्ञान तथा खगोल-भौतिकी के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र, पुणे (आई यू सी ए ए)

वर्ष के दौरान, इस केंद्र ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न विश्वविद्यालय/कालेज परिसरों में चार वैज्ञानिक बैठकों को संचालित और प्रायोजित किया । आई यू सी ए ए परिसर में भी 15 बैठकें आयोजित की गई थीं जिनमें से तीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थीं ।

केंद्र के शैक्षिक सदस्यों द्वारा लिए गए अनुसंधान के परिणामस्वरूप 39 शोध-पत्र विख्यात पत्रिकाओं और सम्मेलन-कार्यवाहियों में प्रकाशित हुए थे । साथ ही वर्ष के दौरान, केंद्र में 574 लोग शैक्षिक अध्ययन के लिए आए । केंद्र में 58 ऐसोशिएट कार्यरत हैं ।

7.3 क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, बंगलौर

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, दक्षिणी क्षेत्र में विश्वविद्यालय विज्ञान यंत्रीकरण केंद्रों के साथ यंत्रीकरण में अंत:विषयक अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास का समन्वय करता रहा है । वर्ष 1994-95 के दौरान प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार थीं :-

(क) **विश्लेषणात्मक यंत्रीकरण**

आयन ट्रेप, आयन साइक्लोट्रोन अनुनाद और उड़ान का समय जैसे विभिन्न प्रकार के संहति(मास) विश्लेषकों की खोज की ।

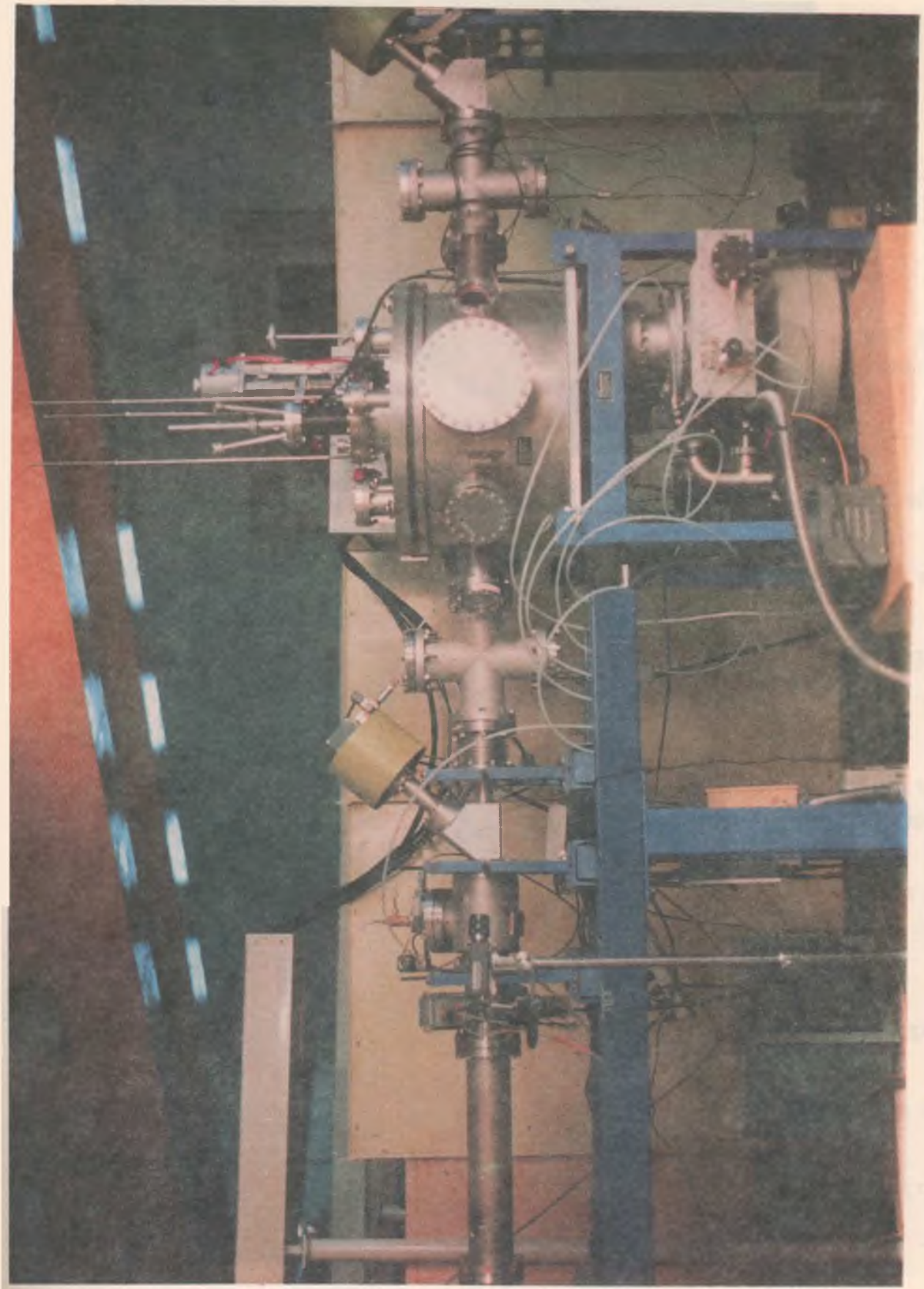

04 जून 94 सामग्री विज्ञान बीम लाइन और देश में ही निर्मित नाभिकीय विज्ञान केंद्र,
नई दिल्ली का अल्ट्रा उच्च निर्वात चैम्बर।

(ख) **उच्च दाब तकनीकें**

एक क्रोकंट्रोलर आधारित बंद लूप दाब नियंत्रण का विकास किया है जिससे जलीय पद्धति में तैलीय दाबों का नियंत्रण किया जा सकता है ।

(ग) **इलेक्ट्रोनिक्स**

स्वत: संतोलक ए सी ब्रिज के आधार पर अनुपात (रेशियो) ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हुए निम्न प्रति-बाधा का निर्धारण करने के लिए कम्प्यूटर आधारित मापन तकनीकों का विकास किया गया है ।

(घ) **लेसर और प्रकाशिक यंत्र**

प्रकाशीय टोमोग्राफी : अपवर्तन सुधार कलनविधि (एल्गोरिथ्म) का उपयोग किया गया और पुनर्रचनाओं को प्रदर्शित किया गया ।

संकर प्रकाशीय अंकीय संसाधक : फोकस बाह्य चित्रों को सुधारने के लिए संकर संसाधक को परीक्षण के रूप में उपयोग किया गया ।

पी आई वी जांच पद्धति : कण प्रतिबिंब वेगमापी जांच (पी आई वी) पद्धति के अंतर्गत परिशुद्ध एक्स-वाई ट्रांसलेशन चरण के साथ प्रकाशीय फीडबैक का निर्माण होता है ।

(ड.) **लेसर और सामग्री अन्योन्यक्रिया**

बहुलक लेपित तनु फिल्म पर ऐप्रोबेल प्रकाश बीम के प्रकाश नियंत्रित तीव्र माडुलन का अध्ययन यथा, प्रकाश माडुलन के विकास के लिए प्रकाश प्रेरित अरेखीय प्रभाव बनाया जाता है ।

माइकलसन व्यतिकरणमापक (इंटरफेरोमीटर) का उपयोग करते हुए बहुलक तनु फिल्मों के लिए विद्युत-प्रकाशीय गुणांक का व्यतिकरणमापी पद्धति से आकलन विकसित किया जाता है ।

(च) **संसक्त प्रकाशिकी**

5-800 एच जेड के परास में आयाम और कंपन की बारंबारता के मापन के लिए एक फाइबर ऑप्टिक संवेदक विकसित किया गया है ।

पी वी पेनलों के लिए उपयुक्त मेक्सीमम पाइंट पॉवर ट्रेकर (एम पी पी टी) का विकास एवं परीक्षण किया गया है ।

85 सेंटीग्रेड पर 1,00,000 लीटर पानी प्रतिदिन के लिए सौर ऊर्जा जल संयंत्र का डिजाइन पूरा कर लिया गया है ।

(छ) निर्वात और तनु फिल्में

प्लाज़्मा के गुण और प्रकाशिकी उत्सर्जन स्पेक्ट्रमिकी का उपयोग करके फेसिंग टार्गेट स्पुटिरिंग पद्धति के लक्षणों का विश्लेषण किया गया है ।

पी सी से नियंत्रित, एक घूर्णी क्रूसिबल इलेक्ट्रोन बीम निक्षेपण पद्धति विकसित की गई है । इससे अपेक्षित संरचना की धातु आक्साइड फिल्मों का लेपन ठीक-ठीक, आसानी से और बार-बार किया जा सकता है ।

एक स्पैक्ट्रा रेडियोमीटर का निर्माण और परीक्षण किया गया है । यह तरंग-दैर्ध्य और आपतन के कोण के कार्य के रूप में तनु फिल्म विलेपन की परावर्तकता और पारगम्यता को मापता है ।

आई आई टी/ए आई आई एम एस, नई दिल्ली में डेवेलप तनु फिल्म जैव-चिकित्सीय रक्त दाब ट्रांसड्यूसर पर परीक्षण किया गया ।

विकिरण संवेदक विकसित करने के प्रारंभिक प्रयत्न किए गए । प्रकाशन-20 ।

9 व्यक्तियों ने भारत में तथा एक ने विदेश का दौरा किया ।

देश की संस्थाओं से 4 शिक्षाविदों/वैज्ञानिकों ने और विदेशों से 2 शिक्षाविदों/वैज्ञानिकों ने संस्थान का दौरा किया ।

(झ) कार्यशालाएँ

क्षेत्रीय यंत्रीकरण संस्थान का एक प्रमुख उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालय में मानव संसाधनों का विशेषीकृत विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि सहभागियों को अद्यतन गतिविधियों से अवगत कराया जा सके । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए गए हैं :

1.	पीसी आधारित यंत्रीकरण और सूक्ष्म नियंत्रक	6-19 जून, 1994
2.	लेसर और आधुनिक प्रकाशिकी	7-18 नवंबर, 1994
3.	निर्वात और तनु फिल्म तकनीकें	12-23 दिसंबर, 1994
4.	विश्लेषणात्मक यंत्रीकरण	13-24 फरवरी, 1995

संस्थान के सात व्यक्तियों ने भारत में और एक व्यक्ति ने विदेश में सम्मेलन/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लिया और इस संबंध में भारत में 9 व्याख्यान और विदेश में 12 व्याख्यान दिए गए ।

7.4 परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) सुविधाओं के लिए अंतर्विश्वविद्यालय संकाय

(i) अंतर्विश्वविद्यालय संकाय - इंदौर केंद्र

वर्ष के दौरान, इंदौर में फोटो-इलेक्ट्रोन स्पेक्ट्रोस्कापी बीम लाइन और फोटो इलेक्ट्रोन स्पेक्ट्रोमीटर का निर्माण पूरा कर लिया गया था । मिरर चेम्बर के हिस्से-पुर्जों का निर्माण और परीक्षण किया जा चुका है ।

जॉबिन-यूवान से एक इंजीनियर ने उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र और अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र, इंदौर का दौरा, गवाक्षहीन निम्न दाब विसर्जन यूवीयू स्रोत का उपयोग करते हुए, ग्रेटिंग्स के साथ पूर्ण मोनोक्रोमीटर का परीक्षण करने के लिए किया ।

एक सोफ्ट एक्स-रे प्रणाली का संयोजन और परीक्षण किया गया है । चैनलट्रोन संसूचक, दीर्घ डी-स्पेसिंग क्रिस्टल प्राप्त हो गए हैं । जून, 1995 में प्रयोगात्मक चेम्बर प्राप्त होने जाने के पश्चात् प्रणाली के चालू होने की संभावना है ।

मई, 1994 में एक पुराना हीलियम द्राविन्त्र चालू किया गया था । लगभग 1000 लीटर द्रव्य हीलियम लघु डेवार्स को स्थानांतरित किया गया था ।

वर्ष 1994-95 के दौरान निम्नलिखित नई सुविधाएँ भी जोड़ी गई थीं :-

(क) छह नमूनों को एक साथ मापने के लिए एक स्वचालित प्रतिरोधकता यंत्र स्थापित किया गया ।

(ख) एक स्वचालित निम्न आवृत्ति एसी चालकता प्रणाली को चालू कर दिया गया है ।

(ग) आंतरिक घर्षण और ध्वनि वेग के लिए स्थापित कंपन रीड को स्वचालित कर दिया गया है ।

वर्ष 1994-95 के दौरान, तीन राष्ट्रीय कार्यशालाओं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया था । केंद्र ने संदर्भित पत्रिकाओं में 13 शोध-पत्र प्रकाशित किए और राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 16 शोध-पत्र प्रस्तुत किए ।

(ii) अंतर्विश्वविद्यालय संकाय - कलकत्ता केंद्र

वर्ष के दौरान मासबौर प्रयोगशाला और रसायन प्रयोगशाला के सी ई एम एस संसूचक को चालू कर दिया गया था और यांत्रिकी इंजीनियरी कार्यशाला में आई.जी. वेल्डिंग मशीन, शीट रोलिंग इलेक्ट्रिक आर्क और गैस वेल्डिंग उपस्करों को लगा दिया गया था ।

इस अवधि के दौरान, केंद्र ने 4 कार्यशालाएँ आयोजित कीं । केंद्र द्वारा तैयार किया गया एक शोध-पत्र प्रकाशन के लिए स्वीकृत किया गया था और 4 शोध-पत्र परमाणु ऊर्जा विभाग के नाभिकीय भौतिकी पर संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए ।

(iii) **अंतर्विश्वविद्यालय संकाय - बंबई केंद्र**

26 चालू परियोजनाओं में से 9 प्रस्ताव 31.03.95 तक पूरे हो गए और दो प्रस्तावों को प्रगति के अभाव में समाप्त कर दिया गया । वर्ष 1994-95 के दौरान 15 नई परियोजनाएँ संस्वीकृत की गईं ।

संदर्भित पत्रिकाओं में 8 शोध-पत्र प्रकाशित किए गए हैं, 5 भेजे जा रहे हैं और 11 शोध-पत्र अंतर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए हैं ।

आई यू सी प्रायोजित परियोजना में कार्यरत एक अनुसंधान छात्र ने भावनगर विश्वविद्यालय को पीएच.डी. शोध-प्रबंध प्रस्तुत कर दिया है ।

3 से 15 मार्च, 1995 तक आयोजित न्यूट्रान प्रकीर्णन में परिकलनी तकनीकों की कार्यशाला में 39 भागीदारों ने भाग लिया ।

7.5 क्रिस्टल संवृद्धि केंद्र, मद्रास

वर्ष 1994-95 के दौरान, विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के 15 अनुसंधानकर्ताओं को संवृद्धि तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया था ।

केंद्र ने, क्रिस्टल संवृद्धि के विभिन्न पक्षों से संबंधित एक अनुसंधान परियोजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एक-एक परियोजना वि॰अ॰आ॰ एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रारंभ की है । वर्ष 1994-95 के दौरान, एक यू पी एस प्रणाली तीन क्षेत्रीय द्रव्य फेज एप्टैक्सियल प्रणाली और स्केनिंग इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी को व्यावहारिक रूप दे दिया गया है । केंद्र ने एक संगोष्ठी और एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल का संचालन किया । संकाय के एक सदस्य डॉ॰ जे॰ कुमार ने परमाणु ऊर्जा विभाग - युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त किया । डॉ॰ के॰ भास्कर को नायोगा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, जापान में कार्य करने के लिए जापानी फैलोशिप प्रदान की गई है ।

7.6 सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क कार्यक्रम (इन्फिलिब्नेट)

इन्फिलिब्नेट कार्यक्रम जो पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण धीमे पड़े हुए थे उन्हें वर्ष 93-94 में वि॰अ॰आ॰ द्वारा 11 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों और वर्ष 1994-95 में 43 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के निधीयन से पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । बहुत-से पुस्तकालयों में कम्प्यूटर हैं और इन्फिलिब्नेट ने इन पुस्तकालयों में कम्प्यूटरों को चालू करने के लिए अपने दल भेजे । डेसीडोक(DESIDOC) के सहयोग से, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर का विकास प्रगति पर है । विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में, सूची-पत्र खोजने और परिचालन के मॉड्यूल पहले ही संस्थापित कर दिए गए हैं ।

इन पुस्तकालयों की नेटवर्किंग के लिए अरनेट (ERNET), निकनेट (NICNET) और आई-नेट (I-NET) की सहायता ली जा रही है ।

इन्फिलिब्नेट द्वारा शैक्षिक सामग्री का केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार किया जा रहा है । 60 से अधिक विश्वविद्यालयों से प्राप्त डाटा को पहले ही इस डाटा बैस में सम्मिलित कर लिया गया है । अभी तक, 5 लाख पुस्तकों, पत्रिकाओं और शोध-प्रबंधों/शोध-निबंधों के डाटा का विकास कर लिया गया है । यह डाटाबेस धीरे-धीरे बढ़ रहा है और यह एक राष्ट्रीय यूनियन सूची-पत्र के रूप में ऑन-लाइन पर उपलब्ध होगा । इस डाटाबेस को लगाने और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को ऑन-लाइन सुविधा प्राप्त कराने के लिए उपयुक्त कम्प्यूटर प्रणाली के संस्थापन और चालू करने का कार्य प्रगति पर है । इन्फिलिब्नेट विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को उनके रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण करने के लिए अपनी अधिप्रमाणित मूल फाइल से डाउनलोडिग की सुविधा प्रदान करके सहायता कर रहा है ।

31.03.1995 तक, 90 शैक्षिक पुस्तकालयों के कार्मिकों को, जिनमें कार्यपालक भी सम्मिलित हैं, कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय संचालन और प्रबंध में प्रशिक्षित किया गया है । हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से हैदराबाद में फरवरी, 95 में "नेटवर्किंग के माध्यम से सूचना तक पहुँच" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था । पूरे देश से 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में उत्साहपूर्वक और सक्रिय रूप से भाग लिया और इन्फिलिब्नेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए ।

7.7 मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र, शिमला

इस अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र की शैक्षिक गतिविधियों के तीन बुनियादी घटक हैं यथा, एसोशिएटशिप की योजना, अनुसंधान संगोष्ठियों को आयोजित करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं पर अध्ययन सप्ताहों का आयोजन करना । वर्ष 1994-95 के दौरान, विश्वविद्यालयों और कालेजों के 47 शिक्षकों ने एक माह की अवधि के लिए एसोसिएट के रूप में केंद्र में कार्य किया ।

वर्ष के दौरान निम्न तीन अनुसंधान संगोष्ठियाँ आयोजित की गई थीं :-

(क) गोहाटी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में साहित्यिक मूल-पाठों की व्याख्या ।

(ख) सामाजिक विज्ञानों का स्कूल, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम में "प्रौद्योगिकी, परिवर्तन और विकास" ।

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में "सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता" ।

अध्ययन सप्ताहों का आयोजन प्रायः शिमला में किया जाता है । भारत के विभिन्न भागों से प्रख्यात विद्याविदों को आमंत्रित किया जाता है । वर्ष के दौरान, तीन अध्ययन सप्ताहों का आयोजन किया गया था ।

केंद्र की पत्रिका का प्रथम अंक नवंबर, 94 में निकला ।

7.8 पश्चिमी क्षेत्रीय यंत्रीकरण केंद्र, बंबई

वर्ष 1994-95 में, पिछले वर्षों में प्रारंभ किए गए कार्यों के समन्वय का कार्य किया गया और नई सेवाओं, गतिविधियों और कार्यक्रमों के फलस्वरूप कार्य का पर्याप्त विस्तार हुआ है ।

विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किए गए निधीयन द्वारा दो प्रायोजित परियोजनाओं को केंद्र में पूरा कर लिया गया है । चार अनुसंधान और विकास की प्रायोजित परियोजनाएँ प्रगति पर हैं ।

वर्ष के दौरान, केंद्र ने 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का और "सेंसर और ट्रांसड्यूसर" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया । शिक्षकों के लिए दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था । उक्त कार्यक्रमों के आयोजन से डब्ल्यू आर आई सी - यू एस आई सी एस को पर्याप्त बल मिला है ।

केंद्र ने बंबई और एस एन डी टी विश्वविद्यालयों के विभागों और कालेजों के उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव करना जारी रखा । विश्लेषनात्मक यंत्रों, निर्वात गेजों, प्रकाशिकी यंत्रों, इलेक्ट्रोनिक संतोलकों और फाइबर परीक्षण उपस्करों के लिए अंशांकन सेवाएँ प्रदान की गईं ।

केंद्र ने विश्वविद्यालय कार्यालय और विभागों को लगभग 100 पी सी और प्रिंटर की अधिकृत रखरखाव सेवा प्रदान की ।

भारत में आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों/परिचर्चाओं में केंद्र के चार स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया । भारत के भीतर विभिन्न विश्वविद्यालयों ने संकाय के आठ सदस्यों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया ।

पत्रिकाओं में चार शोध-पत्र प्रकाशित किए गए हैं ।

7.9 शैक्षिक संचार संकाय, नई दिल्ली

शैक्षिक संचार संकाय (सी ई सी) की स्थापना वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12 सी सी सी के अधीन और पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 26 जून, 1993 को की गई थी ताकि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित सात शैक्षिक मीडिया अनुसंधान केंद्रों और दस दृश्य-श्रव्य अनुंसधान केंद्रों की चालू मीडिया गति-विधियों को बनाए रखने और उनमें वृद्धि करने के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान किया जा सके । यह संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है, संबंधित क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकीय निकायों की छानबीन करके उन्हें कार्यान्वित करता है और मीडिया संबंधित गतिविधियों के मामले में नीति संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करता है । शैक्षिक संचार संकाय के शासी निकाय की प्रथम बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया :

> "अनुसंधान और शिक्षा की गुणता में सुधार का कार्य - विशेष रूप से सुविधावंचितों के लिए - यह कार्य इलेक्ट्रोनिक मीडिया के उपयोग और/या अन्य प्रौद्योगिकियों के द्वारा परंपरागत साधनों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा ।"

उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संकाय ने मीडिया केंद्रों के निदेशकों की आवधिक बैठकों का आयोजन किया ताकि उनकी गतिविधियों का आकलन किया जा सके और उनके द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की जांच के साथ-साथ उन्हें कार्यक्रमों की गुणता के संबंध में सलाह दी जा सके । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समन्वयकों की बैठकें पटियाला (अगस्त, 94), नई दिल्ली (दिसंबर, 94) और मदुरै (मार्च, 95) में आयोजित की गईं ।

कार्यक्रमों के कैप्स्यूल तैयार करने और संपादन के अतिरिक्त संकाय ने "योर्स सिन्सियरली" मासिक कार्यक्रम का निर्माण भी शुरू कर दिया है । इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का उद्देश्य यह है कि दर्शकों के विचारों (जिन्हें वे पत्रों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं) को प्रस्तुत किया जाए और उनके प्रश्नों और टिप्पणियों का उत्तर दिया जाए । प्रारंभिक चरण पर यह कार्य ई एम आर सी कलकत्ता द्वारा किया गया और संकाय ने मार्च, 1994 से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति का कार्य अपने हाथ में ले लिया ।

सी ई सी द्वारा प्रस्तुत किया गया "वीक अहेड" कार्यक्रम दर्शकों को आगामी कार्यक्रमों के बारे में सूचित करने और उन कार्यक्रमों को उन्हें देखने के लिए आकर्षित करने के लिए बनाया गया था । यह आवश्यक भी था क्योंकि दूरदर्शन अपने साप्ताहिक कार्यक्रम "साप्ताहिकी" में देशव्यापी कक्षा प्रसारण के पूरे सप्ताह को केवल दो मिनट ही देता था । "वीक अहेड" एक द्रुत गति वाला कार्यक्रम है जिसमें प्रसारक/सूत्रधार संक्षेप में अगले सप्ताह के कार्यक्रमों को उनकी झलक के साथ प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त, संकाय पर्याप्त संख्या में दर्शकों को और देश के अधिकांश समाचार-पत्रों को प्रकाशन के लिए कार्यक्रमों की मासिक अनुसूची परिचालित करता है । कार्यक्रमों के प्रसारण से एक माह पहले मासिक अनुसूची घोषित कर दी जाती है ।

दर्शक अनुसंधान से प्राप्त फीड बैक के आधार पर यह वांछनीय लगा कि प्रसारण समय में परिवर्तन करना चाहिए । दूरदर्शन प्राधिकारियों से लगातार बातचीत के पश्चात् देशव्यापी कक्षा कार्यक्रमों के प्रसारण समय में परिवर्तन कर दिया गया है । यह प्रसारण सप्ताह में छह दिन (रविवार को छोड़कर) दोपहर 1.00 बजे से 2.00 तक जारी रहता है और दोपहर 4.00 बजे से 5.00 बजे तक के समय को बदलकर सायं 6.00 बजे से 7.00 बजे तक इनका प्रसारण किया जाता है । समय में परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि खेलकूद कार्यक्रमों और अन्य कारणों से इस प्रसारण को रद्द करने की संभावना अधिक थी । समय में परिवर्तन के साथ रद्द करने की संभावना भी नगण्य हो गई है । इस संदर्भ में, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हिंदी प्रसारण (देशव्यापी कक्षा) प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 6.00 बजे से 6.30 बजे तक किया जाता है ।

"न्यू कम्यूनिकेशन टेक्नॉलाजी" पर अंतः क्रियात्मक दूरदर्शन पाठ्यक्रम (टेली-कोर्स) का आयोजन 15 से 24 दिसंबर, 1994 तक देशव्यापी कक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से दोपहर 1.00 बजे से 2.00 बजे तक किया गया था । प्रत्येक दिन पूर्व-रिकार्ड किया गया 25 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया गया जिसमें ई-मेल, फाक्स, उपग्रह संचार एवं रेडियो पेजिंग से संबंधित प्रौद्योगिकियों और उनके अनुप्रयोगों को स्पष्ट किया गया । इसके तत्काल बाद अन्योन्यक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाता था जिसमें भाग

लेने वाले 15 स्थानों से संपर्क स्थापित करके अपने प्रश्नों के उत्तर विशेषज्ञों के दल से प्राप्त कर सकते थे । यह कार्यक्रम शैक्षिक संचार संकाय द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से चलाया गया था । इस कार्यक्रम के बारे में दर्शक की अनुक्रिया बहुत अच्छी है और अंत: क्रियात्मक दूरदर्शन-पाठ्यक्रम "इंटरएक्टिव टेली-कोर्स" की अगली शृंखला शीघ्र ही प्रसारित की जाएगी ।

आलोच्य वर्ष के दौरान, संकाय ने विभिन्न मीडिया केंद्रों से अंग्रेजी के 9206 मिनट की अवधि के 485 कार्यक्रम और हिंदी के 1521.23 मिनट की अवधि के 67 कार्यक्रम प्राप्त किए हैं । इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है संकाय ने साप्ताहिक कार्यक्रम यथा "द् वीक अहेड", मासिक कार्यक्रम, यथा "योर्स सिन्सियरली" और एक वर्षगांठ कार्यक्रम का भी निर्माण किया है । इस प्रकार के कार्यक्रमों की कुल अवधि अंग्रेजी में 1736 मिनट और हिंदी में 36 मिनट थी ।

संकाय ने, पर्यावरण जागरूकता, स्वच्छ पेयजल और एड्स की रोकथाम जैसे समसामयिक विषयों पर भी कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में कदम उठाए हैं ।

मॉडल कोर्स वीडियो लेक्चरों के संपादन के बारे में भी कदम उठाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनमें किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि नहीं है और ये उपयुक्त फार्मेट में हैं । अभी तक, पूर्ण मॉडल कोर्स वीडियो लेक्चर पांच विषयों यथा, भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज विज्ञान पर शैक्षिक संचार संकाय (सीईसी) को प्राप्त हो गए हैं और कुछ अन्य विषयों के टेप भी प्राप्त हुए हैं जो अभी पूरे नहीं हैं । इस प्रकार कुल 2000 टेप प्राप्त हुए हैं ।

कैसेटों की बिक्री से और अपनी वर्तमान आधार-संरचना के माध्यम से व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करके संकाय अपने संसाधनों में वृद्धि करने की कोशिश कर रहा है । वर्ष के दौरान, ऐसा करके संकाय ने लगभग 3.5 लाख रुपए अर्जित किए हैं । हालांकि यह राशि शैक्षिक संचार संकाय के कार्य से संबद्ध व्यय की तुलना में नगण्य है, तथापि सी ई सी के समझौता ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में यह एक अच्छी शुरूआत है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संकाय की पहचान एक नोडल निकाय के रूप में की है ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई शैक्षिक सामग्री के विपणन की संभावनाओं की खोजा जा सके । इस संबंध में, भाग लेने वाले निकायों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और निदेशक, शैक्षिक संचार संकाय (सी ई सी) के पर्यवेक्षण के अधीन इस परियोजना के कार्य की देखभाल करने के लिए परियोजना समन्वयक की नियुक्ति करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

० ० ० ० ०

अध्याय–VIII

भारतीय संस्कृति, विरासत और मूल्यों का संवर्धन तथा परिरक्षण

8.1 गांधी अध्ययन

इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में गांधी अध्ययन केंद्र तथा गांधी भवन स्थापित करने तथा शिक्षकों और छात्रों को महात्मा गांधी के दर्शन और विचारों से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हेतु 100 प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक स्थायी विशेषज्ञ समिति है जो इस संबंध में विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करती है । 31.03.95 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 17 गांधी अध्ययन केंद्र तथा 8 गांधी भवन स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की । महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा लिखित या उनके जीवन और मिशन पर लिखित पुस्तकों की खरीद के लिए सभी पात्र कालेजों (प्रत्येक) को रु॰ 5000/– का अनुदान उपलब्ध कराएगा । यह राशि आठवीं योजना विकास सहायता स्कीम के अंतर्गत कालेजों के लिए पहले से अनुमोदित आबंटन राशि के अतिरिक्त होगी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक उप–समिति ने विभिन्न सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित गांधी विचारधारा तथा मूल्यों पर हिंदी और अंग्रेजी में पुस्तकों की सूची को अंतिम रूप दिया है । उप–समिति द्वारा संस्तुत पुस्तकों के अलावा, कालेज स्थानीय प्रकाशकों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में भी पुस्तकें खरीद सकते हैं ।

8.2 बौद्ध अध्ययन

बौद्ध अध्ययनों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों को योजनागत आबंटित राशि के अधीन शत–प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 31.03.1995 तक बौद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए पांच विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की ।

8.3 नेहरू अध्ययन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग-निर्देशों के अनुसार, जो विश्वविद्यालय गांधी अध्ययनों पर कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं वे अपने कार्यक्रमों में नेहरू अध्ययनों को भी शामिल कर सकते हैं ताकि आधार-संरचना का विस्तार न हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेहरू अध्ययन कार्यक्रमों के लिए 100 प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता है । तदनुसार, जिन विश्वविद्यालयों में गांधी अध्ययन केंद्र स्थित हैं वे नेहरू अध्ययन कार्यक्रम भी संचालित कर रहे हैं । इसका उद्देश्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नेहरू दर्शन एवं दृष्टिकोण तथा उनके विचारों की प्रासंगिकता का ज्ञान कराना है ।

31.03.95 को वि०अ०आ० ने नेहरू अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए दो विश्वविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराई ।

गांधी/नेहरू/बौद्ध अध्ययनों से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत इन अध्ययनों के लिए केंद्र और पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने, 3 से 6 महीने तक की अवधि वाले अंशकालिक पाठ्यक्रम संचालित करने, इन अध्ययनों पर पाठ्यक्रम या पेपर संचालित करने वाले अन्य विभागों को शिक्षण सहायता प्रदान करने, अनुसंधान कार्य करने तथा संगोष्ठियां आदि आयोजित करने के लिए वि०अ०आ० से सहायता प्राप्त की जा सकती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना अवधि के दौरान एक बार विशेषज्ञ-निरीक्षण समितियों के माध्यम से इन केंद्रों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है । यदि केंद्र का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो वि०अ०आ० द्वारा दी गई सहायता को बंद किया जा सकता है ।

8.4 क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र (भंजा साहित्य)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र, भंजा साहित्य के लिए बरहामपुर विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान करता रहा है । यह केंद्र क्षेत्रीय साहित्य विशेषत: उपेंद्र भंजा के साहित्य से संबंधित अनुसंधान सामग्री एकत्र कर रहा है ।

8.5 मणिपुरी अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र तथा जनजातीय अध्ययन केंद्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के दो केंद्रों को सहायता प्रदान करता रहा है । इनमें से एक है, मणिपुरी भाषा, साहित्य, संस्कृति, पांडुलिपि विज्ञान आदि के विषय में अनुसंधान करने के लिए स्थापित किया गया केंद्र और दूसरा है, मणिपुर के जनजातीय विकास के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों की अंत:विद्याशाखा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए स्थापित किया गया जनजातीय अध्ययन केंद्र ।

8.6 मूल्यपरक शिक्षा

मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों में समान रूप से उन सभी वांछनीय मूल्यों को बढ़ावा देना है जो राष्ट्रीय अस्मिता, शांतिप्रिय एवं सामंजस्यपूर्ण समाज को कायम रखने के लिए आवश्यक हैं । चूंकि समाज के विभिन्न अंगों में व्यावसायिक प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और रोजगार

प्राप्त करने के लिए कठिन प्रतियोगिता से गुजरना पड़ता है अतः उक्त परीक्षाओं में अच्छी तरह सफल होने के लिए छात्र और शिक्षक परीक्षा-निष्पादन से संबंधित पहलुओं को छोड़कर अन्य सभी पहलुओं की अनदेखी करने के लिए बाध्य हो रहे हैं । आमतौर पर यह देखने में आया है कि शिक्षा प्रणाली में मूल्य शिक्षा संबंधी अपेक्षाएं पर्याप्त रूप से पूरी नहीं की जा रही हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि वे मूल्य तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं जिनके आधार पर नागरिकों के व्यवहार और राष्ट्रीय जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण होता है । अतः मूल्यपरक शिक्षा की योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कालेजों को मूल्य संबंधी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध कराना है ।

इस योजना के अंतर्गत मूल्य-शिक्षा के औपचारिक पाठ्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध नहीं की जा सकती । विशेष रूप से तैयार किए गए उन्हीं कार्यक्रमों को निर्धारित अवधि अर्थात् 2 या 3 वर्ष के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा । विश्वविद्यालय से यह आशा की जाती है कि वह एक या दो ऐसे संकाय सदस्यों का पता लगाएगा जो मूल्य शिक्षा में रुचि रखते हों और इस संबंध में एक परियोजना प्रस्ताव तैयार कर सकें । नेमी कार्यों यथा - मूल्य शिक्षा संबंधी पुस्तकें प्रकाशित कराने या साहित्य की नेमी तैयारी या वितरण करने अथवा दूरस्थ स्थानों के लिए अध्ययन दौरे आयोजित करने के लिए सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।

8.7 व्यावहारिक हिंदी पाठ्यक्रम

हिंदी शिक्षा समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चुनिंदा विश्वविद्यालयों को अनुवाद तथा पत्रकारिता - प्रत्येक में क्रमशः दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुदान मंजूर किया है ।

प्रत्येक राज्य से यह आशा की जाती है कि वह प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए दो विश्वविद्यालयों का चयन करेगा । आयोग एक प्रोफेसर, एक रीडर की नियुक्ति और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद तथा अतिथि लेक्चररों को मानदेय प्रदान करने के लिए अनुदान देगा ।

विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने रु॰10 लाख का प्रावधान किया है ।

आयोग व्यावहारिक हिंदी में कुछ पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में विचार कर रहा है जिनमें रोजगार की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण तत्व शामिल किए जाएंगे । ये पाठ्यक्रम हैं :-

(1) स्नातक स्तर पर ऐच्छिक बिषय के रूप में व्यावहारिक हिंदी ।

(2) व्यावहारिक हिंदी में बी.ए.(आनर्स)

(3) एम.ए. स्तर पर व्यावहारिक हिंदी ।

(4) व्यावहारिक हिंदी में एक वर्षीय पोस्ट एम.ए. डिप्लोमा ।

०००००

अध्याय-IX

तकनीकी, इंजीनियरी, प्रबंध तथा कम्प्यूटर शिक्षा का विकास

9.1 इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को उनके इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभागों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जारी रखा ताकि वे उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सकें । यह सहायता आयोग द्वारा भवनों (अकादमिक तथा होस्टल) के निर्माण, पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं के सुधार तथा संकाय को सुदृढ़ बनाने और स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति एवं अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए दी जाती है ।

वर्ष 1994-95 के दौरान आयोग ने उन 36 विश्वविद्यालयों को रु॰1577.68 लाख का अनुदान प्रदान किया जिनमें इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के उनके अपने विभाग/कालेज थे । आयोग ने इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में अनुमोदित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए 4 विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान भी उपलब्ध कराया । ये विश्वविद्यालय हैं - अन्ना विश्वविद्यालय (मद्रास), थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (पटियाला), बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (मेसरा) तथा भूकंप इंजीनियरी स्कूल (रुड़की विश्वविद्यालय) ।

9.2 विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधाओं और कम्प्यूटर शिक्षा का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कम्प्यूटर सुविधाओं की स्थापना और उन्नयन/वृद्धि के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है । वर्ष 1994-95 के अंत तक कम्प्यूटर केंद्र स्थापित करने के लिए 114 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई । इस क्षेत्र में मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनेक मानव संसाधन विकास पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए यू॰जी॰सी॰ - डी ओ ई के संयुक्त कार्यक्रम के अधीन भी विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता रहा है । निम्नलिखित सारणी में इसका ब्यौरा दिया गया है :-

सारणी 9.1

कम्प्यूटर पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालयों की संख्या जिनको सहायता प्रदान की गई
मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	53
कम्प्यूटर विज्ञान में बी.टेक/बी.ई.	10
कम्प्यूटर विज्ञान में एम.टेक/एम.ई.	7

वर्ष 1994-95 के दौरान कम्प्यूटर केंद्र स्थापित करने तथा कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालयों को रु॰ 6.09 करोड़ का अनुदान दिया गया ।

9.3 कालेजों में कम्प्यूटर सुविधाएं

आयोग वैयक्तिक कम्प्यूटर, डोट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्टेबिलाइजर तथा संगत प्रणाली और अनुप्रयोग सोफ्टवेयर खरीदने के लिए प्रति कालेज रु॰1.25 लाख की सहायता उपलब्ध कराता रहा है । इस योजना का लक्ष्य प्रशासन, वित्त, परीक्षा तथा अनुसंधान में कम्प्यूटरों के प्रयोग के बारे में छात्रों और शिक्षकों/स्टाफ को बोध कराना है ।

वर्ष के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 98 कालेजों को सहायता प्रदान की गई । इस प्रकार 1994-95 तक सहायता प्रदत्त कालेजों की कुल संख्या 1714 हो गई । आलोच्य वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कालेजों को रु॰ 2.95 करोड़ की राशि जारी की गई । सहायता प्रदत्त कालेजों की संख्या का राज्यवार विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कालेजों की संख्या
आंध्र प्रदेश	130
असम	34
बिहार	67

दिल्ली	35
गोवा	3
गुजरात	85
हरयाणा	91
हिमाचल प्रदेश	27
जम्मू और कश्मीर	16
कर्नाटक	73
केरल	115
मध्य प्रदेश	111
महाराष्ट्र	243
मणिपुर	6
मेघालय	3
उड़ीसा	54
पांडिचेरी	1
पंजाब	139
राजस्थान	59
तमिलनाडु	145
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	174
पश्चिम बंगाल	102
जोड़	1714

9.4 कालेज शिक्षकों का प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1993-94 के दौरान उन कालेजों में कम्प्यूटर के प्रयोग में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक योजना तैयार की जिन्हें कम्प्यूटरों की खरीद के लिए वि०अ०आ० द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी । जिन विश्वविद्यालयों से ये कालेज संबद्ध थे उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सौंपा गया । वर्ष 1994-95 के अंत तक 1302 कालेजों के सहभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए 88 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुमोदित किया गया जो 31 विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किए जाएंगे ।

9.5 स्नातकोत्तर स्तर पर कम्प्यूटर अनुप्रयोग

वर्ष 1993 में शुरू की गई एक योजना के अधीन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातकोत्तर स्तर पर उन विषयों में एक अतिरिक्त प्रश्नपत्र (पेपर) शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराता है जिनमें कम्प्यूटरों का अनुप्रयोग करना परमावश्यक हो गया है । इस योजना के अंतर्गत 31.03.95 तक पहली बार में भौतिकी, रसायन, गणित, सांख्यिकी, भू-विज्ञानों, अर्थशास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान तथा वाणिज्य जैसे विषयों के लिए 11 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की जा रही थी ।

9.6 प्रबंध अध्ययनों का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रबंध में कार्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराता रहा है । आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर एम बी ए कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए 8 और विश्वविद्यालयों का अनुमोदन किया । इस प्रकार, 31.03.95 को आयोग इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए 54 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को सहायता उपलब्ध करा रहा था ।

०००००

अध्याय-X

अनौपचारिक शिक्षा

10.1 प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा

प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा का लक्ष्य है :-

i) निरक्षरता का उन्मूलन ।

ii) अनुवर्ती शिक्षा का संवर्धन ।

iii) जनसंख्या शिक्षा का संवर्धन ।

iv) विधिक साक्षरता का संवर्धन और विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी ।

v) विज्ञान शिक्षा और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए सहायता ।

vi) अन्य कल्याण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का संवर्धन ।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आलोच्य वर्ष के दौरान संपूर्ण साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता देना जारी रखा । यह सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गत वर्ष विश्वविद्यालयों को परिचालित किए गए संशोधित मार्ग-निर्देशों के अनुसार उनके प्रौढ़ अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा विभागों के माध्यम से प्रदान की । इन मार्ग-निर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों/विश्वविद्यालयों के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन/परिवीक्षण प्रणाली शुरू की जानी चाहिए । फिलहाल, ऐसी एजेंसियों की संख्या 13 है ।

वर्ष 1994-95 के अंत में इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की स्थिति इस प्रकार थी :-

1.	संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए निधिप्रदत्त विश्वविद्यालयों की संख्या	-	83
2.	इन विश्वविद्यालयों के कालेजों की संख्या (इनमें वे 5 स्वायत्त कालेज भी शामिल हैं जिनको धनराशि दी जा रही है)	-	1305
3.	नव-साक्षरों की लक्ष्य-संख्या जिन्हें साक्षर बनाया जाना है	-	255000
4.	साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या	-	196000
5.	अनुमोदित सी ई सी की संख्या	-	1038
6.	जन शिक्षण निलयमों की संख्या	-	742

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रव्यापी साक्षरता आंदोलन के लिए पूर्णकालिक आधार पर भारत ज्ञान-विज्ञान समिति (बी जी वी एस) के साथ काम करने के लिए विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर रहा है और प्रतिनियुक्त शिक्षक के एवज़ी का वेतन दे रहा है ।

10.2 जनसंख्या शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 1983 से विश्वविद्यालय प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के संवर्धनार्थ विश्वविद्यालयों/कालेजों की सहायता करता रहा है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और उनके माध्यम से सम्,दाय को परिवार के आकार, जीवन की गुणवत्ता, समुदाय पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का स्पष्ट बोध कराना है । 1986 में, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यू एन एफ पी ए) के साथ एक संयुक्त परियोजना शुरू की गई थी जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जम्मू, दिल्ली, गुजरात विद्यापीठ, एस एन डी टी वीमेंस, पुणे, मद्रास, केरल, विक्रम, रांची, बर्दवान तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालयों और गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान में प्रौढ़, अनुवर्ती तथा विस्तार शिक्षा विभागों में 12 जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्र स्थापित किए । ये केंद्र विभिन्न कार्यकलापों यथा सामग्री विकास, पाठ्यचर्या विकास तथा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और कार्यक्रम के परिवीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए भी विश्वविद्यालयों/कालेजों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं ।

यू एन एफ पी ए - यू जी सी परियोजना का प्रथम चरण 1986-1993 की अवधि में था जिसके दौरान विभिन्न प्रकार के मुद्रण और दृश्य-श्रव्य सामग्री का विकास किया गया और कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया । प्रथम चरण में इस परियोजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन एजूकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटिड, नई दिल्ली द्वारा किया गया । इस कंपनी ने यह सिफारिश की कि इस परियोजना को एक और कार्यकाल तक जारी रखा जाए । तदनुसार, यू एन एफ पी ए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण को 1994-96 की अवधि तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की । वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक जनसंख्या शिक्षा एकक (पी ई यू) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों/कालेजों के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन करना था ।

आलोच्य अवधि के दौरान एड्स, मादक द्रव्यों के सेवन, पर्यावरण, वयोवृद्धि (एजिंग) तथा प्रिंसिपलों के प्रशिक्षण जैसे नए विषयों पर जोर दिया गया है । पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर जनसंख्या शिक्षा का एकीकरण विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ करने तथा विश्वविद्यालय तंत्र में जनसंख्या शिक्षा को संस्थागत बनाने के प्रयास भी किए गए ।

आलोच्य वर्ष के दौरान इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया कि विश्वविद्यालय/कालेज के छात्रों और शिक्षकों पर जनसंख्या शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है ? वर्ष के दौरान अन्य जो मुख्य कार्य पूरे किए गए वे हैं - पूर्वस्नातक स्तर के लिए वर्तमान पाठ्यचर्या को अद्यतन करना और उसका परिशोधन करना; प्रशिक्षण पुस्तिका का पुनरीक्षण करना; दृश्य-श्रव्य साधनों की निर्देशिका, एड्स शिक्षा पर सूचना फोल्डर ।

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पूर्वस्नातक स्तर के लिए जनसंख्या शिक्षा पर एक स्रोत पुस्तक तथा पाठ तैयार करने के लिए दो विशेषज्ञ दल गठित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, विभिन्न जनसंख्या शिक्षा संसाधान केंद्रों/विश्वविद्यालयों द्वारा "जनसंख्या वृद्धि और उसके परिणाम" तथा "जनसंख्या से संबंधित मुद्दों के प्रति बोध एवं छात्रों की अभिवृत्ति" से संबंधित कुछ अनुसंधान परियोजनाएँ भी पूरी की गईं ।

दिसम्बर, 1994 के दौरान जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों के सहायक निदेशकों तथा परियोजना अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । लेक्चर-सह-विचार-विमर्श के माध्यम से जनसंख्या से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई । आलोच्य वर्ष के दौरान जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों द्वारा आयोजित किए गए अभिविन्यास लेक्चरों में कालेजों के लगभग दो हजार प्रिंसिपलों और लेक्चरारों ने भी भाग लिया ।

वर्ष के दौरान जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों की तिमाही परियोजना प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं जिनमें वर्ष 1994 और 1995 के लिए ब्योरेवार कार्ययोजनाएँ और बजट प्राक्कलन तैयार किए गए । देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों, जनसंख्या शिक्षा क्लबों और विश्वविद्यालयों ने अन्य कार्यकलापों यथा - जनसंख्या से संबद्ध विषयों पर वादविवादों, पोस्टर प्रतियोगिता, एकांकी नाटकों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया । उन कार्यकलापों में अनेक छात्रों और शिक्षकों तथा समाज के लोगों ने भाग लिया । जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों, जनसंख्या शिक्षा केंद्रों तथा प्रौढ़ शिक्षा विभागों ने 11, जुलाई, 1994 को "विश्व जनसंख्या दिवस" तथा एक दिसंबर, 1994 को "विश्व एड्स दिवस" मनाया । इस उपलक्ष्य में संबंधित विश्वविद्यालय तथा सेवा क्षेत्र में पद-यात्राओं का आयोजन किया गया ताकि उन्हें पत्रिकाओं का नि:शुल्क वितरण करके संबंधित मुद्दों का बोध कराया जा सके । जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों और जनसंख्या शिक्षा केंद्रों ने जनसंख्या से संबंधित विषयों पर विस्तार व्याख्यान-माला का आयोजन भी किया । जनसंख्या शिक्षा संसाधन केंद्रों ने एड्स, विवाह के समय आयु, दहेज, छोटे परिवार का मानदंड, जीवन की गुणवत्ता जैसे विषयों पर अनेक संगोष्ठियों का आयोजन किया । आलोच्य वर्ष के दौरान जनसंख्या शिक्षा और जनसंख्या डाइजेस्ट पर न्यूजलैटर भी प्रकाशित किए गए ।

10.3 एड्स नियंत्रण के लिए कार्ययोजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं कालेजों की सहायता से एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक कार्ययोजना तैयार की ताकि शैक्षिक वर्ष 1994-95 से उसका कार्यान्वयन किया जा सके । तदनुसार, विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया गया कि वे आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इस संबंध में अपने प्रस्ताव भेजें । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एड्स, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण तथा मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित पुस्तकें खरीदने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराएगा । आलोच्य वर्ष के दौरान अनेक विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया ।

10.4 दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार पाठ्यक्रम

दूरस्थ शिक्षा को पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा का मिला-जुला रूप कहा जा सकता है । उच्च शिक्षा के कुल नामांकन में दूरस्थ शिक्षा का नामांकन लगभग 12 प्रतिशत है । उसको देश की शैक्षिक स्थिति की नवीन वास्तविकता कहा जा सकता है । दूरस्थ शिक्षा समाज के सुविधावंचित लोगों की उच्च शिक्षा संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूरस्थ शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों/पत्राचार पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रथम पाँच वर्ष के लिए बीज राशि के रूप में रु०10 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराता रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पांच वर्ष के बाद पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए क्रमशः रु० 5 लाख से रु० 7.50 लाख तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराता है । इस प्रकार की सहायता प्रत्येक पांच वर्ष के बाद सतत आधार पर उपलब्ध की जा सकती है ।

गत वर्ष विश्वविद्यालयों को परिचालित किए गए मार्ग-निर्देशों के आधार पर आयोग को पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों से इस आशय के 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए कि 31.03.1995 को उनका उन्नयन दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के रूप में कर दिया जाए । इसके अतिरिक्त आयोग ने अन्नामलाई, उस्मानिया तथा पंजाब विश्वविद्यालयों में विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जिनका उद्देश्य यह था कि पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों का उन्नयन - विशेषकर मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री को दूरस्थ शिक्षा के रूप में बदलने के संबंध में - दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में कर दिया जाए । आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग को दूरस्थ शिक्षा पर कार्यक्रमों को शुरू करने तथा उनको सुदृढ़ बनाने के लिए 18 विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव भी प्राप्त हुए ।

ओडियो, वीडियो, रेडियो तथा दूरदर्शन सुविधाओं की सहायता से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा रहा है । विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की मदद के लिए चार क्षेत्रों (प्रत्येक) में दृश्य-श्रव्य संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं । उत्तरी क्षेत्र का केंद्र हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में कार्यक्रम तैयार कर रहा है । पश्चिमी क्षेत्र स्थित केंद्र मराठी, गुजराती और कन्नड़ में कार्यक्रम विकसित कर रहा है । दक्षिणी क्षेत्र का केंद्र तमिल, तेलुगु और मलयालम में और पूर्वी क्षेत्र का केंद्र उड़िया, बंगला तथा असमिया में कार्यक्रम तैयार कर रहा है ।

10.5 आयोजना मंच

आयोजना मंच स्कीम में संशोधन किया गया है और यह विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग, जिसमें ऐसे फोरम विद्यमान हैं, के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जारी रहेगी । इस स्कीम के तहत प्रति यूनिट रु०10,000 की सहायता दी जा सकती है ।

०००००

अध्याय-XI

शिक्षण और अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देता रहा है जो शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को उनके विषयों के अद्यतन विकास से अवगत रखने तथा उनकी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं ।

11.1 संगोष्ठियां, परिचर्चाएं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं आदि

संशोधित मार्ग-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातकोत्तर कालेजों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल संगोष्ठियां, परिचर्चाएं आदि आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करता है । कालेजों को राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों और सम्मेलन आयोजित करने के लिए रु॰ 20,000 से लेकर रु॰ 50,000 तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करने के लिए रु॰ 1,00,000 तक सहायता प्रदान की जाती है । अनुमोदित मानकों के अनुसार विश्वविद्यालयों को असमनुदेशित अनुदान योजना के अंतर्गत इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । आयोग "नीपा" आदि जैसी विश्वविद्यालयेतर संस्थाओं द्वारा आयोजित इसी प्रकार के कार्यकलापों में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता भी प्रदान करता है ।

11.2 अंग्रेजी भाषा के शिक्षण को सुदृढ़ बनाना

आयोग ने ब्रिटिश काउंसिल और केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद (सी आई ई एफ एल) के सहयोग से अंग्रेजी भाषा शिक्षण (इ एल टी) के लिए विशेषीकृत ग्रीष्मकालीन संस्थाओं के आयोजन के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा । इस प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा शिक्षण केंद्रों के रूप में 15 विश्वविद्यालयों का पता लगाया गया है ।

11.3 राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों में काम करने वाले उत्कृष्ट प्रोफेसर न्यूनतम शिक्षण जिम्मेदारियों के साथ अनुसंधान और अध्ययन कार्य कर सकते हैं । इस अध्येतावृत्ति के लिए केवल वे प्रोफसर पात्र हैं जिनकी आयु नामन के समय 55 वर्ष से कम है और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार अपनी अधिवर्षिता से पहले कम से कम दो वर्ष तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं । किसी नियत अवधि के दौरान पचास स्थान उपलब्ध हो सकते हैं । वर्ष 1993-94 के दौरान आयोग ने कालेजों के उत्कृष्ट शिक्षकों पर भी इस योजना को लागू किया ।

अध्येतावृत्ति अवधि के दौरान अध्येतावृत्ति प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सचिवालयीन सहायता, यात्रा तथा आकस्मिक व्यय के लिए प्रतिवर्ष रु॰ 20,000 के अव्ययगतनीय अनुदान के अतिरिक्त उनको सामान्य, वेतन, भत्ते तथा प्रतिमास रु॰ 600 का अध्येतावृत्ति भत्ता भी मिलता है । वर्ष 1994-95 के दौरान आयोग ने इस योजना के तहत 13 अध्येताओं का चयन किया ।

11.4 अभ्यागत एसोशिएटशिप

आयोग में अभ्यागत एसोशिएटशिप की एक योजना चल रही है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कालेजों के उत्कृष्ट शिक्षकों को अल्पावधि के लिए उच्च अध्ययन संस्थानों तथा अनुसंधान केंद्रों में दौरा करने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे अपनी रुचि के क्षेत्रों में हुए अद्यतन विकासों से अवगत हो सकें । इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 100 स्थान (स्लाट) उपलब्ध होते हैं ।

एसोशिएटशिप का कार्यकाल दो वर्ष का होता है जिसके दौरान उम्मीदवार को मेजबान संस्था में कम से कम 60 दिन (दो-तीन बार में) व्यतीत करने पड़ते हैं । आयोग पुरस्कार विजेता को उसकी मूल संस्थान से मेजबान संस्था तक का वास्तविक यात्रा व्यय देता है । हवाई किराया नहीं दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, रीडर और प्रोफेसर को रु॰ 100 प्रतिदिन और लेक्चरार को रु॰ 75 प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है । सहायता की अधिकतम सीमा लेक्चरार के मामले में प्रति वर्ष रु॰ 15000 और रीडर तथा प्रोफेसर के मामले में रु॰ 25000 होगी ।

आयोग ने इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1994 के लिए भाषा सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान में 50 और विज्ञान में 50 उम्मीदवारों का चयन किया ।

11.5 अतिथि/अंशकालिक शिक्षक

विश्वविद्यालय और कालेज अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति अपवाद रूप से ऐसे विशेषीकृत क्षेत्रों/विषयों में करते हैं जिनमें शिक्षण को पूर्णता प्रदान करने के लिए व्यावसायिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है । यह नियुक्ति ऐसी स्थिति में भी की जाती है जहाँ कार्यभार इतना नहीं होता कि पूरे शैक्षिक वर्ष के लिए पूर्णकालिक नियमित शिक्षक की नियुक्ति उचित ठहराई जाए । यदि प्रति सप्ताह कार्यभार 7-10 घंटे हो तो ऐसे शिक्षकों को रु॰ 1000 प्रति मास का मानदेय दिया जाता है ।

11.6 अभ्यागत प्रोफेसर/अध्येता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को मानदेय/भत्ते के आधार पर अभ्यागत प्रोफसरों/अध्येताओं की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है । अभ्यागत प्रोफेसर को देय मानदेय की राशि रु॰ 5000 प्रतिमास तक होती है जबकि अभ्यागत अध्येता को रु॰ 200 दर से दैनिक भत्ता दिया जाता है । इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को दी जाने वाली सहायता राशि का निर्धारण उसे 8वीं योजना में सामान्य विकास के लिए आबंटित की गई राशि के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है ।

आयोग ने निर्णय लिया कि वर्ष 1990-91 में विश्वविद्यालयों में अभ्यागत संकाय के कुछ पद बनाए जाएं ताकि कश्मीर विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कालेजों के वर्ग 'क' 'ख' और 'ग' के शिक्षकों को शिक्षण/अनुसंधान कार्य सौंपा जा सके । इन वर्गों के शिक्षकों को प्रतिमास क्रमशः रु० 2500, रु० 3000 और रु० 4000 का समेकित मानदेय दिया जाएगा । ये शिक्षक उपर्युक्त मानदेय के अतिरिक्त, अपने मूल विश्वविद्यालय और कालेजों से वेतन पाने के हकदार भी रहेंगे । अभ्यागत संकाय का कार्यकाल एक शैक्षिक वर्ष है । आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने यह निर्णय लिया कि जो योजना 31 दिसंबर, 1996 तक लागू है उसे स्थायी किया जा सकता है और प्रत्येक मामले की जांच उसके गुणदोषों के आधार पर की जा सकती है ।

आयोग के पास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी और फारसी के पारंपरिक स्कालरों को विश्वविद्यालय तंत्र में शामिल करने की योजना भी है । इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी और चुने हुए पारंपरिक स्कालरों को अभ्यागत प्रोफेसरों के समान मानदेय दिया जाएगा । चुने गए स्कालर निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों और अनुसंधान स्कालरों को परामर्श, मार्गदर्शन और व्याख्यान तथा अनौपचारिक वार्ता देने के लिए उपलब्ध होंगे । यदि कुछ स्कालर अपनी जीवन शैली के कारण अपना निवास स्थान छोड़ने में असमर्थ हों तो विश्वविद्यालय/कालेज के शिक्षक और शोध छात्र मार्गदर्शन और परामर्श के लिए उनके पास जा सकेंगे जिसके लिए उन्हें उचित यात्रा/दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

11.7 शिक्षक अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक वर्ष की अल्पकालीन शिक्षक अध्येतावृत्ति प्रदान करता है ताकि संबद्ध कालेजों के शिक्षक एम.फिल. या पीएच.डी. कर सकें । इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

यह योजना केवल ऐसे कालेजों पर लागू होगी जो आठवीं योजना के दौरान विकास सहायता पाने के हकदार हैं ।

प्रत्येक कालेज में 5 स्थायी शिक्षकों के पीछे एक वर्ष की अवधि की एक शिक्षक अध्येतावृत्ति दी जाएगी । लेकिन ऐसी अध्येतावृत्तियों की अधिकतम संख्या 8 होगी ।

शिक्षकों का चुनाव एक चयन समिति करेगी जिसका गठन इसी प्रयोजन से किया जाएगा ।

शिक्षकों को प्रतिमास रु० 750 का निर्वाह भत्ता और अनुसंधान केंद्र से जाने-आने का यात्रा भत्ता दिया जाएगा । मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विषयों में प्रतिवर्ष रु० 5000 तथा विज्ञान विषयों में प्रतिवर्ष रु० 7500 तक का आकस्मिक अनुदान दिया जाएगा ।

11.8 अनुसंधान वैज्ञानिकवृत्ति

इस योजना के अंतर्गत उन वैज्ञानिकों और शिक्षकों को अनुसंधान कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है जिन्होंने अनुसंधान के लिए असाधारण योग्यता प्रदर्शित की है । इस योजना में 200 स्थान उपलब्ध हैं । उम्मीदवारों को रु॰ 2300-3500 और रु॰ 4000-6500 के दो स्लैबों में रखा जाता है । अनुसंधान वैज्ञानिकों को समय-समय पर लागू अतिरिक्त मँहगाई भत्ता भी दिया जाएगा । वर्ष 1994-95 के दौरान इस योजना के तहत 25 अनुसंधान वैज्ञानिकवृत्तियां प्रदान की गईं ।

11.9 विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों में शिक्षकों के लिए लघु एवं बृहत् अनुसंधान परियोजनाएँ

आयोग व्यक्तिगत अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु विश्वविद्यालय/कालेज के शिक्षकों को लघु या बृहत् परियोजनाएं शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करता है । वर्ष 1994-95 के दौरान विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में बृहत् परियोजनाएँ शुरू करने के लिए सहायता की राशि रु॰ 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई । इसी प्रकार, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में सहायता की राशि रु॰ 3 लाख से बढ़ाकर रु॰ 5 लाख कर दी गई । लघु अनुसंधान परियोजनाओं के लिए भी विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी विषयों के हेतु सहायता राशि भी रु॰ 30,000 से बढ़ाकर रु॰ 40,000 और मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए रु॰ 20,000 से बढ़ाकर रु॰ 30,000 कर दी गई । बृहत् परियोजनाएँ शिक्षकों के समूह द्वारा भी हाथ में ली जा सकती हैं । इस योजना में 70 वर्ष की आयु तक के सेवा-निवृत्त शिक्षक भी भाग ले सकते हैं । अंत:विद्याशाखीय परियोजनाओं को अग्रता प्रदान की जाती है ।

वि॰अ॰आ॰ द्वारा बृहत् अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं, अनुसंधान एसोशिएटों की नियुक्ति, क्षेत्रीय दौरे, उपस्कर, परिकलन, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, आकस्मिक व्यय तथा परियोजनाओं के वास्ते अपेक्षित अन्य मदों के लिए निधीयन शामिल है । लघु परियोजनाओं के मामलों में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता/अनुसंधान एसोशिएटों को छोड़कर उपर्युक्त सभी सभी मदों के लिए वि॰अ॰आ॰ द्वारा निधीयन किया जाता है । इन सभी परियोजनाओं का परिवीक्षण नियमित रूप से किया जाता है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान वि॰अ॰आ॰ द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या और प्रदत्त अनुदानों का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

सारणी 11.1

बृहत् एवं लघु अनुसंधान परियोजनाएँ, 1994-95

	योजना	अनुमोदित परियोजनाएं	प्रदत्त अनुदान* (रु० लाख में)
बृहत् अनुसंधान परियोजनाएँ			
1.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	198	207.15
2.	विज्ञान	115	646.71
3.	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	23	81.68
लघु अनुसंधान परियोजनाएँ			
1.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	178	33.91
2.	विज्ञान	93	43.85
3.	इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	14	0.67

* ये आँकड़े आलोच्य वर्ष की न केवल नई परियोजनाओं के लिए हैं बल्कि चालू परियोजनाओं के लिए भी हैं ।

11.10 भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की रचना

वि०अ०आ० 1970-71 से इस योजना को चला रहा है । इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय और कालेजों के छात्रों के लिए उच्च कोटि की पुस्तकों, मोनोग्राफ एवं अन्य संदर्भ सामग्री तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों एवं उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की अन्य संस्थाओं के उत्कृष्ट शिक्षाविदों तथा स्कालरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । पुस्तकें अंग्रेजी या हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखी जा सकती हैं ।

इस योजना को वि०अ०आ० और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एन.बी.टी.) मिलकर चला रहे हैं । पुस्तकों के इमदादी प्रकाशन की योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पांडुलिपि तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उपयुक्त पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायिकी प्रदान करता है ।

वर्ष 1994-95 के दौरान पुस्तक निर्माण हेतु प्राप्त 104 से भी अधिक प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आयोग ने विभिन्न विद्याशाखाओं में 23 मूल ग्रुप गठित किए। ये मूल ग्रुप प्रस्तावित पुस्तकों के विषय-संक्षेप का मूल्यांकन करने के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों को नामित करता है या इन विषय संक्षेपों को स्वयं निपटा देते हैं। इसके अतिरिक्त इन ग्रुपों से यह भी आशा की जाती है कि वे उन क्षेत्रों/विषयों का पता लगाएंगे जिनमें अधिक पुस्तकें प्रकाशित किए जाने की जरूरत है और उन लेखकों के नाम की सिफारिश करेंगे जो ऐसी पुस्तकें लिख सकते हैं।

11.11 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलनों में शोध लेख प्रस्तुत करने तथा अन्य देशों में शिक्षा संस्थाओं के कार्यकारण का निरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों को आंशिक सहायता उपलब्ध कराता है। पिछले कुछ वर्षों से अनुसंधान एसोशिएटों और अनुसंधान वैज्ञानिकों को भी यह सुविधा दी जाने लगी है। आयोग कालेज शिक्षकों के लिए यात्रा अनुदान समिति गठित करता है जो इस संबध में प्राप्त किए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन प्रत्येक महीने करती है। इस योजना के अधीन किसी शिक्षक को 60 वर्ष की आयु तक तीन वर्ष में एक बार यह सहायता प्रदान की जा सकती है। वर्ष 1994-95 के दौरान 120 शिक्षकों को रु॰ 25 लाख की सहायता प्रदान की गई।

11.12 वृत्तिक अवार्ड

इस योजना का उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली युवा शिक्षकों का पता लगाना है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं है (महिलाओं के विषय में 50 वर्ष) ताकि वे शिक्षण कार्य के प्रति कम दायित्वों के साथ अपने को अनुसंधान कार्य में लगा सकें। सामान्यतः ये वृत्तिक अवार्ड विश्वविद्यालय/कालेज में उन लेक्चरारों और रीडरों को तीन वर्ष के लिए प्रदान किए जाते हैं जिनके पास डाक्टरेट/डाक्टरेटोत्तर अथवा कोई अन्य इसके समकक्ष व्यावसायिक डिग्री हो।

प्रतिवर्ष 55 स्थान उपलब्ध होते हैं - सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी (भाषा सहित) के लिए 25, विज्ञानों के लिए 25 और इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के लिए पाँच। वि॰अ॰आ॰ वृत्तिक अवार्ड पाने वालों के वेतन और भत्ते का व्यय वहन करता है और अवार्ड की अवधि के दौरान अनुसंधान अनुदान (विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए रु॰ 2 लाख तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के लिए रु॰ 1.5 लाख) भी प्रदान करता है। ये चयन आयोग द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिशें के आधार पर किए जाते हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान वि॰अ॰आ॰ ने 55 शिक्षकों का चयन किया।

11.13 इमेरिटस अध्येतावृत्ति

इमेरिटस अध्येतावृत्ति विश्वविद्यालयों के उन उच्च योग्यताप्राप्त प्रोफेसरों को प्रदान की जाती है जो अपने सेवाकाल में अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप में रत रहे हैं ताकि वे अपने विशेषज्ञता क्षेत्रों में सक्रिय रूप में अनुसंधान कार्य कर सकें तथा अपनी सेवाओं का उपयोग वि॰अ॰आ॰ के कार्यक्रमों का

परिवीक्षण करने के लिए कर सकें । यह अध्येतावृत्ति दो वर्ष के लिए या अध्येतावृत्ति पाने वाले की 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है । अध्योतावृत्ति पाने वाले को सामान्य अधिवर्षिता हितलाभों के अतिरिक्त रु॰ 4000 प्रति मास की अध्येतावृत्ति तथा रु॰ 20000 प्रतिवर्ष का अव्यपगतीय आकस्मिक अनुदान मिलता है । यह राशि उसके पिछले पद से संबंधित भविष्य निधि/ पेंशन आदि से अतिरिक्त होती है । किसी एक नियत समय में उपलब्ध अध्येतावृत्तियों की कुल संख्या 100 होती है । वर्ष 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 36 इमेरिटस अध्येतावृत्तियां प्रदान की गईं ।

11.14 अनुसंधान तथा शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण व्यवसाय और अनुसंधान कार्य में प्रवेशार्थियों के न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का आयोजन करता है । यह परीक्षा वर्ष में दो बार ली जाती है । विज्ञान विषयों की परीक्षा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी एस आई आर) के संयुक्त सहयोग से आयोजित की जाती है । जो उम्मीदवार अनुसंधान करना चाहते हैं उनके लिए पांच वर्ष के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे आर एफ) उपलब्ध है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हैं विश्वविद्यालयों को अनेक अध्येतावृत्तियां आबंटित की हैं । फिर भी आयोग आबंटित कोटा के अतिरिक्त, अधिसंख्य अध्येतावृत्तियां प्रदान करता रहता है ताकि सभी अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों को शामिल किया जा सके ।

जो उम्मीदवार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, वे अपनी पंसद के किसी भी विश्वविद्यालय में विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कर सकते हैं और/या लेक्चरार के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं । राजसिंह बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में राजसिंह (जिसने यू.जी.सी. द्वारा संचालित 'नेट' परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी) ने एक रिट याचिका दायर की थी । उस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थाओं के शिक्षण स्टाफ में नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए अपेक्षित वि॰अ॰आ॰ की अर्हताओं के संबंध में आयोग ने 19 सितंबर, 1991 को जो विनियम, 1991 अधिसूचित किए थे वे वैध और अनिवार्य थे और कानून के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय उनका पालन करने के लिए बाध्य था । । दिल्ली विश्वविद्यालय को यह निदेश दिया गया था कि वह उक्त विनियमों (जिसमें नेट परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना भी शामिल था) का अक्षरशः पालन करते हुए विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कालेजों में नियुक्ति के लिए लेक्चरारों का चयन करे ।

उच्चतम न्यायालय ने 8.9.1994 को प्रदत्त अपने निर्णय में उच्च न्यायालय की उपर्युक्त व्यवस्था का समर्थन किया । उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय को यह निदेश दिया गया था कि वह अधिसूचना का अक्षरशः पालन करते हुए अपने लिए तथा अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कालेजों के लिए लेक्चरारों का चयन करे । अतएव, जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय अपने यहाँ तथा अपने संबद्ध कालेजों में उस व्यक्ति को जिसने उक्त विनियमों के अनुसार निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेक्चरार के रूप में नियुक्त कर सकता है, या वह किसी विशिष्ट मामले में उक्त अपेक्षा में छूट देने के लिए आयोग का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त कर सकेगा या वह

वि०अ०आ० का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी ऐसे व्यक्ति को लेक्चरार के रूप में नियुक्त कर सकता है जो उक्त अपेक्षा को पूरा नहीं करता । ऐसी स्थिति में यदि वह वि०अ०आ० की तसल्ली के अनुसार उक्त विनियमों का पालन न किए जाने का कारण नहीं बताएगा तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाले अनुदान को ज़ब्त कर लिया जाएगा । लेकिन यदि वह वि०अ०आ० की तसल्ली के अनुसार कारण बता देता है तो उसका अनुदान जब्त नहीं किया जाएगा और आयोग के पूर्व-अनुमोदन के बिना नियुक्ति को नियमित भी कर दिया जाएगा ।

सारणी 11.2

वर्ष 1994-95 में मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा का ब्योरा

परीक्षा	तारीख	पंजीकृत उम्मीदवार	परीक्षा में बैठे उम्मीदवार	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति तथा लेक्चरार पद के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवार	केवल लेक्चरार पद के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवार
मानविकी	जून, 94	29459	22347	421	1119
सामाजिक विज्ञान	दिस०, 94	33838	26461	355	748

11.15 इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ

वि०अ०आ० प्रतिवर्ष कृषि इंजीनियरी सहित इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 60 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां प्रदान करता है ताकि उच्च अध्ययन एवं पीएच.डी. की उपाधि देने वाला अनुसंधान कार्य किया जा सके । इसके लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/फार्मेसी में 55 प्रतिशत अंक सहित मास्टर की डिग्री है । इस अध्येतावृत्ति को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के पास बी०ई०/बी०टेक० की डिग्री का होना या इंजीनियरी के लिए ग्रेजुएट अभिवृत्ति परीक्षा (गेटे) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य शर्त नहीं है ।

इस अध्येतावृत्ति को प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है । महिला एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 1993 के लिए 33 अध्येतावृत्तियां प्रदान की गईं ।

11.16 अनुसंधान एसोशिएटशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञानों, मानविकी विषयों, सामाजिक विज्ञानों, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी एवं गांधी अध्ययनों, नेहरू अध्ययनों तथा राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए उन व्यक्तियों को प्रतिवर्ष अनुसंधान एसोशिएटशिपें प्रदान करता है जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान अपनी पीएच.डी. पूरी कर ली है और स्वतंत्र पश्च-डाक्टरेट अनुसंधान कार्य के लिए प्रतिभा एवं योग्यता प्रदर्शित की है । इसके लिए अवार्ड वर्ष की 1 जुलाई को पुरुष उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष और महिला उम्मीदवारों की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । उन अनुसंधानकर्ताओं/शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शोध रचनाएँ प्रकाशित की हों ।

प्रतिवर्ष 150 स्थान उपलब्ध होते हैं । इसके अतिरिक्त, 40 स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, 30 विकलांगों के लिए और 40 अंशकालिक एसोशिएटशिपें उन महिला उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं जो पूर्णकालिक शिक्षक तथा अनुसंधानकर्ता नहीं हैं । निम्नलिखित स्लैबों में एसोशिएटशिपें प्रदान की गईं :-

पूर्णकालिक

1. रु॰ 2800-100-3300
2. रु॰ 3300-100-3800
3. रु॰ 3750-125-4375
4. रु॰ 4325-125-4700-150-5000

अंशकालिक

1. रु॰ 2500-100-3000
2. रु॰ 2800-100-3000

एसोशिएटशिप के दौरान मानविकी तथा विज्ञान विषयों के लिए क्रमश : रु॰ 7500 प्र॰व॰ तथा रु॰ 10000 प्र॰व॰ का आकस्मिक अनुदान प्रदान किया जाता है ।

एसोशिएटशिप शुरू में तीन वर्ष के लिए होगी किंतु उसका कार्यकाल आगे और बढ़ाया जा सकता है जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगा । अंशकालिक एसोशिटशिप का कार्यकाल 5 वर्ष का है और उसकी अवधि बढ़ाई नहीं जाती है । वर्ष 1994-95 के दौरान उपर्युक्त विभिन्न वर्गों के लिए 209 अनुसंधान एसोशिएटों का चयन किया गया ।

11.17 विकासशील देशों के छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति/अनुसंधान एसोशिएटशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विकासशील देशों के छात्रों को प्रतिवर्ष 20 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (जे आर एफ) एम.फिल./पीएच.डी. हेतु अनुसंधान कार्य करने के लिए तथा 7 अनुसंधान एसोशिएटशिप डाक्टरेट-उपरांत विज्ञान, इंजीनियरी तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रदान करता है ।

11.18 हरीओम आश्रम न्यास अवार्ड तथा स्वामी प्रणवानंद सरस्वती अवार्ड

हरीओम आश्रम न्यास, नादियाड द्वारा उपलब्ध कराए गए धर्मस्व सहायता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1974 से रु॰ 10,000 मूल्य (प्रत्येक) के निम्नलिखित अवार्ड शुरू किए हैं जो प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं :-

1. भौतिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए सर सी.वी. रमण अवार्ड ।
2. अनुप्रयुक्त विज्ञानों में अनुसंधान के लिए होमी जे. भाभा अवार्ड ।
3. सैद्धांतिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए मेघनाद साहा अवार्ड ।
4. जीवन विज्ञानों में अनुसंधान के लिए जगदीश चन्द्र बोस अवार्ड ।
5. विज्ञान तथा समाज के बीच अन्योन्यक्रिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिकों/सामाजिक वैज्ञानिकों को अवार्ड ।

स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, निदेशक, अमेरिकास्थित योग सोसाइटियों द्वारा उपलब्ध कराए गए रु॰ 5 लाख के धर्मस्व की सहायता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1985 से रु॰ 10,000 (प्रत्येक) के निम्नलिखित अवार्ड शुरू किए हैं जो प्रत्येक वर्ष उस उत्कृष्ट विद्वतापूर्ण/वैज्ञानिक कार्य के लिए प्रदान किए जाएंगे जिसने मानवीय ज्ञान लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है और जिसने समस्याओं पर नए ढंग से प्रकाश डाला है :-

1. शिक्षा में स्वामी प्रणवानंद अवार्ड ।
2. समाजशास्त्र में स्वामी प्रणवानंद अवार्ड ।
3. अर्थशास्त्र में स्वामी प्रणवानंद अवार्ड ।
4. राजनीति विज्ञान में स्वामी प्रणवानंद अवार्ड ।
5. पर्यावरण विज्ञान एवं पारिस्थितिकी में स्वामी प्रणवानंद अवार्ड ।

आलोच्य वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1990, 1991, 1992 और 1993 के लिए पुरस्कार वितरण हेतु माननीय वित्त मंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया । इन दो योजनाओं (प्रत्येक) के अंतर्गत कुल चार वर्षों के लिए बीस पुरस्कार विजेता थे ।

°°°°°

अध्याय-XII

शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूदों का संवर्धन

12.1 शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद में तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

यह पाठ्यक्रम देश के 13 राज्यों में स्थित 7 विश्वविद्यालयों और 22 कालेजों में चलाया जा रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन संस्थाओं को व्यय की अनुमोदित मदों यथा - स्टाफ के वेतन, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, उपस्कर और प्रयोगशाला भवन के संबंध में पांच वर्ष के लिए 100 प्रतिशत आधार पर सहायता प्रदान करता है जबकि अन्य मदों के लिए संस्था/राज्य सरकार के साथ हिस्सेदारी के आधार पर सहायता प्रदान करता है । ऐसी सहायता विभिन्न मदों के लिए वि०अ०आ० द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि के अंतर्गत दी जाती है । 29 में से 13 संस्थाओं को अभी इस पाठ्यक्रम को संचालित करने की पांच वर्ष की अवधि पूरी करनी थी । आलोच्य वर्ष के दौरान दो समितियां इस पाठ्यक्रम की समीक्षा कर रही थीं ।

12.2 विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलकूद के लिए आधार-सरंचना तैयार करना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय खेलकूद संगठन, युवा मामले तथा खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई "विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलकूद आधार-संरचना तैयार करने की योजना" के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है । इस योजना का लक्ष्य विश्वविद्यालयों और कालेजों को खेलकूद की आधार-सरंचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करना है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदानों को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान करने के लिए कुछ मदों का पता लगाया है । सहायता प्रदान करने के लिए जिन मदों का पता लगाया गया है उनमें ये शामिल हैं :- बहुउद्देशीय जिमनेजियम, तरणताल, पक्का बास्केट बाल/बालीबाल/बेडमिंटन/टेनिस कोर्ट, मूरम/क्ले लान टेनिस कोर्ट और क्रिकेट पिच, सिंडर/क्ले एथलीटिक ट्रेक (400 मी.) का निर्माण तथा अनपचेय खेल उपस्कर । जिमनेजियम, तरणताल और धावनपथ (एथलीटिक ट्रेक) के लिए सभी विश्वविद्यालय पात्र हैं लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी विश्वविद्यालय को एक योजना अवधि के दौरान केवल एक बार जिमनेजियम या तरणताल के वास्ते ही सहायता प्रदान करता है ।

जिन कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाएं चलती हैं और कम से कम 1000 छात्र नामांकित हैं, वे कालेज इस योजना के अधीन सहायतार्थ आवेदन करने के पात्र हैं । किसी संस्था को एक योजना अवधि के दौरान केवल एक बार अनपचेय खेल उपस्करों के लिए भी मंजूरी दी जाती है । जिन कालेजों में पूर्व-स्नातक

पर्वतारोहण : राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रतिष्ठान के अधीन साहसिक खेलकूद।

कक्षाएं संचालित की जाती हैं और कम से कम 500 छात्र नामांकित हैं वे भी जिमनेजियम, तरणताल और धावन-पथ जैसी मुख्य खेल सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं ।

आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने खेलकूद की आधार-संरचना संबंधी विभिन्न मदों के लिए रु० 130.06 लाख का अनुदान जारी किया है ।

12.3 साहसिक खेलों को बढ़ावा देना

1992 में राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रतिष्ठान (एन ए एफ) के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के समय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय/कालेज छात्रों के लिए साहसिक खेल योजना का कार्यान्वयन कर रहा है । हालांकि साहसिक खेलों के कुछ कार्यक्रमों का आयोजन एन ए एफ द्वारा उसकी क्षेत्रीय शाखाओं के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन दूसरों के लिए यह उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनको सहयोजित करने के वास्ते देश में विशेषज्ञ संगठनों का पता लगाता है । एक समन्वय समिति जिसमें वि०अ०आ० और एन.ए.एफ. के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है । आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने साहसिक खेल कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए एन ए एफ को रु० 50 लाख की सहायता उपलब्ध कराई ।

12.4 विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा एवं अभ्यास के संवर्धन के लिए योजना

यह योजना विश्वविद्यालयों में छात्रों/शिक्षकों में योग शिक्षा का प्रचार एवं अभ्यास करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को योगाभ्यास कक्ष और अनुदेशकों के रहने के क्वार्टरों के निर्माण, अनुदेशकों को मानदेय देने और फर्नीचर तथा उपस्कर के लिए सहायता प्रदान करता है ।

इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों को ख्यातिप्राप्त योग संस्था के साथ पांच वर्ष के लिए नवीयनयोग्य करार करना होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से स्थापित किए जाने वाले योग केंद्र (केंद्रों) का प्रबंध और संचालन भी करेगी । योग केंद्र स्थापित किए जाने के संबध में 31.03.1995 को 28 विश्वविद्यालयों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उन पर वि०अ०आ० द्वारा विचार किया गया । इनमें से 13 विश्वविद्यालयों को रु० 35.70 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

०००००

अध्याय–XIII

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुविधाएं

13.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुविधाएं देने वाले कालेजों को सहायता और विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में विशेष सेलों की स्थापना

वि०अ०आ० कुछ विशेष योजनाओं द्वारा तथा नियमित योजनाओं में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करके इस वर्ग के उत्थान तथा सामाजिक समानता के लिए योगदान करता रहा है :

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की परीक्षा में पास होने के लिए प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है और जे.आर.एफ. परीक्षा में उत्तीर्ण अ.जा./अ.ज.जा. के सभी उम्मीदवारों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान कर दी जाती है। कोई रिक्त स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में वि.अ.आ. विश्वविद्यालय को जे.आर.एफ. के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराता है ।

2. इसके अतिरिक्त, जो छात्र राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा (एन.ई.टी) में बैठते हैं और लेक्चरारशिप की पात्रता–परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उनके लिए विज्ञान और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में प्रतिवर्ष 50 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

3. संबद्ध कालेजों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के लिए इन शिक्षकों को सीधे अवार्ड की योजना के अतंर्गत 50 शिक्षक अध्येतावृत्तियां (20 पीएच.डी. और 30 एम.फिल. के लिए) शुरू की गई हैं और 1994–95 के दौरान उनको प्रदान की गईं ।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रतिवर्ष अनुसंधान एसोशिएटशिप के 40 स्थान अलग से रखे जाते हैं ।

5. आयोग ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों के वास्ते अनुशिक्षण कक्षा योजना के लिए संशोधित मार्ग–निर्देश तैयार किए हैं । इन मार्ग–निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में स्थित वर्तमान केंद्र और सेल उच्च सिविल सेवाओं को छोड़कर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तथा उपचारी कार्यक्रमों के लिए भी छात्रों को तैयार करने के हेतु कक्षाएं संचालित करेंगे । उच्च सिविल सेवाओं के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि शुरू में दो माडल क्षेत्रीय केंद्रीय स्थापित किए जाएं – एक जामिया

मिलिया इस्लामिया में उत्तरी क्षेत्र के लिए और दूसरा कालीकट विश्वविद्यालय में - दक्षिणी क्षेत्र के लिए । आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में 33 अतिरिक्त केंद्रों का भी पता लगाया ताकि अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल किया जा सके । केवल महिला उम्मीदवारों के लिए अनुशिक्षण केंद्रों का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे कालेजों को वित्तीय सहायता देने के मानदंड में छूट दी है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र दाखिल हैं और जो पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं ।

7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में विशेष सेल स्थापित किए हैं ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके । 31.03.1995 को ऐसे सेलों की कुल संख्या 97 थी । आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सेलों को चलाने के लिए विभिन्न वर्गों के स्टाफ की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है । स्टाफ के लिए वि०अ०आ० की सहायता प्रथम नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है । फिलहाल, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि इन सेलों के संचालन के लिए 31 मार्च, 1997 तक सहायता दी जाए । उसके बाद, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वे आवर्ती व्यय की जिम्मेदारी लें ।

8. शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए प्रतिवर्ष 30 अनुसंधान एसोशिएटशिप आरक्षित होती हैं ।

9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक योजना चला रहा है जिसके अधीन वह बी.एड./एम.एड. शिक्षकों हेतु विशेष शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराता है ताकि वे विकलांग बच्चों को पढ़ा सकें । इस कार्यक्रम के अधीन 31.03.1995 तक निम्नलिखित 12 विश्वविद्यालयों/कालेजों को सहायता प्रदान की जा रही थी :-

(क) एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, बंबई ।

(ख) एस.पी. मंडल, तिलक कालेज आफ एजूकेशन, पुणे ।

(ग) आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर ।

(घ) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

(ड.) एम.एस. यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, बडोदरा ।

(च) महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम

(छ) श्री अविनाशीलिंगम् गृह-विज्ञान संस्थान, कोयम्बत्तूर ।

(ज) श्री रामकृष्ण विद्यालय, कोयम्बत्तूर ।

(झ) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली ।

(ञ) रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली ।

(ट) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, फेज-I

(ठ) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, फेज-II

13.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण के विषय में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों की ओर विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया है । ये आरक्षण विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने, लेक्चरारों तथा शिक्षणेतर पदों में नियुक्तियों और छात्रावासों, स्टाफ क्वार्टरों तथा शिक्षकों के होस्टलों में सीटों के आबंटन से संबधित हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह व्यवस्था भी की है कि जिन विश्वविद्यालयों को छात्रावासों के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं उन्हें इन छात्रावासों में 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित रखनी चाहिए ।

13.3 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उपचारी अनुशिक्षण

आयोग ने "विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उपचारी अनुशिक्षण" नामक एक योजना शुरू की है । इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

(क) विभिन्न विषयों में इन छात्रों के अकादमिक कौशल तथा भाषा संबंधी योग्यता में सुधार करना, और

(ख) ऐसे विषयों में, जिनमें मात्रात्मक तकनीकें तथा प्रयोगशाला कार्य किया जाता है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बोध-स्तर को ऊंचा उठाना ।

इस योजना के अधीन विश्वविद्यालय/कालेज निम्नलिखित ढंग से 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगा :-

संस्था	सहायता की सीमा
कालेज	रु॰ 75,000 प्रतिवर्ष
विश्वविद्यालय	रु॰ 1,50,000 प्रतिवर्ष

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता पहली बार में 3 वर्ष के लिए उपलब्ध होगी । उसकी अवधि आगे 3 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है बशर्ते कि संस्थान द्वारा अनु. जाति/अनु. जनजाति के छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशतता पर आधारित कार्यक्रम का कार्यान्वयन संतोषजनक ढंग से किया गया हो ।

वर्ष 1994-95 के दौरान आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उपचारी अनुशिक्षण संचालित करने के लिए 102 संबद्ध कालेजों और 7 विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को स्वीकार किया ।

० ० ० ० ०

अध्याय-XIV

महिलाओं के लिए सुविधाएं

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से उच्च शिक्षा में महिला छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । स्वतंत्रता से पहले उच्च शिक्षा की सभी संस्थाओं में महिलाओं की संख्या 9.3 प्रतिशत थी जबकि 1994-95 में सभी कालेजों और विश्वविद्यालयों में नामांकित महिला छात्रों की संख्या 33.8 प्रतिशत थी । (देखिए चित्र 14.1)

14.1 उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि

गत दो दशकों के दौरान महिला नामांकन में वृद्धि की गति विशेष रूप से तेज रही है । जैसा कि निम्नलिखित सारणी में प्रदत्त आंकड़ों से पता चलता है, 1950-51 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान प्रति सौ पुरुषों में महिलाओं की संख्या में चार गुनी वृद्धि हुई है ।

सारणी 14.1

प्रति सौ पुरुष छात्रों में महिलाओं की संख्या

वर्ग	कुल नामांकित महिलाएं (000 में)	प्रति सौ पुरुष नामांकन
1950-51	40	14
1994-95	2065	51

14.2 महिलाओं के नामांकन का राज्यवार, स्तरवार तथा संकायवार वितरण

नामांकित महिलाओं के राज्यवार वितरण से पता चलता है कि कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के नामांकन में सभी राज्यों में वृद्धि हुई है लेकिन अलग-अलग राज्यों में इस वृद्धि में अंतर पाया जाता है । पिछले वर्षों की तरह 1994-95 में भी कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत केरल में सबसे अधिक (52.0 प्रतिशत) रहा । इसके बाद गोवा और पंजाब (50.9 प्रतिशत प्रत्येक), पांडिचेरी (45.1 प्रतिशत), दिल्ली (44.2 प्रतिशत), मणिपुर (42.4 प्रतिशत), तमिलनाडु (39.7 प्रतिशत), मेघालय (39.5 प्रतिशत), नागालैंड(39.5 प्रतिशत) तथा जम्मू और

कश्मीर (39.3 प्रतिशत) का स्थान रहा । बिहार में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत सबसे कम अर्थात् वर्ष 1994-95 के कुल नामांकन में केवल 18.4 प्रतिशत रहा (देखिए, परिशिष्ट - VI) ।

स्तरवार विवरण

जैसा कि सारणी 14.2 में दिखाया गया है, वर्ष 1985-86 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान और डिप्लोमा/प्रमाण पत्र अर्थात् उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर कुल नामांकन की तुलना में महिलाओं के नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है ।

सारणी 14.2

कुल नामांकनों में महिला नामांकन की प्रतिशतता, स्तरवार

वर्ष	स्नातक	स्नातकोत्तर	अनुसंधान	डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र
1985-86	29.5	31.2	31.0	24.4
1994-95	33.6	35.6	38.5	26.4

उच्च शिक्षा में छात्राओं की सामान्य वृद्धि की एक विशेषता यह है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर उनके नामांकन में एकरूपता रही है ।

संकायवार विवरण

वर्ष 1994-95 में महिला नामांकन के संकायवार आंकड़े नीचे सारणी 14.3 और चित्र 14.2 में दिए गए हैं :-

सारणी 14.3

संकायवार महिला नामांकन - 1994-95

संकाय	नामांकन
कला	11,23,157
वाणिज्य	2,91,991
विज्ञान	4,15,000
शिक्षा	80,765
विधि	37,274
इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी	24,850
अन्य	91,945
जोड़	**20,64,982**

यद्यपि सभी संकायों में महिलाएं थीं लेकिन संकायों में उनके वितरण का पैटर्न सभी छात्रों के समान नहीं था। चित्र 2.6 से चित्र 14.2 की तुलना करने से पता चलता है कि विज्ञान संकाय को छोड़कर जहां सभी पुरुष एवं महिला छात्रों का प्रतिशत समान है, छात्रों के दोनों वर्गों के नामांकन पैटर्न में चार उल्लेखनीय अंतर है, यथा -

(क) शिक्षा संकाय में नामांकित सभी छात्रों की प्रतिशतता में महिला छात्रों की प्रतिशतता प्रायः दुगुनी है।

(ख) लेकिन विधि, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संकायों में सभी छात्रों की प्रतिशतता की तुलना में महिला छात्रों की प्रतिशतता काफी कम है।

(ग) यही बात बहुत कुछ वाणिज्य संकाय पर लागू होती है। सभी छात्रों के लगभग 22 प्रतिशत की तुलना में वाणिज्य पाठ्यक्रमों में नामांकित महिला छात्रों की संख्या 14 प्रतिशत से किंचित् अधिक है।

(घ) महिला छात्रों की सर्वाधिक संख्या कला संकाय में है जिसमें मानविकी विषय भी शामिल हैं। सभी छात्रों के 40.4 प्रतिशत की तुलना में, कला और मानविकी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित महिला छात्रों का प्रतिशत 54.4 है।

14.3 महिला कालेज

वर्ष 1985-86 से वर्ष 1994-95 तक की अवधि के दौरान महिला कालेजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो इस प्रकार है :-

वर्ष	महिला कालेजों की संख्या
1985-86	741
1986-87	780
1987-88	786
1988-89	824
1989-90	851
1990-91	874
1991-92	950
1992-93	994
1993-94	1070*
1994-95	1108*

*अनंतिम

14.4 विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययनों का संवर्धन

महिला अध्ययनों को बढ़ावा देने से संबंधित वि०अ०आ० के कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई है कि महिला अध्ययन केंद्रों और सेलों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता दी जानी चाहिए। इन केंद्रों/सेलों के लिए अनुसंधान कार्य करना, पाठ्यचर्या का विकास करना, स्त्री-पुरुष समानता के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और विस्तार कार्य आयोजित करना, महिलाओं की आर्थिक आत्म-निर्भरता, लड़कियों की शिक्षा, जनसंख्या समस्याओं, मानव अधिकारों एवं सामाजिक शोषण की समस्याओं के संबंध में कार्य करना आवश्यक होगा। इन गतिविधियों से केवल यही आशा नहीं की जाती है कि उनसे सामाजिक चेतना पैदा होगी और परिवर्तन आएगा बल्कि यह भी आशा की जाती है कि उनसे शैक्षिक विकास भी होगा। लेकिन महिला अध्ययन केंद्रों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे किसी विश्वविद्यालय के अन्य पारंपरिक विभागों की भांति कार्य करेंगे। उनके लिए ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करना आवश्यक नहीं है जिनको पूरा करने पर कोई पूर्व-स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जाए।

महिला अध्ययनों पर स्थायी समिति इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है, उसके संबंध में सलाह देती है और उसका परिवीक्षण करती है । वर्ष के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा की गई और उसके परिणामस्वरूप वि०अ०आ० ने यह निर्णय लिया कि 8वीं योजना अवधि के अंत तक अर्थात् 31.03.1997 तक महिला अध्ययन विकास के लिए सहायता जारी रखी जाए । 31 मार्च, 1995 को वि०अ०आ० महिला अध्ययन केंद्र/सेल (क्रमशः 22 और 11) स्थापित करने के लिए 33 विश्वविद्यालयों और कालेजों/ विश्वविद्यालय विभागों को सहायता उपलब्ध करा रहा था । इसके अतिरिक्त, विश्वद्यिालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययनों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई ।

14.5 महिलाओं के लिए अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं को प्रतिवर्ष 40 अंशकालिक अनुसंधान एसोशिएटशिप प्रदान करता है । इसका उद्देश्य शोध छात्रों को विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों तथा इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी में स्वतंत्र रूप से परियोजना समनुदेशन आधार पर डाक्टरेट-उपरांत अनुसंधान कार्य के लिए अवसर उपलब्ध कराना है । वर्ष 1994-95 के दौरान प्रदत्त अवार्डों की संख्या 39 थी ।

०००००

चित्र 14.1

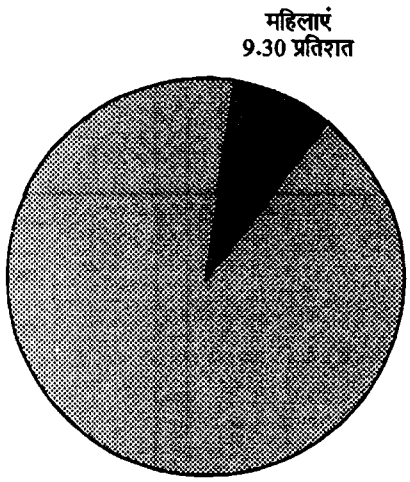

1947 से पूर्व

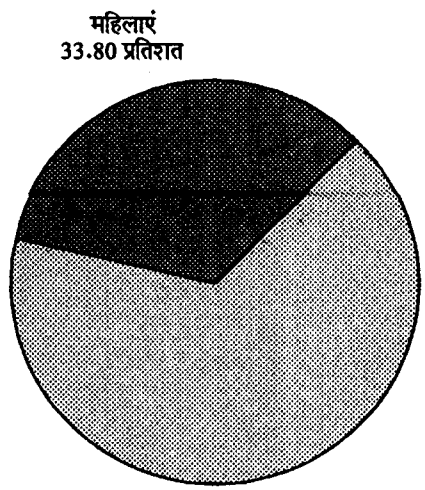

1994 - 95

चित्र 14.2

महिला नामांकन की संकायवार प्रतिशतता (1994-95)

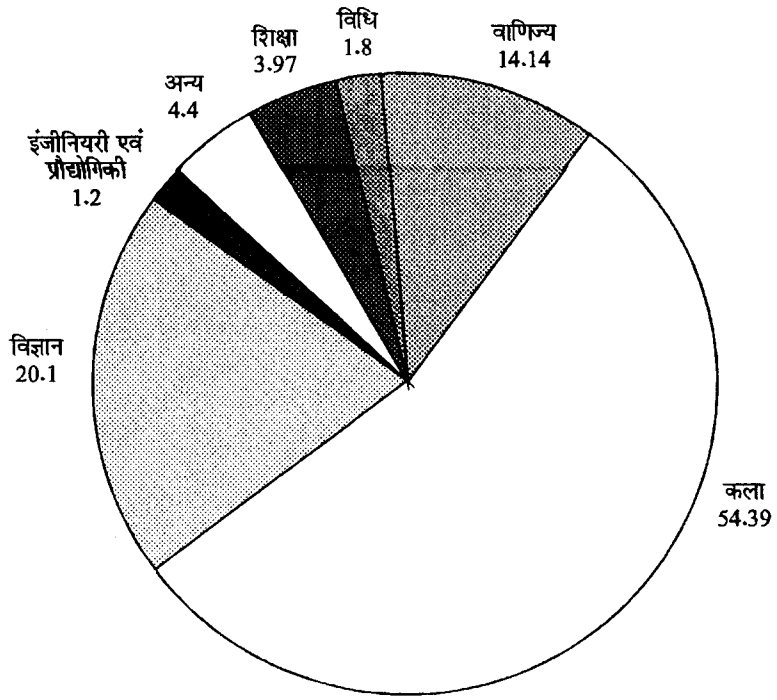

अध्याय–XV

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

15.1 द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम

विश्वविद्यालय क्षेत्रक में उच्च शिक्षा से संबंधित भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भारत सरकार की ओर से वि०अ०आ० द्वारा किया जाता है । 1994–95 तक 70 देशों के साथ ऐसे कार्यक्रम चल रहे थे ।

आलोच्य वर्ष के दौरान वि०अ०आ० ने विभिन्न देशों के 32 विदेशी विद्वानों की मेजबानी की और भारत की विभिन्न संस्थाओं में अनके कार्यक्रमों का आयोजन किया । वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेश भेजे गए भारतीय विद्वानों की संख्या 33 थी।

विश्वविद्यालयों के अभिज्ञात विभागों एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं के मध्य द्विपक्षीय संस्थागत संबंधों के विकास पर अधिक जोर दिया गया । इसके अनुसार जापान, चिली, आस्ट्रिया, मोरक्को, हंगरी, पोलैंड, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, ईरान, बहरीन, ब्राज़ील और गुआना जैसे देशों के साथ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है ।

15.2 शिष्टमंडल

विदेशी शिष्टमंडल

* घाना के एक पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने अप्रैल, 1994 में भारत का दौरा किया ।
* हंगरी के एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने मार्च, 1995 में भारत का दौरा किया ।

भारतीय शिष्टमंडल

* छह सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने अप्रैल, 1994 में मिस्र का दौरा किया ।
* भारत–फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन एक चार सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने मई, 1994 में फ्रांस का दौरा किया ।
* एक चार सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने 21 से 30 मई, 1994 के दौरान इस्राइल का दौरा किया ।
* एक पांच सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने 15 से 22 नवंबर, 1994 तक कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य का दौरा किया ।

विदेशी भाषा शिक्षक

वि०अ०आ० ने सहयोगी विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेशी भाषा शिक्षकों को उन विश्वविद्यालयों में भेजना जारी रखा जिनमें विदेशी भाषा पढ़ाने के लिए समुचित आधार-संरचना विद्यमान थी । आलोच्य वर्ष के दौरान जर्मन के 7, फ्रेंच के 4, पुर्तगाली और चीनी - प्रत्येक के 3, स्पेनिश, स्लोवाक और हंगेरियन के दो-दो तथा पोलिश, कोरियाई, रशियन, रूमानियन और फारसी के लिए एक-एक शिक्षक भारतीय विश्वविद्यालयों में भेजे गए ।

15.3 अध्येतावृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां

जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डी.ए.ए.डी.)

* प्राकृतिक विज्ञान, गणित, भूविज्ञान, जर्मन भाषा और साहित्य तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के कुछ क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान के लिए प्रदान की गई 12 अध्येतावृत्तियों के लिए 12 छात्र नामित किए गए ।

* भारतीय विश्वविद्यालयों के जर्मन विभागों में एम.ए. पाठ्यक्रम के वरिष्ठ छात्रों तथा एम.फिल./एम.लिट. पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की 6 अल्पकालिक अध्येतावृत्तियों के लिए 7 छात्रों को नामित किया गया ।

* जर्मन भाषा के शिक्षकों के लिए तीन मास की अवधि के 3 निमंत्रणों के लिए 4 भारतीय शिक्षकों को नामित किया गया ।

* जर्मन संस्कृति, इतिहास अर्थशास्त्र, दर्शन और प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित किसी भी विषय में भारत में पीएच.डी. करने के लिए पंजीकृत भारतीय छात्रों को प्रदत्त 3 से 6 मास की 6 अल्पकालिक अध्येतावृत्तियों के लिए वर्ष 1994-95 के लिए सात(7) स्कालरों को नामित किया गया ।

फ्रांस सरकार की छात्रवृत्तियां

फ्रेंच सीखने या फ्रेंच साहित्य एवं सभ्यता का अध्ययन करने के लिए सात स्कालरों को फ्रांस सरकार की अध्येतावृत्तियां प्रदान की गईं ।

15.4 ऐसे शिक्षकों को यात्रा अनुदान जिन्हें विदेश में उनके अनुरक्षण के लिए अध्येतावृत्तियां/वजीफे देने का प्रस्ताव है

ऐसे दो शिक्षकों को विदेश दौरे के लिए यात्रा अनुदान दिया गया जो अपने अनुसंधान कार्य के लिए सामग्री एकत्र करने हेतु अथवा उस देश की किसी एजेंसी से सहायतार्थ अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए

विदेश गए थे जहाँ से 1994-95 के दौरान छात्र को अपने अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता मिलने का प्रस्ताव है ।

15.5 भारत-अमरीका अध्येतावृत्ति कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अधीन भारत में डाक्टरेट-उपरांत अनुसंधान कार्य के लिए अमरीकी स्कालरों को प्रदत्त 12 अध्येतावृत्तियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 6 मास की अवधि वाली 4 दीर्घकालीन अध्येतावृत्तियां और 3 मास की 8 अल्पकालीन अध्येतावृत्तियों के लिए नामन प्राप्त हुए । इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दीर्घकालीन अध्येतावृत्तियों के लिए 2 और अल्पकालीन अध्येतावृत्तियों के लिए 8 स्कालरों को नामित किया ।

15.6 फ्रांस के साथ सी एस आई आर - सी एन आर एस विनिमय कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अधीन सी एस आई आर फ्रांस जाने के लिए विश्वविद्यालयों से भारतीय वैज्ञानिकों के दौरे के वास्ते 200 श्रम दिवस आबंटित करता है । उसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सी एन आर एस को फ्रांस के वैज्ञानिकों द्वारा अपने अनुसंधान कार्य के संबंध में भारत का दौरा करने के लिए 200 श्रम दिवस आबंटित करता है । वर्ष 1994-95 के दौरान 6 भारतीय स्कालरों ने 4-4 सप्ताह के लिए फ्रांस का दौरा किया और फ्रांस के 4 स्कालरों ने भारत का दौरा किया ।

15.7 शैक्षिक संपर्क अंतर्विनिमय योजना (ए एल आई एस)

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भारत और यू.के. में उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच संपर्क विकास के लिए ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से किया जाता है । ऐसे संपर्कों का विकास निर्दिष्ट क्षेत्रों में यथा - संयुक्त अनुसंधान, संयुक्त प्रकाशन, पाठ्यक्रम विकास आदि के लिए किया जाता है ।

वर्ष 1994-95 के दौरान 7 भारतीय स्कालरों ने यू.के. का दौरा किया और 2 ब्रिटिश स्कालरों ने भारत का दौरा किया ।

15.8 सार्क पीठें/अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सार्क पीठों/अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों की योजना के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करता है । इस योजना के अधीन प्रेषक देश अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराया देता है और

मेजबान पक्ष दाखिलों और भत्तों के भुगतान की व्यवस्था करता है । इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित देशों में उपलब्ध स्थानों (स्लाटों) की संख्या इस प्रकार है :-

सारणी 15.1

सार्क छात्रवृत्तियां

	बंगला देश	भूटान	भारत	नेपाल	पाकिस्तान	श्रीलंका	मालदीव
पीठें	1	-	1	-	1	1	-
अध्येतावृत्तियां	6	1	6	1	6	6	6
छात्रवृत्तियां	12	-	2	2	12	12	6

सारणी 15.2

प्रत्येक देश के लिए 1994-95 के लिए यू.जी.सी. नामन

देश	अध्येतावृत्तियां	छात्रवृत्तियां
पाकिस्तान	1	1
बंगला देश	1	1
भूटान	1	-
श्रीलंका	1	1

15.9 सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी टी पी)

सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आई सी टी पी) त्रिस्ते (इटली) या किसी अन्य देश में आयोजित ग्रीष्मकालीन स्कूलों में भाग लेने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों/कालेजों के शिक्षकों को आमंत्रित करता है । भारतीय सहभागियों के हवाई किराये के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और आई सी टी पी - दोनों बराबर-बराबर राशि देते हैं । वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग को आई सी टी पी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

15.10 राष्ट्रमंडलीय शैक्षिक स्टाफ अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां

इस कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू.के. में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ (ए सी यू) से समन्वय स्थापित करता है और राष्ट्रमंडलीय अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए नामन करता है ताकि भारत में विश्वविद्यालयों और कालेजों में होनहार संकाय सदस्य यू.के. में विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर सकें । वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्येतावृत्तियों के लिए 25 और छात्रवृत्तियों के लिए 25 शिक्षकों की सिफारिश की । इनमें से राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ ने अध्येतावृत्तियों के लिए 12 और छात्रवृत्तियों के लिए 3 शिक्षकों का चयन अंतिम रूप से किया ।

15.11 कनाडियन अध्ययनों का विकास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कनाडियन अध्ययन कार्यक्रम शुरू किया है और कनाडा के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों से संबंधित अध्ययनों के लिए विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहातया देने के वास्ते 13 विभागों का पता लगा लिया है ।

15.12 भारत और यू.एस.ए. के बीच सहयोगी अनुसंधान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1993 से भारत और यू.एस.ए. के बीच "सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम" नामक एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अधीन भारतीय एवं अमरीकी वैज्ञानिक संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करते हैं । इस योजना के अंतर्गत यह व्यवस्था भी की गई है कि यू एस यूनिवर्सिटी प्रेसीडेंट भारत का दौरा कर सकते हैं और अमरीकी विश्वविद्यालयों में भारतीय पीठें स्थापित की जा सकती हैं । इस कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1993-94 के दौरान 20 और 1994-95 में 15 प्रस्ताव प्राप्त हुए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन प्रस्तावों की छानबीन की ताकि विशेषज्ञों द्वारा अकादमिक दृष्टि से उनका मूल्यांकन किया जा सके । इन प्रस्तावों को सुरक्षा और राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया गया ।

०००००

परिशिष्टों की सूची

I	भारत में विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालय संस्थाओं की सूची - राज्यवार (31.3.1995)	103
II	छात्र नामांकन में अखिल भारतीय संवृद्धि (1975-76 से 1994-95)	108
III	राज्यवार नामांकन (पी यू सी/इंटर/पूर्व व्यावसायिक को छोड़कर) 1994-95	109
IV	स्तरवार नामांकन : विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज 1994-95	110
V	विश्वविद्यालयों में संकायवार छात्र नामांकन 1990-91 से 1994-95	111
VI	कुल नामांकन में महिला नामांकन का प्रतिशत : राज्यवार 1994-95	112
VII	कालेजों की संख्या में वृद्धि : राज्यवार (1990-91 से 1994-95)	113
VIII	विश्वविद्यालय विभागों/वि.वि. कालेजों में पदों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण (1990-91 से 1994-95)	114
IX	संबद्ध कालेजों में पदों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण (1990-91 से 1994-95)	115
X	संकायवार प्रदत्त डाक्टरेट की डिग्रियों की संख्या : 1991-92, 1992-93 और 1993-94	116
XI	वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) योजनेतर अनुदान के अंतर्गत तथा सारांश (योजनेतर) 1994-95	117
XII	वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) केंद्रीय योजना, इंजी॰ तथा प्रौद्यो॰ और खंड-।।। के अंतर्गत तथा सारांश (योजनागत) 1994-95	135
XIII	वर्ष 1992-93 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालय संस्थाओं तथा राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में अनुरक्षण अनुदान (योजनेतर) तथा आवर्ती व्यय (योजनेतर) को दर्शाने वाला विवरण	153

परिशिष्ट - I

भारत में विश्वविद्यालयों तथा समविश्वविद्यालय संस्थाओं की सूची - राज्यवार (31.03.1995 को)

(क) विश्वविद्यालय

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
आंध्र प्रदेश		
1.	उस्मानिया	1918
2.	आंध्र	1926
3.	श्री वेंकटेश्वर	1954
4.	आंध्र प्रदेश कृषि	1964
5.	जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी	1972
6.	हैदराबाद	1974
7.	ककातिया	1976
8.	नागार्जुन	1976
9.	श्री कृष्णदेवराय	1981
10.	डा॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर मुक्त	1982
11.	श्री पद्मावती महिला	1983
12.	तेलुगु	1985
13.	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	1986
अरुणाचल प्रदेश		
14.	अरुणाचल	1985
असम		
15.	गोवाहाटी	1948
16.	डिब्रूगढ़	1965
17.	असम कृषि	1968
18.	तेजपुर	1994
19.	असम	1994
बिहार		
20.	पटना	1917
21.	बिहार	1952
22.	तिलक मांझी भागलपुर	1960
23.	रांची	1960
24.	के॰एस॰ दरभंगा संस्कृत	1961
25.	मगध	1962
26.	राजेंद्र कृषि	1970
27.	ललित नारायण मिथिला	1972
28.	बिरसा कृषि	1980
29.	विनोबा भावे	1993
30.	भूपेंद्र नारायण मंडल	1993
31.	वीर कुवर सिंह	1994
32.	जय प्रकाश	1995
33.	नालंदा मुक्त	1995
गोआ		
34.	गोआ	1985
गुजरात		
35.	महाराजा सायाजीराव	1949
36.	गुजरात	1950
37.	सरदार पटेल	1955
38.	सौराष्ट्र	1955
39.	साउथ गुजरात	1965
40.	गुजरात आयुर्वेद	1968
41.	गुजरात कृषि	1972
42.	भावनगर	1978
43.	नार्थ गुजरात	1986
हरयाणा		
44.	कुरुक्षेत्र	1956
45.	चौधरी चरणसिंह हरयाणा कृषि	1970
46.	महर्षि दयानंद	1976

(क) विश्वविद्यालय जारी

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
हिमाचल प्रदेश		
47.	हिमाचल प्रदेश	1970
48.	हिमाचल प्रदेश कृषि	1978
49.	डा॰ वाई॰एस॰ परमार कृषि उद्यान एवं वानिकी	1986
जम्मू और कश्मीर		
50.	कश्मीर	1949
51.	जम्मू	1969
52.	शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1982
कर्नाटक		
53.	मैसूर	1916
54.	कर्नाटक	1949
55.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	1964
56.	बंगलौर	1964
57.	गुलबर्गा	1980
58.	मंगलौर	1980
59.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	1986
60.	कुवेम्पू	1987
61.	कन्नड	1992
62.	नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया	1992
केरल		
63.	केरल	1937
64.	कालीकट	1968
65.	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1971
66.	केरल कृषि	1972
67.	महात्मा गांधी	1983
68.	श्री शंकराचार्य संस्कृत	1994
मध्य प्रदेश		
69.	डॉ॰ हरीसिंह गौड़	1946
70.	इंदिरा कला संगीत	1956
71.	रानी दुर्गावती	1957
72.	विक्रम	1957
73.	देवी अहिल्या	1964
74.	जीवाजी	1964
75.	रविशंकर	1964
76.	जवाहर लाल नेहरू कृषि	1964
77.	अवधेश प्रताप सिंह	1968
78.	बरकतुल्ला	1970
79.	गुरु घासीदास	1983
80.	इंदिरा गांधी कृषि	1987
81.	चित्रकूट ग्रामोदय	1993
82.	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिकारिता	1993
83.	भोज मुक्त	1995
महाराष्ट्र		
84.	बंबई	1857
85.	नागपुर	1923
86.	पूना	1949
87.	श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकरसे महिला	1951
88.	डा॰ बाबा साहेब अम्बेडकर, मराठवाड़ा	1958
89.	शिवाजी	1962
90.	महात्मा फूले कृषि	1968
91.	पंजाबराव कृषि	1969
92.	कोंकण कृषि	1972
93.	मराठवाड़ा कृषि	1972
94.	अमरावती	1983
95.	यशवंत राव चह्वाण महाराष्ट्र मुक्त	1990
96.	नार्थ महाराष्ट्र	1991
97.	डा॰ बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकीय	1992
98.	स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा	1995

(क) विश्वविद्यालय जारी

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
मणिपुर		
99.	मणिपुर	1980
मेघालय		
100.	नार्थ इस्टर्न हिल	1973
नागालैंड		
101.	नागालैंड	1995
उड़ीसा		
102.	उत्कल	1943
103.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1962
104.	बरहमपुर	1967
105.	सम्बलपुर	1967
106.	श्री जगन्नाथ संस्कृत	19८
पंजाब		
107.	पंजाब	1947
108.	पंजाब कृषि	1962
109.	पंजाबी	1962
110.	गुरु नानक देव	1969
राजस्थान		
111.	राजस्थान	1947
112.	मोहनलाल सुखाड़िया	1962
113.	जय नारायण व्यास	1962
114.	महर्षि दयानंद सरस्वती	1987
115.	राजस्थान कृषि	1987
116.	कोटा मुक्त	1987
तमिलनाडु		
117.	मद्रास	1857
118.	अन्नामलाई	1929
119.	मदुरै कामराज	1965
120.	तमिलनाडु कृषि	1971
121.	अन्ना	1978
122.	तमिल	1981
123.	भारतीदासन	1982
124.	भरतियार	1982
125.	मदर टरेसा महिला	1984
126.	अलगप्पा	1985
127.	डा॰ एम॰जी॰आर॰ मेडीकल	1989
128.	तमिलनाडु पशुचिकित्सा तथा पशुविज्ञान	1990
129.	मनोनमनियन सुंदरानर	1992
त्रिपुरा		
130.	त्रिपुरा	1987
उत्तर प्रदेश		
131.	इलाहाबाद	1887
132.	बनारस हिंदू	1916
133.	अलीगढ़ मुस्लिम	1921
134.	लखनऊ	1921
135.	आगरा	1927
136.	रुड़की	1949
137.	गोरखपुर	1957
138.	सम्पूर्णानंद संस्कृत	1958
139.	जी॰बी॰ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1960
140.	कानपुर	1965
141.	चौधरी चरणसिंह	1965
142.	कुमांऊ	1973
143.	हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल	1973
144.	चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1974
145.	काशी विद्यापीठ	1974
146.	नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1974
147.	डा॰ राम मनोहर लोहिया	1975
148.	रुहेलखंड	1975
149.	बुंदेलखंड	1975
150.	पूर्वांचल	1987

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
पश्चिम बंगाल		
151.	कलकत्ता	1857
152.	विश्वभारती	1951
153.	जादवपुर	1955
154.	कल्याणी	1960
155.	बर्दवान	1960
156.	रवींद्र भारती	1962
157.	नार्थ बंगाल	1962
158.	बिधानचंद्र कृषि	1974
159.	विद्यासागर	1981
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)		
160.	दिल्ली	1922
161.	जवाहरलाल नेहरू	1968
162.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त	1985
163.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1988
पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)		
164.	पांडिचेरी	1985

(ख) राज्य विधान अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थाएं

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
आंध्र प्रदेश		
1.	निज़ाम आयुर्विज्ञान संस्थान	1990
बिहार		
2.	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान	1992
जम्मू और कश्मीर		
3.	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान	1990
उत्तर प्रदेश		
4.	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान	1983

(ग) समविश्वविद्यालय संस्थाएं .. जारी

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष

(ग) समविश्वविद्यालय संस्थाएं

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
आंध्र प्रदेश		
1.	केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान	1973
2.	श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	1981
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	1987
4.	श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान	1995
बिहार		
5.	भारतीय खान स्कूल	1967
6.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान	1986
गुजरात		
7.	गुजरात विद्यापीठ	1963
हरयाणा		
8.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	1989
कर्नाटक		
9.	भारतीय विज्ञान संस्थान	1958
10.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी	1994
महाराष्ट्र		
11.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	1964
12.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	1985
13.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	1987
14.	केंद्रीय मीन उद्योग शिक्षा संस्थान	1989
15.	डकन स्नातकोत्तर कालेज एवं अनुसंधान संस्थान	1990
16.	गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान	1994

(ग) समविश्वविद्यालय संस्थाएं .. जारी

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
पंजाब		
17.	थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	1985
राजस्थान		
18.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान	1964
19.	बनस्थली विद्यापीठ	1983
20.	राजस्थान विद्यापीठ	1987
21.	जैन विश्वभारती संस्थान	1991
तमिलनाडु		
22.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	1976
23.	श्री अविनाशीलिंगम् महिला गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान	1988
24.	श्री चंद्रशेखरेन्द्र एस॰ न्याय शास्त्र महाविद्यालय	1994
25.	श्री रामचंद्र आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान	1995
उत्तर प्रदेश		
26.	गुरुकुल कांगड़ी	1962
27.	दयालबाग शिक्षा संस्थान	1981
28.	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	1983
29.	केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान	1989
30.	वन अनुसंधान संस्थान	1992

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना वर्ष
पश्चिम बंगाल		
31.	बंगाल इंजीनियरी कालेज	1992
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)		
32.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	1958
33.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय	1979
34.	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	1987
35.	कला इतिहास, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान का राष्ट्रीय म्यूज़ियम	1989
36.	जामिया हमदर्द	1989

°°°°°

परिशिष्ट - II

छात्र नामांकन में अखिल भारतीय संवृद्धि (1975-76 से 1994-95)

	कुल नामांकन	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1975-76	24,26,109	59,568	2.5
1976-77	24,31,563	5,454	0.2
1977-78	25,64,972	1,33,409	5.5
1978-79	26,18,228	53,256	2.1
1979-80	26,48,579	30,351	1.2
1980-81	27,52,437	1,03,858	3.9
1981-82	29,52,066	1,99,629	7.3
1982-83	31,33,093	1,81,027	6.1
1983-84	33,07,649	1,74,556	5.6
1984-85	34,04,096	96,447	2.9
1985-86	36,05,029	2,00,933	5.9
1986-87	37,57,158	1,52,129	4.1
1987-88#	40,20,159	2,63,001	7.0
1988-89#	42,85,489	2,65,330	6.6
1989-90#	46,02,680	3,17,191	7.4
1990-91#	49,24,868	3,22,188	7.0
1991-92	52,65,886	3,41,018	6.9
1992-93	55,34,966	2,69,080	5.1
1993-94*	58,17,249	2,82,283	5.1
1994-95*	61,13,929	2,96,680	5.1

संशोधित अनुमान, * अनुमानित

परिशिष्ट - III

राज्यवार नामांकन (पी यू सी/इंटर/पूर्व व्यावसायिक को छोड़कर) 1994-95

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान वृद्धि की वार्षिक औसत मिश्रित दर
1.	आंध्र प्रदेश	427652	22349	5.5	6.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	3240	180	5.9	6.8
3.	असम	148170	6167	4.3	4.2
4.	बिहार	475230	22902	5.1	4.7
5.	गोआ	16977	950	5.9	7.3
6.	गुजरात	416458	18209	4.6	5.0
7.	हरयाणा	142320	6015	4.4	4.3
8.	हिमाचल प्रदेश	35354	192	5.9	7.2
9.	जम्मू और कश्मीर	44752	1985	4.6	5.0
10.	कर्नाटक	487562	25745	5.6	6.1
11.	केरल	180053	7329	4.2	3.1
12.	मध्य प्रदेश	375216	17104	4.8	4.8
13.	महाराष्ट्र	950946	42951	4.7	5.2
14.	मणिपुर	28254	1359	5.1	5.7
15.	मेघालय/मिजोरम/नागालैंड	19455	1023	5.6	5.8
16.	उड़ीसा	205105	10568	5.4	5.5
17.	पंजाब	186797	10018	5.7	4.9
18.	राजस्थान	205215	11666	6.0	6.1
19.	तमिलनाडु	416654	23892	6.1	7.2
20.	उत्तर प्रदेश	847263	42917	5.3	4.2
21.	पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम	354808	14331	4.2	3.8
22.	दिल्ली	136538	6453	5.0	5.0
23.	पांडिचेरी	9910	585	6.3	5.7
	जोड़	**6113939**	**296680**	**5.1**	**5.5**

परिशिष्ट - IV

स्तरवार नामांकन : विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज 1994-95

स्तर	विश्वविद्यालय विभाग/ विश्वविद्यालय कालेज	संबद्ध कालेज	जोड़	संबद्ध कालेजों में प्रतिशत			
				1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
स्नातक	6,59,292	47,27,080	53,86,373 (88.0 प्रतिशत)	87.8	87.8	87.8	87.8
स्नातकोत्तर	2,52,891	3,27,932	5,80,823 (9.4 प्रतिशत)	56.5	56.5	56.5	56.5
अनुसंधान	57,192	10,061	67,253 (1.1 प्रतिशत)	15.0	15.0	15.0	15.0
डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र	45,018	34,463	79,481 (1.3 प्रतिशत)	43.4	43.4	43.4	43.4
जोड़	10,14,393	50,99,536	61,13,929	83.4	83.4	83.4	83.4

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल नामांकन का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट - V

विश्वविद्यालयों में संकायवार छात्र नामांकन 1990-91 से 1994-95

अध्ययन पाठ्यक्रम	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94		1994-95	
	नामांकन	कुल का प्रतिशत	नामांकन	कुल का प्रतिशत	नामांकन	कुल का प्रतिशत	नामांकन	कुल का प्रतिशत	नामांकन	कुल का प्रतिशत
कला(प्राच्य विद्या सहित)	19,91,097	40.4	21,29,418	40.4	22,38,626	40.4	23,52,970	40.4	24,73,027	40.4
विज्ञान	9,67,074	19.6	10,33,614	19.6	10,86,353	19.6	11,41,680	19.6	11,99,830	19.6
वाणिज्य	18,80,174	21.9	11,54,804	21.9	12,13,688	21.9	12,75,478	21.9	13,40,560	21.9
शिक्षा	1,13,272	2.3	1,21,115	2.3	1,27,304	2.3	1,33,797	2.3	1,40,620	2.3
इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी	2,41,318	4.9	2,58,028	4.9	2,71,213	4.9	2,85,045	4.9	2,99,583	4.9
आयुर्विज्ञान	1,67,446	3.4	1,79,040	3.4	1,88,189	3.4	1,97,786	3.4	2,07,874	3.4
कृषि	51,720	1.1	55,292	1.1	58,120	1.1	61,091	1.1	64,200	1.1
पशु चिकित्सा विज्ञान	12,350	0.3	13,356	0.3	13,840	0.3	14,550	0.3	15,285	0.3
विधि	2,61,018	5.3	2,79,092	5.3	2,93,353	5.3	3,08,314	5.3	3,24,038	5.3
अन्य	39,399	0.8	42,127	0.8	44,280	0.8	46,538	0.8	48,912	0.8
जोड़	49,24,868	100.0	52,65,886	100.0	55,34,966	100.0	58,17,249	100.0	61,13,929	100.0

परिशिष्ट - VI

कुल नामांकन में महिला नामांकन का प्रतिशत : राज्यवार
1994-95

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल* नामांकन	महिला* नामांकन	महिलाओं का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	4,27,652	1,33,907	31.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	3,240	737	22.7
3.	असम	1,48,170	47,725	32.2
4.	बिहार	4,75,230	87,672	18.4
5.	गोआ	16,977	8,634	50.9
6.	गुजरात	4,16,458	1,61,964	38.9
7.	हरयाणा	1,42,320	54,072	38.0
8.	हिमाचल प्रदेश	35,354	13,503	38.2
9.	जम्मू और कश्मीर	44,752	17,583	39.3
10.	कर्नाटक	4,87,562	1,66,766	34.2
11.	केरल	1,80,053	93,545	52.0
12.	मध्य प्रदेश	3,75,216	1,11,127	29.6
13.	महाराष्ट्र	9,50,946	3,41,384	35.9
14.	मणिपुर	28,254	11,974	42.4
15.	मेघालय/नागालैंड	19,455	7,682	39.5
16.	उड़ीसा	2,05,105	65,859	32.1
17.	पंजाब	1,86,797	95,000	50.9
18.	राजस्थान	2,05,215	67,124	32.7
19.	तमिलनाडु	4,16,654	1,65,364	39.7
20.	उत्तर प्रदेश	8,47,263	2,24,741	26.5
21.	पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम	3,54,808	1,23,835	34.9
22.	दिल्ली	1,36,538	60,318	44.2
23.	पांडिचेरी	9,910	4,466	45.1
	जोड़	61,13,929	20,64,982	33.8

*अनुमानित

परिशिष्ट - VII

कालेजों की संख्या में वृद्धि : राज्यवार 1990-91 से 1994-95

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91		1991-92		1992-93		1993-94		1994-95*		
	कालेजों की संख्या (यू.सी.+ ए.सी.)	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	कालेजों की संख्या (यू.सी.+ ए.सी.)	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	कालेजों की संख्या (यू.सी.+ ए.सी.)	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	कालेजों की संख्या (यू.सी.+ ए.सी.)	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	कालेजों की संख्या (यू.सी.+ ए.सी.)	गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि	1990-91 से 1994-95 के दौरान वृद्धि
1. आंध्र प्रदेश	592	24	686	94	717	31	747	30	779	32	187
2. अरुणाचल प्रदेश	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0
3. असम	185	1	210	25	218	8	225	7	233	8	48
4. बिहार	664	2	664	0	715	51	735	20	759	24	95
5. गोआ	27	0	30	3	30	0	31	1	32	1	5
6. गुजरात	356	8	370	14	385	15	397	12	410	13	54
7. हरयाणा	154	5	155	1	155	0	168	13	170	2	16
8. हिमाचल प्रदेश	42	0	53	11	54	1	56	2	57	1	15
9. जम्मू और कश्मीर	44	0	46	2	46	0	46	0	46	0	2
10. कर्नाटक	715	19	790	75	846	56	884	38	929	45	214
11. केरल	193	0	225	32	225	0	232	7	241	9	48
12. मध्य प्रदेश	631	9	631	0	631	0	653	22	674	21	43
13. महाराष्ट्र	1101	143	1191	90	1216	25	1341	125	1433	92	332
14. मणिपुर	25	0	44	19	50	6	54	4	59	5	34
15. मेघालय	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	0
16. मिजोरम	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0
17. नागालैंड	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0	0
18. उड़ीसा	277	4	289	12	303	14	313	10	325	12	48
19. पंजाब	213	5	217	4	221	4	229	8	234	5	21
20. राजस्थान	255	1	256	1	268	12	273	5	279	6	24
21. सिक्किम	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0
22. तमिलनाडु	357	3	380	23	384	4	396	12	409	13	52
23. त्रिपुरा	17	0	19	2	19	0	20	1	20	0	3
24. उत्तर प्रदेश	944	0	949	5	953	4	957	4	962	5	18
25. पश्चिम बंगाल	389	5	390	1	391	1	394	3	396	2	7
26. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3	1	3	0	3	0	3	0	3	0	0
27. चंडीगढ़	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	0
28. दादर और और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. दमन दीव	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
30. दिल्ली	79	0	80	1	80	0	80	0	80	0	1
31. लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	0			
32. पांडिचेरी	13	1	13	0	13	0	13	0	13	0	0
जोड़	7,346	231	7,761	415	7,993	232	8,317	324	8,613	296	1,267

यू.सी. = यूनिवर्सिटी कालेज (विश्वविद्यालय कालेज) ए.सी. = एफिलिएटेड कालेज (संबद्ध कालेज)

* अनंतिम

परिशिष्ट - VIII

विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कालेजों में पदों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण (1990-91 से 1994-95)

वर्ष	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरार*	अनुशिक्षक/ निदर्शक	जोड़
1990-91	8,008	16,392	35,662	2,503	62,565
	(12.8)	(26.2)	(57.0)	(4.0)	(100.0)
1991-92	8,216	16,816	36,586	2,567	64,185
	(12.8)	(26.2)	(57.0)	(4.0)	(100.0)
1992-93	8,428	17,250	37,530	2,634	65,842
	(12.8)	(26.2)	(57.0)	(4.0)	(100.0)
1993-94	8,645	17,695	38,498	2,702	67,540
	(12.8)	(26.2)	(57.0)	(4.0)	(100.0)
1994-95	8,868	18,152	39,492	2,771	69,283
	(12.8)	(26.2)	(57.0)	(4.0)	(100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उस वर्ष के कुल स्टाफ की संख्या में संबंधित काडर की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

*इनमें सहायक प्रोफेसर और सहायक लेक्चरार शामिल हैं ।

परिशिष्ट - IX

संबद्ध कालेजों में पदों के अनुसार शिक्षण स्टाफ की संख्या और वितरण (1990-91 से 1994-95)

वर्ष	वरिष्ठ शिक्षक*	लेक्चरार**	अनुशिक्षक/ निदर्शक	जोड़
1990-91	27,974	1,64,425	8,855	2,01,254
	(13.9)	(81.7)	(4.4)	(100.0)
1991-92	28,979	1,70,327	9,173	2,08,479
	(13.9)	(81.7)	(4.4)	(100.0)
1992-93	30.017	1,76,431	9,502	2,15,950
	(13.9)	(81.7)	(4.4)	(100.0)
1993-94	31,068	1,82,606	9,834	2,23,508
	(13.9)	(81.7)	(4.4)	(100.0)
1994-95	32,180	1,89,144	10,186	2,31,510
	(13.9)	(81.7)	(4.4)	(100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या में काडर की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

* इनमें प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर तथा वरिष्ठ लेक्चरार शामिल हैं ।

** इनमें सहायक प्रोफेसर और सहायक लेक्चरार शामिल हैं ।

परिशिष्ट - X

संकायवार प्रदत्त डाक्टरेट की डिग्रियों की संख्या 1991-92, 1992-93 और 1993-94

संकाय	1991-92	1992-93*	1993-94**
कला	3,489	3,621	3,748
विज्ञान	3,226	3,386	3,505
वाणिज्य	409	453	498
शिक्षा	254	247	240
इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी	299	323	348
आयुर्विज्ञान	107	116	128
कृषि	653	611	572
पशु चिकित्सा विज्ञान	129	112	102
विधि	60	72	86
अन्य	117	129	142
जोड़	8,743	9,070	9,369

*अनंतिम

परिशिष्ट - XI

वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) योजनेतर अनुदान के अंतर्गत

केंद्रीय विश्वविद्यालय	केंद्रीय विश्व-विद्यालयों को ब्लाक अनुदान	समविश्व-विद्यालयों को ब्लाक अनुदान	राज्य विश्व-विद्यालयों को ब्लाक अनुदान	शिक्षक पुरस्कार	अनुसंधान अध्येता-वृत्तियाँ	छात्रवृत्ति अध्येता-वृत्ति अवार्ड ईएंडटी	विश्व-विद्यालयेतर संस्थानों को व्यय की प्रतिपूर्ति	जनसंपर्क केंद्र	विशिष्ट प्रयोजन	कुल जोड़
	02(1)	02(2)	02(3)	05(1) (क) से 05(iv)	06(1क) से 06(2ख)	07	08	09		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. अलीगढ़ मुस्लिम वि०वि०	5601.83	–	–	–	2.68 *0.07	–	–	–	80.00	5684.51 *0.07
2. बनारस हिंदू वि०वि०	6525.27	–	–	–	9.93 *0.04	30.15	–	–	–	6565.35 *0.04
3. दिल्ली	3317.97	–	–	–	44.89 *0.22	–	–	–	–	3362.86 *0.22
4. हैदराबाद	725.18	–	–	0.04	43.36 *0.12	7.18	–	–	–	775.76 *0.12
5. इ.गां.रा.मु.वि.	–	–	–	–	0.40	–	–	–	–	0.40
6. जामिया मिलिया इस्लामिया	963.55	–	–	–	4.90	–	–	115.00	–	1083.45
7. जवाहर लाल नेहरू	2096.45	–	–	–	111.66 *0.05	–	–	10.00	–	2218.11 *0.05
8. नेहू	1205.34	–	–	0.21	–	–	–	–	–	1205.55
9. पांडिचेरी	358.22	–	–	–	4.32	–	–	–	–	362.54
10. विश्व भारती	1499.31	–	–	–	1.51	–	–	–	–	1500.82
जोड़	22293.12	–	–	0.25	223.65 *0.50	37.33	–	125.00	80.00	22759.35 *0.5

*समायोजन द्वारा

नाभिकीय विज्ञान केंद्र

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. नाभिकीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	5.50	–	5.50
2. नाभिकीय विज्ञान केंद्र का शिक्षा संचार संकाय	–	–	–	–	–	–	–	19.50	–	19.50
3. अंतर्विश्वविद्यालय संकाय, इंदौर	–	–	–	–	0.20	–	–	–	–	0.20
जोड़	–	–	–	–	0.20	–	–	25.00	–	25.20

समविश्वविद्यालय संस्थाएं

1. बनस्थली विद्यापीठ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	–	–	45.98	–	–	–	–	–	–	45.98
3. बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	–	–	–	–	–	5.68 *0.18	–	–	–	5.68 *0.18
4. केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	–	267.01 *27.46	–	0.10	4.00	–	–	36.42 *3.58	–	307.53 *31.04
5. केंद्रीय मीन उद्योग शिक्षा संस्थान, बंबई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	–	–	–	–	0.21	–	–	–	–	0.21
7. दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा	–	75.18	–	–	0.94	0.65	–	–	–	76.77
8. डकन स्नातकोत्तर कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे	–	–	–	–	0.78	–	–	–	–	0.78
9. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	–	238.20 *10.82	–	–	0.64	–	–	–	–	238.84 *10.82
10. गोखले संस्थान, पूना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

*समायोजन द्वारा

समविश्वविद्यालय संस्थाएं ...जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद	–	229.00 *0.37	–	–	0.23	–	–	–	–	229.23 *0.37
12. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरद्वार	–	139.03	–	–	–	–	–	–	–	139.03
13. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली	–	–	–	–	0.16	–	–	–	–	0.16
14. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	–	–	–	–	0.26	–	–	–	–	0.26
15. भारतीय खान स्कूल, धनबाद	–	563.21	–	–	0.39	–	–	–	–	563.60
16. अंतर्राष्ट्रीय जन-संख्या विज्ञान संस्थान, बंबई	–	–	–	–	0.40	–	–	–	–	0.40
17. भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ईटानगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18. जे०वी० भारती संस्थान, लाडनूं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19. जामिया हमदर्द (दिल्ली)	–	274.37	–	–	1.06	3.87 *0.08	–	–	–	279.30 *0.08
20. कला इतिहास संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान का राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली	–	–	–	–	0.56	–	–	–	–	0.56
21. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	–	–	–	–	0.13	–	–	–	–	0.13
22. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23. रा० संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	–	–	–	–	0.12	–	–	–	–	0.12
24. योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25. श्री लालबहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	–	–	–	–	0.67	–	–	–	–	0.67

*समायोजन द्वारा

समविश्वविद्यालय संस्थाएं ...जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. श्री अविनाशीलिंगम् महिला गृह-विज्ञान उच्च शिक्षा संस्थान	120.17	-	-	0.22	-	-	-	-	120.39
27. श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई	256.62	-	-	1.48	-	-	-	-	258.10
29. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	-	18.64	-	0.12	-	-	-	-	18.76
31. श्री सी॰एस॰एन॰एस॰ महाविद्यालय, कांचीपुरम्	7.00	-	-	-	-	-	-	-	7.00
जोड़	**2169.79** *38.65	**64.62**	**0.10**	**12.37**	**10.20** *0.26	-	**36.42** *3.58	-	**2293.50** *42.49

राज्य विश्वविद्यालय

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. आंध्र	-	-	-	0.19	16.32	6.38	-	-	22.89
3. आंध्र प्रदेश कृषि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ककातिया	-	-	-	-	1.19	1.72	-	-	2.91
7. नागार्जुन	-	-	-	-	2.70	-	-	-	2.70
8. उस्मानिया	-	-	-	-	2.60 *0.03	14.99	-	-	17.59 *0.03
9. श्री कृष्ण देवराय	-	-	-	-	1.84	-	-	-	1.84
10. श्री वेंकटेश्वर	-	-	-	0.22	5.15	3.86	-	-	9.23

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. पद्मावती महिला वि०वि०, तिरुपति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. तेलुगु विश्वविद्यालय	–	–	–	–	0.40	–	–	–	–	0.40
जोड़	–	–	–	0.41	30.20 *0.03	26.95	–	–	–	57.56 *0.03
अरुणाचल प्रदेश										
1. अरुणाचल विश्वविद्यालय	–	–	–	–	--	–	–	–	–	–
असम										
1. असम कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. डिब्रूगढ़	–	–	–	–	0.41	–	–	–	–	0.41
3. गोवाहाटी	–	–	–	–	0.24	–	–	–	–	0.24
जोड़	–	–	–	–	0.65	–	–	–	–	0.65
बिहार										
1. भागलपुर	–	–	–	0.08	1.60	–	–	–	–	1.68
2. बिहार	–	–	–	–	5.18	–	–	–	–	5.18
3. बिरसा कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. के०एस० दरभंगा संस्कृत	–	–	–	–	0.25	–	–	–	–	0.25
5. मगध	–	–	–	–	3.61	–	–	–	–	3.61
6. एल०एन० मिथिला	–	–	–	–	6.47	–	–	–	–	6.47
7. पटना	–	–	–	–	6.34	–	–	–	–	6.34
8. राजेंद्र कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. रांची	–	–	–	0.14	0.74 *0.01	–	–	–	–	0.88 *0.01
जोड़	–	–	–	0.22	24.19 *0.01	–	–	–	–	24.41 *0.01

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरयाणा										
1. हरयाणा कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. कुरुक्षेत्र	–	–	–	–	3.60	–	–	–	–	3.60
					*0.07					*0.07
3. महर्षि दयानंद	–	–	–	0.06	0.67	–	–	–	–	0.73
4. सी.सी.एस. (हरयाणा कृषि)	–	–	–	–	0.58	–	–	–	–	0.58
जोड़	–	–	–	0.06	4.85	–	–	–	–	4.91
					*0.07					*0.07
गुजरात राज्य										
1. भावनगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. गुजरात	–	–	–	–	0.28	–	–	34.79	–	35.07
								*5.71	–	*5.71
3. गुजरात कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. गुजरात आयुर्वेद	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. एम.एस. वि०वि० बड़ौदा	–	–	–	–	6.26	3.96	–	–	–	10.22
6. नार्थ गुजरात वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. सरदार पटेल	–	–	–	0.04	0.50	–	–	–	–	0.54
					*0.05					*0.05
8. सौराष्ट्र	–	–	–	0.14	0.08	–	–	–	–	0.22
9. साउथ गुजरात	–	–	–	0.05	–	–	–	–	–	0.05
जोड़	–	–	–	0.23	7.12	3.96	–	34.79	–	46.10
					*0.05			*5.71		*5.76
गोवा राज्य										
1. गोवा विश्वविद्यालय	–	–	–	–	0.46	–	–	–	–	0.46
जोड़	–	–	–	–	0.46	–	–	–	–	0.46

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश										
1. हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	4.19	–	–	–	–	4.19
2. हिमाचल प्रदेश कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. डॉ॰ वाई.एस. परमार कृषि उद्यान तथा वानिकी वि॰वि॰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	–	–	–	–	4.19	–	–	–	–	4.19
जम्मू-कश्मीर										
1. जम्मू	–	–	–	–	0.48	–	–	–	–	0.48
2. कश्मीर	–	–	–	–	1.22	–	–	–	–	1.22
3. शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वि॰वि॰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	–	–	–	–	1.70	–	–	–	–	1.70
कर्नाटक राज्य										
1. बंगलौर	–	–	–	0.16	10.38	2.46	–	–	–	13.00
2. गुलबर्गा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. कन्नड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. कर्नाटक	–	–	–	0.13	0.08	–	–	–	–	0.21
5. कोवेम्पू	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. मंगलौर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. मैसूर	–	–	–	–	0.45	–	–	–	–	0.45
9. नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, बंगलौर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. कृषि विज्ञान वि॰वि॰ धारवाड़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	–	–	–	–	0.32	–	–	–	–	0.32
जोड़	–	–	–	0.29	11.23	2.46	–	–	–	13.98

राज्य विश्वविद्यालय ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरल राज्य										
1. कालीकट	–	–	–	–	0.01	–	–	–	–	0.01
2. कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वि०वि०	–	–	–	0.03	7.78 *0.03	7.79 *0.10	–	–	–	15.60 *0.13
3. केरल	–	–	–	0.04	27.39	–	–	–	–	27.43
4. केरल कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. महात्मा गांधी वि०वि०	–	–	–	–	2.15	–	–	–	–	2.15
जोड़	–	–	–	0.07	37.33 *0.03	7.79 *0.10	–	–	–	45.19 *0.13
मणिपुर										
1. मणिपुर वि०वि० इम्फाल	–	–	–	0.14	046	–	–	–	–	0.60
जोड़	–	–	–	0.14	0.46	–	–	–	–	0.60
मध्यप्रदेश										
1. अवधेश प्रतापसिंह वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. बरकतुल्ला वि०वि०	–	–	–	–	2.41	–	–	–	–	2.41
3. गुरु घासीदास वि०वि०, बिलासपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. इंदिरा कला संगीत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. इंदिरा गांधी कृषि वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. देवी अहिल्या वि०वि०	–	–	–	–	2.80	–	–	–	–	2.80
7. माखनलाल सी.आर.पी. विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	–	–	–	–	3.28	–	–	–	–	3.28
9. जवाहरलाल नेहरू कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. जीवाजी	–	–	–	–	0.54 *0.04	–	–	–	–	0.54 *0.04

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. रवि शंकर	–	–	–	0.13	–	–	–	–	–	0.13
12. डॉ॰ एच.एस. गौड़	–	–	–	–	1.79 *0.03	0.45	–	–	–	2.24 *0.03
13. विक्रम वि॰वि॰	–	–	–	–	1.06	–	–	–	–	1.06
जोड़	–	–	–	0.13	11.88 *0.07	0.45	–	–	–	12.46 *0.07

महाराष्ट्र राज्य

1. अमरावती वि॰वि॰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. बंबई	–	–	–	0.14	9.13	44.66	–	–	–	53.93
3. डॉ॰ बी.एस.ए. प्रौद्यो. वि॰वि॰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. कोंकण कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. महात्मा फूले कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. मराठवाड़ा वि॰वि॰	–	–	–	0.16	0.36	–	–	–	–	0.52
8. नागपुर	–	–	–	0.47	0.85	3.53	–	–	–	4.85
9. नार्थ महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. पूना	–	–	–	0.63	0.50	–	–	41.21 *8.79	–	42.34 *8.79
11. पंजाबराव कृषि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. एस.एन.डी.टी. महिला	–	–	–	–	–	0.61	–	–	–	0.61
13. शिवाजी	–	–	–	0.63	1.32	–	–	–	–	1.95
14. यशवंतराव चह्वाण वि॰वि॰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	–	–	–	2.03	12.16	48.80	–	41.21 *8.79	–	104.20 *8.79

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उड़ीसा राज्य										
1. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. बहरामपुर	–	–	–	0.10	0.36	–	–	–	–	0.46
3. सम्बलपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ	–	–	–	–	0.12	–	–	–	–	0.12
5. उत्कल	–	–	–	0.25	4.78	–	–	–	–	5.03
जोड़	–	–	–	0.35	5.26	–	–	–	–	5.61
पंजाब राज्य										
1. गुरु नानक देव	–	–	–	–	2.21	–	–	–	–	2.21
2. पंजाब	–	–	–	0.05	2.39	24.11 *1.06	–	–	–	26.55 *1.06
3. पंजाब कृषि	–	–	–	–	1.46	–	–	–	–	1.46
4. पंजाबी	–	–	–	–	4.82	–	–	–	–	4.82
जोड़	–	–	–	0.05	10.88	24.11 *1.06	–	–	–	35.04 *1.06
राजस्थान राज्य										
1. जे.एन.व्यास वि०वि०	–	–	–	0.11	–	0.74	–	24.18 *1.32	–	25.03 *1.32
2. कोटा मुक्त वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. एम.डी.एस.वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. एम.एल. सुखाड़िया	–	–	–	0.14	5.05 *0.10	–	–	–	–	5.19 *0.10
5. राजस्थान कृषि वि०वि० बीकानेर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. राजस्थान वि०वि०	–	–	–	0.44	–	9.00	–	–	–	9.44
जोड़	–	–	–	0.69	5.05 *0.10	9.74	–	24.18 *1.32	–	39.66 *1.42

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु राज्य										
1. अलगप्पा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. भारतीदासन वि०वि०	–	–	–	0.20	4.80	–	–	–	–	5.00
3. अन्नामलाई वि०वि०	–	–	–	–	2.38	0.72	–	–	–	3.10
4. अन्ना वि०वि०	–	–	78.00	0.03	–	0.72	–	–	–	78.75
5. भरतियार वि०वि०	–	–	–	–	1.87	–	–	–	–	1.87
कोयम्बत्तूर					*0.02	–	–	–	–	*0.02
6. डॉ० एम.जी.आर. मेडीकल वि०वि०	–	–	–	–	0.16	–	–	–	–	0.16
7. मद्रास विश्वविद्यालय	–	–	–	–	24.09	0.12	–	–	–	24.21
					*0.03					*0.03
8. मदुरै कामराज	–	–	–	0.38	10.84	–	–	13.68	–	24.90
9. मदर टरेसा वि०वि०	–	–	–	–	0.12	–	–	–	–	0.12
10. एम० सुंदरनर वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. तमिल वि०वि०	–	–	–	0.05	0.39	–	–	–	–	0.44
13. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान वि०वि०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़	–	–	78.00	0.66	44.65	1.56	–	13.68	–	138.55
					*0.05					*0.05
त्रिपुरा राज्य										
1. त्रिपुरा वि०वि०	–	–	–	0.11	–	–	–	–	–	0.11
जोड़	–	–	–	0.11	–	–	–	–	–	0.11
उत्तर प्रदेश										
1. आगरा विश्वविद्यालय	–	–	–	–	2.77	–	–	–	–	2.77
					*0.02					*0.02
2. इलाहाबाद	–	–	–	0.09	16.68	0.83	–	–	–	17.60
3. अवध	–	–	–	–	0.38	–	–	–	–	0.38
4. बुंदेलखंड	–	–	–	–	0.16	–	–	–	–	0.16

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	चंद्रशेखर आजाद	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्यो॰	–	–	–	–	–	0.16	–	–	–	0.16
7.	गोरखपुर वि॰वि॰	–	–	–	–	5.63	–	–	–	–	5.63
8.	एच.एन.बी. वि॰वि॰	–	–	–	–	0.46	–	–	–	–	0.46
9.	कानपुर वि॰वि॰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	काशी वि॰वि॰	–	–	–	–	1.13	–	–	–	–	1.13
11.	कुमाऊं वि॰वि॰	–	–	–	–	1.11	–	–	–	–	1.11
12.	लखनऊ वि॰वि॰	–	–	–	–	12.81	–	–	–	–	12.81
13.	मेरठ वि॰वि॰	–	–	–	–	4.51	–	–	–	–	4.51
14.	पूर्वांचल वि॰वि॰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	नरेंद्र देव वि॰वि॰	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	रुहेलखंड वि॰वि॰	–	–	–	–	0.80	–	–	–	–	0.80
17.	रुड़की वि॰वि॰	–	–	68.87	–	1.02	44.05	–	–	–	113.94
18.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय	–	–	–	–	0.88	–	–	–	–	0.88
	जोड़	–	–	68.87	0.09	48.34 *0.02	45.04	–	–	–	162.34 *0.02

पश्चिम बंगाल

1.	बर्दवान वि॰वि॰	–	–	–	–	2.13	–	–	–	–	2.13
2.	बी.सी. कृषि विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	–	–	–	0.08	40.09 *0.06	8.56 *0.06	–	–	–	48.73 *0.12
4.	जादवपुर विश्वविद्यालय	–	–	–	–	10.47 *0.12	0.68	–	–	–	11.15 *0.12
5.	कल्याणी वि॰वि॰	–	–	–	–	1.10	–	–	–	–	1.10
6.	नार्थ बंगाल वि॰वि॰	–	–	–	0.34	0.08	–	–	–	–	0.42
7.	रबींद्र भारती	–	–	–	–	2.31	–	–	–	–	2.31
8.	विद्यासागर	–	–	–	–	0.06	–	–	–	–	0.06
	जोड़	–	–	–	0.42	56.24 *0.18	9.24 *0.06	–	–	–	65.90 *0.24
	कुल जोड़	22293.12	2169.79 *38.65	211.49	6.30	553.06 *1.11	227.63 *1.48	26.13	300.20 *19.40	80.00	25867.80 *60.64

*समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XI ...जारी

वर्ष 1994-95 के दौरान कालेजों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) योजनेतर अनुदान के अंतर्गत

केंद्रीय विश्वविद्यालय

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. बी॰एच॰यू॰	-	62.72	-	-	-	-	-	-	-	62.72
2. दिल्ली	8029.46 *23.63	-	-	1.19 *0.01	-	-	-	-	-	8030.65 *23.64
3. पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	8029.46 *23.63	62.72	-	1.19 *0.01	-	-	-	-	-	8093.37 *23.64

* समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय

आंध्र प्रदेश

उस्मानिया	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	0.14
जोड़	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	0.14

अरुणाचल प्रदेश

1. अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

असम

1. गोवाहाटी	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06
जोड़	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06

बिहार

1. एल॰एन॰ मिथिला	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-	0.16
जोड़	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-	0.16

राज्य विश्वविद्यालय ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरयाणा										
1. कुरुक्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात राज्य										
1. गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. साउथ गुजरात	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	0.10
जोड़	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	0.10
कर्नाटक राज्य										
1. बंगलौर	-	-	0.60	0.16	-	-	-	-	-	0.76
2. कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केरल	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	0.11
जोड़	-	-	0.71	0.16	-	-	-	-	-	0.87
मध्य प्रदेश										
1. देवी अहिल्या	-	-	-	0.35	-	-	25.00	-	-	25.35
2. विक्रम वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एल०एन० मिथिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	0.35	-	-	25.00	-	-	25.35
महाराष्ट्र राज्य										
1. अमरावती वि०वि०	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06
2. मराठवाड़ा वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. नागपुर	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	0.17
4. पूना	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05
5. शिवाजी	-	-	0.64	-	-	-	-	-	-	0.64
6. बंबई	-	-	-	0.39	0.02	-	-	-	-	0.41
जोड़	-	-	0.92	0.39	0.02	-	-	-	-	1.33

राज्य विश्वविद्यालय ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उड़ीसा राज्य										
1. उत्कल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. संबलपुर	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02
जोड़	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02
पंजाब राज्य										
1. गुरु नानक देव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राजस्थान राज्य										
1. अजमेर	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	0.14
2. राजस्थान विश्वविद्यालय	-	-	-	0.45	-	-	-	-	-	0.45
जोड़	-	-	-	0.59	-	-	-	-	-	0.59
तमिलनाडु राज्य										
1. मद्रास वि०वि०	-	-	0.24	0.26	-	-	-	-	-	0.50
2. मदुरै कामराज	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
3. भारतीदासन	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04
जोड़	-	-	0.29	0.26	-	-	-	-	-	0.55
उत्तर प्रदेश										
1. आगरा वि०वि०	-	-	-	1.09	-	-	-	-	-	1.09
2. इलाहाबाद	-	-	-	0.51	-	-	-	-	-	0.51
3. गोरखपुर	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02
4. बुंदेलखंड	-	-	-	0.15	-	-	-	-	-	0.15
5. लखनऊ	-	-	-	0.26	-	-	-	-	-	0.26
6. बी०एन०बी० वि०वि० गढ़वाल	-	-	-	0.17	-	-	-	-	-	0.17
7. मेरठ वि०वि०	-	-	-	1.41	-	-	-	-	-	1.41
8. पूर्वांचल वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. रुहेलखंड वि०वि०	-	-	-	1.02	-	-	-	-	-	1.02
				*0.02						*0.02

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ...जारी

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. कानपुर	-	-	-	0.23	-	-	-	-	-	0.23
11. अवध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. आर०एम०एल० वि०वि०	-	-	-	0.68	-	-	-	-	-	0.68
जोड़	-	-	0.02	5.52 *0.02	-	-	-	-	-	5.54 *0.02
पश्चिम बंगाल										
1. कलकत्ता वि०वि०	-	-	0.15	-	-	25.00	-	-	-	25.15
2. नार्थ बंगाल	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	0.07
जोड़	-	-	0.22	-	-	25.00	-	-	-	25.22
कुल जोड़	8029.46 *23.63	62.72	2.38	8.72 *0.03	0.02	25.00	25.00	-	-	8153.30 *23.66

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XI ...जारी

सारांश (योजनेतर) 1994-95

(रु० लाख में)

क्र सं.	विवरण	केंद्रीय वि०वि० को ब्लाक अनुदान	ब्लाक अनुदान (सम वि० वि०)	अनुरक्षण अनुदान (कालेज दिल्ली)	विशेष प्रयोजन के लिए अनुदान	कालेजों को अनुरक्षण अनुदान (यू.जी.सी.)	शिक्षक अवार्ड	अनुसंधान अध्येता-वृत्ति	ई एंड टी छात्रवृत्ति/ अध्येता-वृत्ति	जन संपर्क केंद्र	केंद्रीय वि०वि० को विशेष प्रयोजन के लिए अनुदान	विश्व-विद्-यालय-येतर सं-स्थाएं	प्रशा० प्रभार	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
विश्वविद्यालय														
1.	केंद्रीय विश्व-विद्यालय	22293.12	–	–	–	–	0.25	223.65 0.50*	37.33	125.00	80.00	–	–	22759.35 0.05*
2.	सम विश्व-विद्यालय	–	2169.79 38.65*	–	–	–	0.10	12.37	10.20 0.26*	36.42 3.58*	–	–	–	2228.88 42.49*
3.	विशेष प्रयोजनों के लिए राज्य विश्व-विद्यालय	–	–	–	211.49	–	–	–	–	–	–	–	–	211.49
4.	यू.जी.सी. केंद	–	–	–	–	–	–	0.20	–	25.00	–	–	–	25.20
5.	राज्य विश्व-विद्यालय	–	–	–	–	–	5.95	316.84 0.61*	180.10 1.22*	113.86 15.82*	–	–	--	616.75 17.65*
	कुल विश्वविद्यालय	22293.12	2169.79 38.65*	–	211.49	–	6.30	553.06 1.11*	227.63 1.48*	300.28 19.40*	80.00	–	–	25841.67 60.64*

कालेज

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	दिल्ली के कालेज	-		8029.46 23.63*	-	-	-	1.19 0.01*	-	-	-	-	-	8030.65 23.64*
2.	बी.एच.यू. कालेज	-	-	-	-	62.72	-	-	-	-	-	-	-	62.72
3.	राज्य कालेज	-	-	-	-	-	2.38	7.53 0.02*	0.02	25.00	25.00	-	-	59.93 0.02*
कुल कालेज		-	-	8029.46 23.63*	-	62.72	2.38	8.72 0.03*	0.02	25.00	25.00	-	-	8153 23.66*
कुल जोड़ (विश्व-विद्यालय + कालेज)		22293.12	2169.79 38.65*	8029.46 23.63*	211.49	62.42	8.68	561.78 1.14*	227.65 1.48*	325.28 19.40*	105.00	-	-	33994.97 84.30*
विश्व-विद्यालयेतर संस्थाएं		-	-	-	-	-	-	-	-	-		41.63	-	41.63
प्रशासनिक प्रभार		-	-	-	-	-	0.43	-	-	-	-	759.21		759.64
		22293.12	2169.79 38.65*	8029.46 23.63*	211.49	62.72	9.11	561.78 1.14*	227.65 1.48*	325.28 19.40*	105.00	41.63	759.21	34796.24 84.30*

*समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XII

वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) केंद्रीय योजना, इंजी॰ तथा प्रौद्यो॰ और खंड-III के अंतर्गत

(रु॰ लाख में)

	वि॰वि॰/ कालेजों में बुनियादी सुविधाएं	उत्कृष्टता और अनुसंधान का संवर्धन	जनशक्ति विकास	अनौपचारिक शिक्षा	अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र	नव परिवर्तन/ नवीन विषयों में पाठ्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	यू.जी.सी. का प्रबंध	खेल एवं शारीरिक शिक्षा	जोड़ क से झ	इंजी॰ तथा प्रौद्यो॰	जोड़ क से ञ	खंड-III विशिष्ट अनुदान	कुल जोड़
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ		ञ			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केंद्रीय विश्वविद्यालय														
1. अ.मु. वि॰वि॰ अलीगढ़	345.67	61.33	42.97 *0.30	-	-	24.00	-	-	-	474.17 *0.30	146.99	620.86 *0.30	-	620.86 *0.30
2. असम वि॰वि॰	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	230.00	-	230.00	-	230.00
3. बी.एच.यू. वाराणसी	268.25 *1.10	89.01	65.83 *0.13	1.50	6.45	40.89	-	-	0.20	472.13 *1.23	182.33	654.46 *1.23	7.00	661.46 *1.23
4. दिल्ली विश्वविद्यालय	221.70	110.52 *1.93	152.36 *0.45	5.48	5.00	0.90	4.00	-	-	499.96 *2.38	27.72	527.68 *2.38	-	527.68 *2.38
5. हैदराबाद वि॰वि॰	223.57	40.22	119.59	-	-	12.25	2.92	-	-	398.55	29.14	427.69	-	427.69
6. इग्नाऊ	0.55	-	2.10	-	-	-	-	-	-	2.65	-	2.65	-	2.65
7. जे.एन.यू. वि॰वि॰	242.84	122.59 *1.60	213.85	-	6.45	1.50	0.40	-	-	587.63 *1.60	-	587.63 *1.60	-	587.63 *1.60
8. जामिया मिलिया इस्लामिया वि॰वि॰	124.13	44.38	19.84	0.80	-	86.38	7.00	-	-	282.53	137.31	419.84	12.00	431.84
9. नेहू	172.33	39.47	12.82	1.61	-	-	-	-	-	226.23	1.50	227.73	-	227.73
10. नागालैंड वि॰वि॰	90.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	90.05	-	90.05	-	90.05
11. पांडिचेरी वि॰वि॰	121.11	10.10 *1.34	25.46	-	-	7.20	-	-	-	163.87 *1.34	11.50	175.37 *1.34	-	175.37 *1.34
12. तेजपुर वि॰वि॰	254.70	0.40	-	-	-	-	-	-	-	255.10	-	255.10	-	255.10
13. विश्वभारती वि॰वि॰	181.18 *0.15	5.07	10.43	-	-	-	-	-	-	196.68 *0.15	-	196.68 *0.15	-	196.68 *0.15
जोड़	2476.23 *1.25	523.14 *4.87	665.25 *0.88	9.39	17.90	173.12	14.32	-	0.20	3879.55 *7.00	536.19	4415.74 *7.00	19.00	4434.74 *7.00

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ		ञ			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं														
1. आई.यू.सी., पूना	-	-	0.45	-	428.86	-	-	-	-	429.31	-	429.31	-	429.31
2. आई.यू.सी., इंदौर	-	-	0.30	-	515.00	30.00	-	-	-	545.30	-	545.30	-	545.30
3. एन.एस.सी., नई दिल्ली	-	-	-	-	722.00	-	-	-	-	722.50	-	722.50	-	722.50
4. शिक्षा संचार संकाय (मार्फत) एन.एस.सी.	-	-	-	-	8.10	41.82	-	-	-	49.92	-	49.92	-	49.92
5. आई.आई.ए.एस., शिमला	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	5.00	-	5.00	-	5.00
6. एन.ए.ए.सी., बंगलौर	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00	-	50.00	-	50.00
जोड़	-	-	0.75	-	1729.46	71.82	-	-	-	1802.03	-	1802.03	-	1802.03
समविश्वविद्यालय														
1. अविनाशीलिंगम् महिला गृह-विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान	16.80	5.05	3.33	-	-	22.20	-	-	-	47.38	15.07	62.45	-	62.45
2. बनस्थली विद्यापीठ	9.57	0.10	-	-	-	2.00	-	-	-	11.67	3.24	14.91	-	14.91
3. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, पिलानी	2.00	3.95	-	-	-	-	-	-	-	5.95	42.35 *0.13	48.30 *0.13	-	48.30 *0.13
4. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.97	80.97	-	80.97
5. सी.आई.ई.एफ.एल., हैदराबाद	24.00	1.35	27.00	-	-	42.65	-	-	-	95.00	-	95.00	-	95.00
6. दयालबाग शिक्षा संस्थान	11.63	6.11	1.41	-	-	-	-	-	-	19.15	10.60	29.75	-	29.75
7. स्नातकोत्तर कालेज तथा अनुसंधान संस्थान, पूना	8.00	2.55	1.17	-	-	-	-	-	-	11.72	-	11.72	-	11.72
8. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	35.57	2.05	0.99	1.10	-	9.00	-	-	-	48.71	-	48.71	-	48.71
9. गुजरात विद्यापीठ	20.86	1.00	0.34	5.80	-	31.26	-	2.00	2.22	63.48	10.00	73.48	2.05	75.53
10. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	18.00	6.25	-	-	-	-	-	-	-	24.25	15.00	39.25	-	39.25
11. आई.ए.आर.आई. नई दिल्ली	-	-	0.22	-	-	-	-	-	-	0.22	-	0.22	-	0.22
12. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	-	36.06	2.93	-	83.90	3.10	-	-	-	125.99	102.50 *0.07	228.49 *0.07	-	228.49 *0.07
13. भारतीय खान स्कूल	-	7.40	2.56	-	-	-	-	-	-	9.96	68.72	78.68	-	78.68
14. श्री एल.बी.एस. संस्कृत विद्यापीठ	-	0.15	5.46	-	-	11.25	-	-	-	16.86	-	16.86	-	16.86
15. श्री एस.एस. उच्च शिक्षा संस्थान	15.25	-	3.13	-	-	-	-	-	-	18.38	3.40	21.78	-	21.78
16. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	34.82	1.60	6.57	-	-	-	-	-	-	42.99	0.87	43.86	-	43.86
17. जामिया हमदर्द	31.77	-	3.46	-	-	-	3.00	-	-	38.23	7.53 *0.06	45.76 *0.06	-	45.76 *0.06
18. एन.एम.आई.एच. आफ आर्ट्स, नई दिल्ली	0.27	-	0.94	-	-	-	-	-	-	1.21	-	1.21	-	1.21
19. सी.आई.एच.टी.एस., वाराणसी	-	-	0.31	-	-	-	-	-	-	0.31	-	0.31	-	0.31

समविश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	-	-	0.19	-	-	-	-	-	-	0.19	-	0.19	-	0.19
21. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. राजस्थान विद्यापीठ	7.00	0.99	-	-	-	22.00	-	-	-	29.99	2.00	31.99	-	31.99
23. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	10.00	-	4.29	-	-	1.00	-	-	-	15.29	-	15.29	-	15.29
24. योजना तथा वास्तुकला विद्यालय	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00
25. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	4.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	5.00	-	5.00	-	5.00
26. थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	-	1.50	0.18	1.80	-	-	-	-	-	3.48	0.72	4.20	-	4.20
27. केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बंबई	-	-	0.60	-	-	-	-	-	-	0.60	-	0.60	-	0.60
29. जे.वी. भारती संस्थान	5.00	0.42	-	0.25	-	-	-	-	-	5.67	-	5.67	-	5.67
30. गोखले संस्थान, पूना	-	4.16	4.03	-	-	-	-	-	-	8.19	-	8.19	-	8.19
31. श्री सी.एस.एन.एस. महाविद्यालय	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	30.00	-	30.00
जोड़	285.54	80.69	70.11	8.95	83.90	144.46	3.00	2.00	2.22	680.87	362.97 *0.26	1043.84 *0.26	2.05	1045.89 *0.26

राज्य विश्वविद्यालय

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र वि०वि०	55.42	146.88	67.79	2.96	-	9.12	2.00	-	-	284.17	45.58	329.75	0.15	329.90
2. आं.प्र. कृषि वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ज.ने. प्रौद्यो० वि०वि०	-	3.78	4.00	-	-	-	-	-	-	7.78	50.88	58.66	-	58.66
4. ककातिया वि०वि०	21.74	8.34	5.53	-	-	-	-	-	-	35.61	21.80	57.41	6.00	63.41
5. नागार्जुन वि०वि०	8.35	5.31	4.05	2.53	-	18.25	-	-	-	38.49	7.00	45.49	10.30	55.79
6. उस्मानिया वि०वि०	58.59	136.54	44.22	1.00	22.45	9.10	-	-	-	271.90	9.48	281.38	-	281.38
7. श्री के.डी. वि०वि०	6.48	13.81	9.75	-	-	-	-	-	-	30.04	7.86	37.90	-	37.90
8. श्री पद्मावती महिला वि०वि०	22.06	8.01	-	2.74	-	-	-	-	-	32.81	1.77	34.58	-	34.58
9. श्री वर्केटेश्वर वि०वि०	14.58	50.67	28.86 *0.10	-	4.00	3.45	2.00	-	-	103.56 *0.10	62.52	166.08 *0.10	1.85	167.93 *0.10
10. डॉ० बी.आर.ए. मुक्त वि०वि०	-	0.53	-	-	-	-	-	-	-	0.53	-	0.53	-	0.53
11. तेलुगु वि०वि०	0.10	1.64	1.88	-	-	-	-	-	-	3.62	-	3.62	-	3.62
जोड़	187.32	375.51	166.08 *0.10	9.23	26.45	39.92	4.00	-	-	808.51 *0.10	206.89	1015.40 *0.10	18.30	1033.70 *0.10

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
असम														
1. डिब्रूगढ़ वि•वि•	10.72	8.16	20.32	3.00	-	-	-	-	-	42.20	-	42.20	2.00	44.20
2. गोवाहाटी	22.21	56.87	21.06	5.50	-	4.50	-	-	-	110.14	-	110.14	3.00	113.14
जोड़	32.93	65.03	41.38	8.50	-	4.50	-	-	-	152.34	-	152.34	5.00	157.34
अरुणाचल प्रदेश														
1. अरुणाचल वि•वि•	शून्य													
बिहार														
1. टी.एम. भागलपुर, वि•वि•	2.36	39.81	2.90	3.10	-	-	-	-	-	48.17	-	48.17	-	48.17
2. डॉ• बी.आर.ए. (बिहार) वि•वि•	-	38.68	7.74	-	-	-	-	-	-	46.42	-	46.42	-	46.42
3. बिरसा कृषि वि•वि•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. के.एस.डी. संस्कृत वि•वि•	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	0.37	-	0.37	-	0.37
5. एल.एन. मिथिला वि•वि•	-	-	16.04	-	-	-	-	-	-	16.04	-	16.04	-	16.04
6. मगध वि•वि•	3.31	0.40	5.41	3.00	-	-	-	-	-	12.12	-	12.12	-	12.12
7. पटना वि•वि•	50.69	7.37	10.50	-	-	-	-	-	-	68.56	-	68.56	-	68.56
8. रांची वि•वि•	0.13	40.12	8.11	4.10	-	-	-	-	-	52.46	-	52.46	-	52.46
जोड़	56.49	126.38	51.07	10.20	-	-	-	-	-	244.14	-	244.14	-	244.14
गुजरात														
1. भावनगर वि•वि•	8.00	3.04	-	8.80	-	2.13	-	-	-	21.97	26.50	48.47	-	48.47
2. गुजरात वि•वि•	29.02	62.47	0.42	-	-	2.60	-	-	-	94.51	36.00	130.51	-	130.51
3. एम.एस. वि•वि• बड़ौदा	21.00	106.80 *0.08	10.20	6.00	-	-	-	-	-	144.00 *0.08	8.54	152.54 *0.08	-	152.54 *0.08
4. सरदार पटेल वि•वि•	12.19	129.25	2.75	3.69	-	12.10	-	-	-	159.98	35.61	195.59	-	195.59
5. साउथ गुजरात वि•वि•	3.02	1.13 *0.74	4.72	5.90	-	-	-	-	-	14.77 *0.74	2.55	17.32 *0.74	-	17.32 *0.74
6. सौराष्ट्र वि•वि•	-	21.62 *1.86	18.62	3.19	-	9.25	-	-	-	52.68 *1.86	-	52.68 *1.86	-	52.68 *1.86
7. नार्थ गुजरात वि•वि•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. गुजरात आयुर्वेद	-	-	-	-	-	5.21	-	-	-	5.21	-	5.21	-	5.21
जोड़	73.23	324.31 *2.68	36.71	27.58	-	31.29	-	-	-	493.12 *2.68	109.20	602.32 *2.68	-	602.32 *2.68

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ			ञ		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
गोवा														
1. गोवा विश्वविद्यालय	25.37	1.69	24.69	1.00	-	-	2.00	-	-	54.75	7.00	61.75	-	61.75
जोड़	25.37	1.69	24.69	1.00	-	-	2.00	-	-	54.75	7.00	61.75	-	61.75
हरयाणा														
1. चौ॰ चरणसिंह कृषि वि॰वि॰	-	8.78	0.86	-	-	-	-	-	-	9.64	-	9.64	-	9.64
2. कुरुक्षेत्र वि॰वि॰	49.14	69.31	14.57	6.00	-	27.46	-	-	-	166.48	5.67	172.15	3.00	175.15
3. एम.डी. वि॰वि॰, रोहतक	20.63	14.96	1.01	-	-	-	-	-	-	36.60	17.10	53.70	-	53.70
जोड़	69.77	93.05	16.44	6.00	-	27.46	-	-	-	212.72	22.77	235.49	3.00	238.49
हिमाचल प्रदेश														
1. हि॰प्र॰ विश्वविद्यालय	28.27	22.05	22.28	2.05	-	5.25	-	-	-	79.90	22.02	101.92	-	101.92
2. हि॰प्र॰ कृषि विश्वविद्यालय	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02
जोड़	28.27	22.07	22.28	2.05	-	5.25	-	-	-	79.92	22.02	101.94	-	101.94
जम्मू और कश्मीर														
1. जम्मू विश्वविद्यालय	19.38	27.62	1.89	2.00	6.45	30.00	-	-	-	87.34	6.00	93.34	-	93.34
2. कश्मीर विश्वविद्यालय	8.16	43.49	8.82	5.00	-	4.60	5.00	-	-	75.07	35.50	110.57	-	110.57
जोड़	27.54	71.11	10.71	7.00	6.45	34.60	5.00	-	-	162.41	41.50	203.91	-	203.91
कर्नाटक														
1. बंगलौर विश्वविद्यालय	5.39	18.03	25.22	0.90	-	13.12	-	-	-	62.66	11.01	73.67	-	73.67
2. गुलबर्गा वि॰वि॰	12.61	2.50	-	1.50	2.45	5.21	-	-	-	24.27	1.10	25.37	-	25.37
		*0.93								*0.93		*0.93		*0.93
3. कर्नाटक वि॰वि॰	32.77	102.78	16.89	2.67	-	54.00	-	-	-	209.11	0.72	209.83	-	209.83
		*0.67								*0.67		*0.67		*0.67
4. कुवेम्पू वि॰वि॰	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	0.14	-	0.14
5. मंगलौर वि॰वि॰	17.91	5.31	0.35	-	-	36.25	-	-	-	59.82	0.76	60.58	-	60.58
		*0.69								*0.69		*0.69		*0.69

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6. मैसूर वि०वि०	65.66 *10.16	32.90 *0.20	22.69	1.50	-	7.00	-	-	-	129.75 *10.36	-	129.75 *10.36	-	129.75 *10.36
7. राष्ट्रीय लॉ स्कूल	30.00	2.00	3.40	-	-	-	-	-	-	35.40	-	35.40	-	35.40
8. कृषि विज्ञान वि०वि०, धारवाड़	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	0.05
9. कृषि विज्ञान वि०वि०, बंगलौर	-	-	0.48	-	-	-	-	-	-	0.48	-	0.48	-	0.48
जोड़	165.48 *10.16	163.57 *2.49	69.03	6.57	2.45	115.58	-	-	-	521.68 *12.65	13.59	535.27 *12.65	-	535.27 *12.65
केरल														
1. कालीकट वि०वि०	26.03	0.14	15.01	-	-	-	-	-	-	41.18	-	41.18	-	41.18
2. विज्ञान तथा प्रौद्योगिक वि०वि०, कोचीन	14.62	21.32	30.47	-	-	25.50	-	1.50	-	93.41	20.72	114.13	-	114.13
3. महात्मा गांधी वि०वि०	4.70	3.68	8.23	-	-	-	-	-	-	16.61	-	16.61	-	16.61
4. केरल वि०वि०	81.90	29.39	64.89 *0.21	0.35	-	-	-	-	-	176.53 *0.21	-	176.53 *0.21	-	176.53 *0.21
5. केरल कृषि वि०वि०	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	127.25	54.53	118.60 *0.21	0.35	-	25.50	-	1.50	-	327.73 *0.21	20.72	348.45 *0.21	-	348.25 *0.21
मध्य प्रदेश														
1. ए.पी. सिंह वि०वि०	20.05	-	7.00	-	-	0.96	-	-	-	28.01	6.35	34.36	-	34.36
2. बरकतुल्ला वि०वि०	5.99	61.88	6.47	9.10 *0.05	-	26.36	-	-	-	109.80 *0.05	5.85	115.65 *0.05	6.00	121.65 *0.05
3. देवी अहिल्या वि०वि०	0.22	13.01	22.74	2.00	-	40.65	-	-	-	78.62	78.91	157.53	-	157.53
4. डॉ० एच.एस. गौड़ वि०वि०	63.74	19.39	11.05	2.00	-	-	-	-	-	96.18	6.95	103.13	-	103.13
5. गुरु घासी दास वि०वि०	0.22	-	-	1.50	-	-	-	-	-	1.72	15.00	16.72	-	16.72
6. इंदिरा कला संगीत	1.50	0.05	-	-	-	-	-	-	-	1.55	-	1.55	-	1.55
7. जीवाजी वि०वि०	11.17	6.24	0.81	5.80 *0.23	-	2.00	-	-	-	26.02 *0.23	-	26.02 *0.23	-	26.02 *0.23
8. रानी दुर्गावती वि०वि०	13.80	62.19	22.35	-	-	8.00	-	-	-	106.34	4.00	110.34	-	110.34
9. रविशंकर वि०वि०	17.99	8.00	0.15	3.00	4.45	-	-	-	-	33.59	0.14	33.73	-	33.73
10. विक्रम वि०वि०.	7.80	44.04	9.59	0.35	-	-	-	-	-	61.78	45.84	107.62	-	107.62
जोड़	142.48	214.80	80.16	23.75 *0.28	4.45	77.97	-	-	-	543.61 *0.28	163.04	706.65 *0.28	6.00	712.65 *0.28

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
महाराष्ट्र														
1. अमरावती वि॰वि॰	8.50	4.22	-	-	-	-	-	2.50	-	15.22	15.00	30.22	-	30.22
2. बंबई वि॰वि॰	56.02	16.89	34.57	3.21	75.45	-	4.65	-	-	190.79	60.80	251.59	-	251.59
3. नार्थ महाराष्ट्र	-	3.97	-	-	-	-	-	-	-	3.97	-	3.97	-	3.97
4. मराठवाड़ा वि॰वि॰	29.28	72.18	35.53	-	-	-	-	-	-	136.99	-	136.99	-	136.99
5. मराठवाड़ा कृषि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	0.05
7. नागपुर वि॰वि॰	57.95	7.67	16.08	2.38	-	3.39	-	-	-	87.47	14.57	102.04	-	102.04
8. पूना वि॰वि॰	9.40	48.49	56.39	10.35	50.00	58.84 *25.54	-	-	-	233.47 *25.54	-	233.47 *25.54	-	233.47 *25.54
9. एस.एन.डी.टी. महिला वि॰वि॰	18.16	42.76	16.00	-	-	26.50	1.52	-	-	104.94	10.00	114.94	1.00	115.94
10. शिवाजी वि॰वि॰	27.18	24.67	18.17	10.75	-	12.00	-	-	-	92.77	-	92.77	-	92.77
जोड़	206.49	220.90	176.74	26.69	125.45	100.73 *25.54	6.17	2.50	-	865.67 *25.54	100.37	966.04 *25.54	1.00	967.04 25.54
मणिपुर														
1. मणिपुर वि॰वि॰	3.25	5.61	7.69	2.00	2.93	7.78	2.00	-	-	31.26	6.00	37.26	-	37.26
जोड़	3.25	5.61	7.69	2.00	2.93	7.78	2.00	-	-	31.26	6.00	37.26	-	37.26
उड़ीसा														
1. बरहामपुर वि॰वि॰	17.60	27.30	6.96	1.00	-	11.45	-	-	-	64.31	13.38	77.69	-	77.69
2. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सम्बलपुर वि॰वि॰	10.04	4.16	11.50	3.70	-	-	-	-	-	29.40	6.05	35.45	-	35.45
4. श्री जगन्नाथ संस्कृत वि॰वि॰	-	0.04	4.18	-	-	-	-	-	-	4.22	-	4.22	-	4.22
5. उत्कल वि॰वि॰	98.81	125.09 *0.44	24.16	-	-	9.75	-	-	-	257.81 *0.44	16.43	274.24 *0.44	-	274.24 *0.44
जोड़	126.45	156.69 *0.44	46.80	4.70	-	21.20	-	-	-	355.74 *0.44	35.86	391.60 *0.44	-	391.60 *0.44

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पंजाब														
1. गुरु नानक देव वि•वि•	19.59	12.18	20.57	-	-	22.50	-	2.51	-	77.35	2.50	79.85	0.50	80.35
2. पंजाब वि•वि•	88.06	96.86 *0.08	20.31 *0.42	16.30	3.40	4.20	-	-	-	229.13 *0.50	21.79 *1.58	250.92 *2.08	-	250.92 *2.08
3. पंजाब कृषि वि•वि•	0.08	0.05	2.18	-	-	-	-	-	-	2.31	-	2.31	-	2.31
4. पंजाबी वि•वि•	43.02	61.50 *0.05	11.00	-	-	6.00	-	-	-	121.52 *0.05	12.30	133.82 *0.05	-	133.82 *0.05
जोड़	150.75	170.59 0.13	54.06 *0.42	16.30	3.40	32.70	-	2.51	-	430.31 *0.55	36.59 *1.58	466.90 *2.13	0.50	467.40 *2.13
राजस्थान														
1. जे.एन. व्यास (जोधपुर)	55.09	13.29	18.65	-	4.45	5.49	-	-	-	96.97	15.99	112.56	-	112.56
2. राजस्थान वि•वि•	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	1.50	-	1.50	-	1.50
3. राजस्थान कृषि वि•वि•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. कोटा मुक्त वि•वि•	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	0.05
5. एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय	7.64	8.50	7.57	3.64	-	-	-	-	-	27.35	2.81	30.16	-	30.16
6. एम.डी.एस. वि•वि• (अजमेर)	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	-	0.31	-	0.31
जोड़	63.04	21.84	26.22	3.64	4.45	5.49	1.50	-	-	126.18	18.40	144.58	-	144.58
तमिलनाडु														
1. अलगप्पा वि•वि•	9.97	0.50	1.00	2.00	-	5.21	-	-	-	18.68	10.70	29.38	-	29.38
2. अन्ना वि•वि•	23.28	2.11	6.38	-	36.95	42.41	-	-	-	111.13	58.42	169.55	-	169.55
3. अन्नामलाई वि•वि•	50.65	9.50	3.56	-	-	-	-	-	-	63.71	0.39	64.10	-	64.10
4. भरतियार वि•वि•	9.25	10.04	29.80 *0.03	5.50	-	-	-	-	-	54.59 *0.03	3.35	57.94 *0.03	-	57.94 *0.03
5. भारतीदासन वि•वि•	12.13	53.67	18.20	2.00	-	2.38	-	-	-	88.38	6.35	94.73	-	94.73
6. डॉ• एम.जी.आर. मेडीकल वि•वि•	-	-	0.24	-	-	-	-	-	-	0.24	-	0.24	-	0.24
7. मद्रास वि•वि•	72.97	200.75	71.85	5.86	-	22.25	3.00	0.80	-	377.48	-	377.48	3.00	380.48
8. मदुरै के. वि•वि•	10.11	82.06	19.36	3.01	-	27.79	-	-	-	142.33	-	142.33	-	142.33
9. मदर टरेसा वि•वि•	-	0.34	0.18	-	-	-	-	-	-	0.52	-	0.52	-	0.52

*समायोजन द्वारा

समविश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10. एम. सुंदरनर वि०वि०	1.86	2.29	-	-	-	-	-	-	-	4.15	-	4.15	-	4.15
11. तमिल वि०वि०	0.28	0.05	0.58	-	-	-	-	-	-	0.91	-	0.91	-	0.91
12. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान वि०वि०	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	0.12	-	0.12
जोड़	190.50	361.43	151.15 *0.03	18.37	36.95	100.04	3.00	0.80	-	862.24 *0.03	79.21	941.45 *0.03	3.00	944.45 *0.03
त्रिपुरा														
1. त्रिपुरा वि०वि०	23.48	3.44	-	-	-	-	-	-	-	26.92	2.45	29.37	-	29.37
जोड़	23.48	3.44	-	-	-	-	-	-	-	26.92	2.45	29.37	-	29.37
उत्तर प्रदेश														
1. आगरा वि०वि०	56.47	8.87	7.82	2.72	-	21.00	-	-	-	96.88	15.10	111.98	-	111.98
2. इलाहाबाद वि०वि०	74.12	94.73	58.17	-	-	22.28	-	-	-	249.30	57.55	306.85	-	306.85
3. अवध वि०वि०	8.00	2.35	1.17	6.57	-	68.30	-	-	-	86.39	-	86.39	-	86.39
4. बुंदेलखंड वि०वि०	2.67	-	0.24	-	-	-	-	-	-	2.91	-	2.91	-	2.91
5. चंद्रशेखर आजाद वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. चौ. चरण सिंह वि०वि० (मेरठ)	7.10	5.11	18.37	-	-	-	-	-	-	30.58	-	30.58	-	30.58
7. जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्यो० वि०वि०	-	-	3.65	-	-	-	-	-	-	3.65	4.09	7.74	-	7.74
8. गोरखपुर वि०वि०	5.52	45.95	32.97	7.16	-	10.00	-	-	-	101.60	0.85	102.45	-	102.45
9. एच.एन.बी. (गढ़वाल) वि०वि०	18.23	38.09	1.04	2.50 *0.10	-	36.75	-	-	-	96.61 *0.10	-	96.61 *0.10	-	96.61 *0.10
10. कानपुर वि०वि०	5.00	1.00	-	3.75	-	-	-	-	-	9.75	10.00	19.75	-	19.75
11. काशी विद्यापीठ	9.58	11.51	2.70	0.90	-	24.75	-	-	-	49.44	7.00	56.44	0.08	56.52
12. कुमाऊं वि०वि०	25.82	3.53	3.73	-	-	-	-	-	-	33.08	-	33.08	-	33.08
13. लखनऊ वि०वि०	58.27	118.92	53.23 *1.03	6.29	-	29.71	-	-	-	266.42 *1.03	10.23	276.65 *1.03	-	276.65 *1.03
14. रुहेलखंड वि०वि०	30.00	6.97	5.20	-	-	51.05	-	-	-	93.22	-	93.22	-	93.22
15. पूर्वांचल वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. रुड़की वि०वि०	24.56	87.03	7.21	-	-	11.23 *0.05	-	-	-	130.03 *0.05	138.38 *0.86	268.41 *1.91	-	268.41 *1.91
17. सम्पूर्णानंद संस्कृत वि०वि०	6.00	0.58	1.32	-	-	11.25	-	-	-	19.15	-	19.15	-	19.15
जोड़	331.34	424.64	196.82 *1.03	29.89 *0.10	-	286.32 *1.05	-	-	-	1269.01 *2.18	243.20 *0.86	1512.21 *3.04	0.08	1512.29 *3.04

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पश्चिम बंगाल														
1. बी.सी. कृषि वि०वि०	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	-	0.10
2. बर्दमान वि०वि०	77.04	43.41	16.76	2.35	-	-	-	-	-	139.56	-	139.56	-	139.56
3. कलकत्ता वि०वि०	64.58	170.46	80.76	2.00	39.09	14.00	2.00	-	-	372.89	7.52	380.41	-	380.41
4. जादवपुर वि०वि०	6.89	86.21	28.39	4.55	4.45	48.75	-	-	-	179.24	73.81	253.05	-	253.05
			*0.25							*0.25		*0.25		*0.25
5. कल्याणी वि०वि०	21.41	72.00	1.65	6.00	-	0.50	-	-	-	101.56	-	101.56	-	101.56
6. नार्थ बंगाल वि०वि०	23.08	3.06	2.11	0.60	-	-	1.97	-	-	30.82	0.79	31.61	-	31.61
7. रबींद्र भारती वि०वि०	13.75	5.45	4.47	-	-	-	-	-	-	23.67	-	23.67	-	23.67
8. विद्यासागर वि०व०	0.14	20.35	0.90	-	-	-	-	-	-	21.39	-	21.39	-	21.39
जोड़	206.89	401.04	135.04	15.50	43.54	63.25	3.97	-	-	869.23	82.12	951.35	-	951.35
			*0.25							*0.25		*0.25		*0.25
कुल जोड़	4999.09	3881.96	2167.78	237.66	2087.78	1368.98	44.96	9.31	2.42	14799.94	2110.09	16910.03	57.93	16967.96
	*11.41	*10.61	*2.92	*0.38		*26.59				*51.91	*2.74	*54.65		*54.65

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XII ...जारी

वर्ष 1994-95 के दौरान कालेजों को प्रदत्त अनुदानों का विवरण (मुख्य शीर्षवार) केंद्रीय योजना, इंजी॰ तथा प्रौद्यो॰ और खंड-III के अंतर्गत

(रु॰ लाख में)

	वि॰वि॰/ कालेजों में बुनियादी सुविधाएं	उत्कृष्टता और अनुसंधान का संवर्धन	जनशक्ति विकास	अनौपचारिक शिक्षा	अंतर्विश्व-विद्यालय केंद्र	नव परिवर्तन/ नवीन विषयों में पाठ्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	यू.जी.सी. का प्रबंध	खेल एवं शारीरिक शिक्षा	जोड़ क से ञ	इंजी. तथा प्रौद्यो.	जोड़ क से ञ	खंड-III जोड़	कुल जोड़
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ		ञ			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केंद्रीय विश्वविद्यालय														
1. अ.मु. वि॰वि॰ अलीगढ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. असम वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. बी.एच.यू. वाराणसी	0.08	-	0.35	-	-	1.25	-	-	-	1.68	-	1.68	-	1.68
4. दिल्ली विश्वविद्यालय	148.33 *5.48	35.47	27.71 *0.01	-	-	53.44	-	-	-	265.45 *5.49	-	265.45 *5.49	1.55	267.00 *5.49
5. हैदराबाद वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. इग्नाऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. जे.एन.यू. वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. जामिया मिलिया इस्लामिया वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. नेहू, शिलांग	5.67	0.44	-	-	-	-	-	-	-	6.11	-	6.11	-	6.11
10. पांडिचेरी वि॰वि॰	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	0.19	-	0.19	-	0.19
11. तेजपुर वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. विश्वभारती वि॰वि॰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	154.58 *5.48	36.10	28.06 *0.01	-	-	54.69	-	-	-	273.43 *5.49	-	273.43 *5.49	1.55	274.98 *5.49

*समायोजन द्वारा

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य विश्वविद्यालय														
आंध्र प्रदेश														
1. आंध्र वि०वि०	32.90	18.41	0.23	-	-	51.34	-	-	3.00	105.88	0.87	106.75	0.30	107.05
2. ककातिया वि०वि०	4.22	3.03	-	-	-	19.96	-	-	-	27.21	-	27.21	-	27.21
3. नागार्जुन वि०वि०	40.14	9.14	1.11	-	-	44.00	-	-	-	94.39	-	94.39	1.30	95.69
4. उस्मानिया वि०वि०	37.52	58.80	2.92	-	-	106.01	-	-	-	205.25	-	205.25	-	205.25
5. श्री कृष्णदेवराय वि०वि०	15.25	2.36	-	-	-	2.50	-	-	-	20.11	-	20.11	-	20.11
6. श्री वेंकटेश्वर वि०वि०	9.54	1.61	0.35	-	-	1.25	-	-	-	12.75	-	12.75	-	12.75
जोड़	**139.57**	**93.35**	**4.61**	**-**	**-**	**225.06**	**-**	**-**	**3.00**	**465.59**	**0.87**	**466.46**	**1.60**	**468.06**
असम														
1. डिब्रूगढ़ वि०वि०	22.48	0.99	0.31	-	-	71.51	-	-	-	95.29	-	95.29	-	95.29
2. गोवाहाटी वि०वि०	39.68	3.90	-	0.20	-	16.17	-	-	-	59.95	-	59.95	1.25	61.20
जोड़	**62.16**	**4.89**	**0.31**	**0.20**	**-**	**87.68**	**-**	**-**	**-**	**155.24**	**-**	**155.24**	**1.25**	**156.49**
अरुणाचल प्रदेश														
1. अरुणाचल वि०वि०	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02
जोड़	**-**	**0.02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.02**	**-**	**0.02**	**-**	**0.02**
बिहार														
1. भागलपुर वि०वि	36.89	3.00	-	-	-	-	-	-	-	39.89	-	39.89	-	39.89
2. बिहार वि०वि०	7.09	0.64	0.40	-	-	-	-	-	-	8.13	-	8.13	-	8.13
3. विनोबा भावे	-	-	-	-	15.00	-	-	-	-	15.00	-	15.00	-	15.00
4. एल.एन. मिथिला वि०वि०	30.37	1.71	0.24	1.28	9.50	-	-	-	-	43.10	-	43.10	-	43.10
5. मगध वि०वि०	60.72	2.42	-	-	14.00	-	-	-	-	77.14	-	77.14	-	77.14
6. पटना वि०वि०	14.60	0.46	0.27	-	16.25	-	-	-	-	31.58	-	31.58	-	31.58
7. रांची वि०वि०	37.90	1.64	0.42	-	31.25	-	-	-	-	71.21	-	71.21	-	71.21
8. जय प्रकाश	1.92	0.13	-	-	-	-	-	-	-	2.05	-	2.05	-	2.05
जोड़	**189.49**	**10.00**	**1.33**	**1.28**	**86.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**288.10**	**-**	**288.10**	**-**	**288.10**

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
गुजरात														
1. भावनगर वि०वि०	5.00	-	-	-	-	27.00	-	-	-	32.00	-	32.00	-	32.00
2. गुजरात वि०वि०	10.62	-	0.35	-	-	-	-	-	-	10.97	-	10.97	-	10.97
3. एम.एस. वि०वि० बड़ौदा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सरदार पटेल वि०वि०	0.40	0.23	-	-		23.25	-	-	-	23.88	-	23.88	-	23.88
5. साउथ गुजरात वि०वि०	3.02	0.45	-	-		3.75	-	-	-	7.22	-	7.22	-	7.22
6. सौराष्ट्र वि०वि०	1.75	0.16	-	-	-	1.25	-	-	-	3.16	-	3.16	-	3.16
7. नार्थ गुजरात वि०वि०	2.35	-	-	-	-	13.25		-	-	15.60	-	15.60	-	15.60
जोड़	23.14	0.84	0.35	-	-	68.40	-	-	-	92.83	-	92.83	-	92.83
गोवा														
1. गोवा विश्वविद्यालय	5.22	-	-	-	-	24.00	-	-	-	29.22	-	29.22	-	29.22
जोड़	5.22	-	-	-	-	24.00	-	-	-	29.22	-	29.22	-	29.22
हरयाणा														
1. कुरुक्षेत्र वि०वि०	71.78	3.52	2.19	0.75	-	76.04	-	-	-	154.28	-	154.28	-	154.28
3. एम.डी. वि०वि०	45.17	8.24	0.40	0.50	-	27.84	-	-	-	82.15	-	82.15	6.30	88.45.
जोड़	116.95	11.76	2.59	1.25	-	103.88	-	-	-	236.43	-	236.43	6.30	242.73
हिमाचल प्रदेश														
1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	27.58	0.13	0.35	-	-	24.00	-	-	-	52.06	-	52.06	1.25	53.31
जोड़	27.58	0.13	0.35	-	-	24.00	-	-	-	52.06	-	52.06	1.25	53.31
जम्मू और कश्मीर														
1. जम्मू विश्वविद्यालय	1.50	0.07	-	-	-	-	-	-	-	1.57	-	1.57	-	1.57
जोड़	1.50	0.07	-	-	-	-	-	-	-	1.57	-	1.57	-	1.57

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
कर्नाटक														
1. बंगलौर विश्वविद्यालय	15.12	8.90	3.40	-	-	75.00	-	-	-	102.42	0.65	103.07	-	103.07
2. गुलबर्गा वि॰वि॰	9.07	0.22	0.34	-	-	16.97	-	-	-	26.60	-	26.60	-	26.60
3. कर्नाटक वि॰वि॰	24.21	1.58	-	-	-	89.00	-	-	-	114.79	-	114.79	-	114.79
4. कुवेम्पू वि॰वि॰	4.74	0.55	1.07	-	-	28.50	-	-	-	10.75	-	10.75	-	10.75
5. मंगलौर वि॰वि॰	17.02	0.55	1.07	-	-	28.50	-	-	-	47.14	-	47.14	-	47.14
6. मैसूर वि॰वि॰	7.63	0.14	0.15	-	-	21.22	-	-	-	29.14	-	29.14	-	29.14
जोड़	77.79	12.40	4.96	-	-	235.69	-	-	-	330.84	0.65	331.49	-	331.49
केरल														
1. कालीकट वि॰वि॰	15.39	1.72	5.00	-	-	19.50	-	-	2.50	44.11	-	44.11	6.00	50.11
2. महात्मा गांधी वि॰वि॰	29.79	5.60	0.48	0.15	-	5.00	-	-	-	41.02	-	41.02	-	41.02
4. केरल वि॰वि॰	9.90	0.65	0.34	-	-	3.75	-	-	-	14.64	-	14.64	-	14.64
5. केरल कृषि वि॰वि॰	-	0.60	-	-	-	-	-	-	-	0.60	-	0.60	-	0.60
जोड़	55.08	8.57	5.82	0.15	-	28.25	-	-	2.50	100.37	-	100.37	6.00	106.37
मध्य प्रदेश														
1. ए.पी. सिंह वि॰वि॰	10.33	2.59	0.54	-	-	16.00	-	-	-	29.46	-	29.46	-	29.46
2. बरकतुल्ला वि॰वि॰	31.72	0.90	0.42	-	-	15.75	-	-	-	48.79	-	48.79	3.80	52.59
3. देवी अहिल्या वि॰वि॰	11.41	13.54	3.67	-	-	41.22	-	-	-	69.84	-	69.84	-	69.84
4. डॉ॰ एच.एस. गौड़ वि॰वि॰	7.70	13.08 *0.92	-	-	-	2.50	-	-	-	23.28 *0.92	-	23.28 *0.92	-	23.28 *0.92
5. गुरु घासी दास वि॰वि॰	7.80	0.45	-	-	-	-	-	-	-	8.25	-	8.25	0.70	8.95
6. इंदिरा कला संगीत वि॰वि॰	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52	-	0.52	-	0.52
7. जीवाजी वि॰वि॰	4.22	0.37	0.24	-	-	37.00	-	-	-	41.83	-	41.83	1.85	43.68
8. रानी दुर्गावती वि॰वि॰	4.03	0.25	-	-	-	63.25	-	-	-	67.53	-	67.53	-	67.53
9. रविशंकर वि॰वि॰	2.08	-	0.46	-	-	29.00	-	-	-	31.54	-	31.54	-	31.54
10. विक्रम वि॰वि॰	4.85	0.94	-	-	-	14.50	-	-	-	20.29	-	20.29	-	20.29
जोड़	84.66	32.12 *0.92	5.33	-	-	219.22	-	-	-	341.33 *0.92	-	341.33 *0.92	6.35	347.68 *0.92

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
महाराष्ट्र														
1. अमरावती वि०वि०	41.68	1.93	0.16	-	-	1.25	-	-	-	45.02	-	45.02	-	45.02
2. बंबई वि०वि०	13.79	2.50	3.39	-	-	111.25	-	-	-	130.93	-	130.93	-	130.93
3. नार्थ महाराष्ट्र वि०वि०	2.25	1.84	-	-	-	-	-	-	-	4.09	-	4.09	-	4.09
4. मराठवाड़ा वि०वि०	61.07	8.21	1.05	0.05	-	107.24	-	-	-	177.62	-	177.62	6.75	184.37
5. नागपुर वि०वि०	69.53	1.99	-	-	-	5.00	-	-	-	76.52	-	76.52	-	76.52
6. पूना वि०वि०	42.75	2.20	5.78	-	-	62.50	-	-	1.50	114.73	-	114.73	-	114.73
7. एस.एन.डी.टी. महिला वि०वि०	2.93	0.19	-	-	-	17.47	-	-	-	20.59	-	20.59	-	20.59
8. शिवाजी वि०वि०	48.27	2.46	-	-	-	6.25	-	-	0.70	57.68	-	57.68	-	57.68
जोड़	282.27	21.32	10.38	0.05	-	310.96	-	-	2.20	627.18	-	627.18	6.75	633.93
मणिपुर														
1. मणिपुर वि०वि०	8.98	0.16	-	-	-	1.25	-	-	-	10.39	-	10.39	-	10.39
जोड़	8.98	0.16	-	-	-	1.25	-	-	-	10.39	-	10.39	-	10.39
उड़ीसा														
1. बरहामपुर वि०वि०	6.14	3.72	-	0.47	-	16.25	-	-	-	26.58	-	26.58	-	26.58
2. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सम्बलपुर वि०वि०	16.09	1.46	2.39	-	-	2.50	-	-	-	22.44	-	22.44	-	22.44
4. श्री जगन्नाथ संस्कृत वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. उत्कल वि०वि०	71.58	13.06	1.02	-	-	110.75	-	0.80	-	197.21	-	197.21	0.60	197.81
जोड़	93.81	18.24	3.41	0.47	-	129.50	-	0.80	-	246.23	-	246.23	0.60	246.83
पंजाब														
1. गुरु नानक देव वि०वि०	32.55	0.53	-	-	-	9.97	-	-	-	43.05	-	43.05	0.30	43.35
2. पंजाब वि०वि०	27.30	3.83	1.43	0.28	-	102.75	-	-	5.82	141.41	-	141.41	-	141.41
3. पंजाब कृषि वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. पंजाबी वि०वि०	22.28	0.07	1.00	-	-	6.52	-	-	3.00	32.87	-	32.87	7.45	40.32
जोड़	82.13	4.43	2.43	0.28	-	119.24	-	-	8.82	217.33	-	217.33	7.75	225.08

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राजस्थान														
1. एम.डी.एस. वि०वि० (अजमेर)	24.30	23.06	0.20	0.50	-	112.75	-	-	5.30	166.11	-	166.11	0.75	166.86
2. जे.एन. व्यास (जोधपुर)	5.00	4.23	0.23	-	-	-	-	-	-	9.46	-	9.46	-	9.46
3. राजस्थान वि०वि०	14.57	5.25	1.73	-	-	62.42	-	-	-	83.97	0.07	84.04	-	84.04
4. राजस्थान कृषि वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. कोटा मुक्त वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय	4.75	-	-	-	-	-	-	-	-	4.75	-	4.75	-	4.75
जोड़	48.62	32.54	2.16	0.50	-	175.17	-	-	5.30	264.29	0.07	264.36	0.75	265.11
तमिलनाडु														
1. अलगप्पा वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. अन्ना वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अन्नामलाई वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. भरतियार वि०वि०	7.98	1.89	0.46	-	-	47.50	-	-	-	57.83	-	57.83	2.50	60.33
5. भारतीदासन वि०वि०	23.45	34.93	0.44	-	-	21.25	-	-	3.00	83.07	0.59	83.66	-	83.66
6. मद्रास वि०वि०	50.59	64.69	0.98	0.20	-	100.75	-	-	-	217.21	-	217.21	-	217.21
7. मदुरै के. वि०वि०	58.57	42.48	0.79	0.15	-	22.25	-	-	4.50	128.74	-	128.74	10.00	138.74
8. मदर टरेसा वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. तमिल वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. एम. सुंदरनर वि०वि०	10.93	4.09	2.95	-	-	12.00	-	-	-	29.97	-	29.97	-	29.97
11. डॉ० एम जी आर मेडीकल वि०वि०	-	-	0.43	-	-	-	-	-	-	0.43	-	0.43	-	0.43
जोड़	151.52	148.08	6.05	0.35	-	203.75	-	-	7.50	517.25	0.59	517.84	12.50	530.34
उत्तर प्रदेश														
1. आगरा वि०वि०	60.03	4.62	3.58	-	-	12.75	-	-	-	80.98	-	80.98	0.25	81.23
2. इलाहाबाद वि०वि०	6.74	5.56	2.14	-	-	15.00	-	-	-	29.44	-	29.44	-	29.44
3. अवध वि०वि०	24.25	4.74	1.65	-	-	5.22	-	-	-	35.86	-	35.86	1.15	37.01
4. बुंदेलखंड वि०वि०	10.74	1.37	0.98	-	-	5.25	-	-	-	18.34	-	18.34	0.25	18.59
5. गोरखपुर वि०वि०	73.94	4.61	1.20	0.07	-	3.75	-	-	7.00	90.57	-	90.57	-	90.57
6. एच.बी.एन. (गढ़वाल) वि०वि०	14.41	5.01	0.26	- *0.10	-	0.50	-	-	-	20.18 *0.10	-	20.18 *0.10	-	20.18 *0.10
7. कानपुर वि०वि०	41.72	6.61	5.41	1.35	-	2.50	-	-	0.30	57.89	-	57.89	6.00	63.89
8. काशी विद्यापीठ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. कुमाऊं वि०वि०	4.18	0.97	0.30	-	-	1.25	-	-	-	6.70	-	6.70	-	6.70
10. लखनऊ वि०वि०	5.89	1.38	2.02	-	-	2.50	-	-	-	11.79	-	11.79	-	11.79

*समायोजन द्वारा

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.	13	14
11. चौ. चरणसिंह (मेरठ) वि०वि०	58.86	11.55	4.41	-	-	1.25	-	-	5.89	81.96	-	81.96	-	81.96
12. रुहेलखंड वि०वि०	20.43	4.87	3.06	-	-	49.95	-	-	-	78.31	-	78.31	5.90	84.21
13. पूर्वांचल वि०वि०	-	5.56	2.94	-	-	23.47	-	-	-	31.97	-	31.97	-	31.97
14. रुड़की वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. सम्पूर्णानंद संस्कृत वि०वि०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	321.19	56.85	27.95	1.42	-	123.39	-	-	13.19	543.99	-	543.99	13.55	557.54
त्रिपुरा														
1. त्रिपुरा वि०वि०	1.36	-	0.24	-	-	-	-	-	-	1.60	-	1.60	-	1.60
जोड़	1.36	-	0.24	-	-	-	-	-	-	1.60	-	1.60	-	1.60
पश्चिम बंगाल														
1. बर्दमान वि०वि०	23.45	1.41	0.34	-	-	6.25	-	-	-	31.45	-	31.45	-	31.45
2. कलकत्ता वि०वि०	85.51	10.10	2.08	-	-	120.15	-	-	-	217.84	10.00	227.84	-	227.84
3. जादवपुर वि०वि०	-	0.12	-	-	-	2.47	-	-	-	2.59	-	2.59	-	2.59
4. कल्याणी वि०वि०	3.47	-	-	-	-	-	-	-	-	3.47	-	3.47	-	3.47
	*0.03									*0.03		*0.03		*0.03
5. नार्थ बंगाल वि०वि०	11.29	0.82	0.30	-	-	10.75	-	-	-	23.16	-	23.16	-	23.16
6. रबींद्र भारती यू.	1.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14	-	1.14	-	1.14
7. विद्यासागर वि०वि०	7.00	1.45	-	-	-	-	-	-	-	8.45	-	8.45	-	8.45
जोड़	131.86	13.90	2.72	-	-	139.62	-	-	-	288.10	10.00	298.10	-	298.10
	*0.03									*0.03		*0.03		*0.03
कुल जोड़	2059.46	505.77	109.05	5.95	-	2359.85	-	0.80	42.51	5083.39	12.18	5095.57	66.20	5161.77
	*5.51	*0.92	*0.01							*6.44		*6.44		*6.44

* समायोजन द्वारा

परिशिष्ट - XII ...जारी

वर्ष 1994-95 के दौरान प्रदत्त योजनागत अनुदानों का सारांश

	वि०वि०/ कालेजों में बुनियादी सुविधाएं	उत्कृष्टता और अनुसंधान का संवर्धन	जनशक्ति विकास	अनौ-पचारिक शिक्षा	अंतर्विश्व-विद्यालय केंद्र	नव परिवर्तन/ इंजीनियरी में पाठ्यक्रम	अंत-र्राष्ट्रीय सहयोग	यू.जी.सी. का प्रबंध	खेल एवं शारी. शिक्षा	इंजी. तथा प्रौद्यो-गिकी				
														(रु० लाख में)
विवरण	क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	कुल जोड़ क से झ	ञ	कुल जोड़ क से ञ	खंड-III	कुल जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
केंद्रीय विश्वविद्यालय	2476.23 1.25*	523.14 4.87*	665.25 0.88*	9.39	17.90	173.12	14.32	-	0.20	3879.55 7.00*	536.19	4415.74 7.00*	19.00	4434.74 7.00*
समविश्वविद्यालय	285.54	80.69	70.11	8.95	83.90	144.46	3.00	2.00	2.22	680.87	362.97 0.26*	1043.84 0.26*	2.05	1045.89 0.26*
राज्य विश्वविद्यालय	2237.32 10.16*	3278.13 5.74*	1431.67 2.04*	219.32 0.38*	256.52	979.58 26.59*	27.64	7.31	-	8437.49 44.91*	1210.93 2.48*	9648.42 47.39*	36.88	9685.30 47.39*
अंतर्विश्वविद्यालय केंद्र	-	-	0.75	-	1729.46	71.82	-	-	-	1802.03	-	1802.03	-	1802.03
क कुल विश्वविद्यालय	4999.09 11.41*	3881.96 10.61*	2168.78 2.92*	237.66 0.38*	2087.78	1368.98 26.59*	44.96	9.31	2.42	14799.94 51.91*	2110.09 2.74*	16910.03 54.65*	57.93	16967.96 54.65*
कालेज														
केंद्रीय विश्वविद्यालय कालेज	154.58 5.48*	36.10	28.06 0.01*	-	-	54.69	-	-	-	273.43 5.49*	-	273.43 5.49*	1.55	274.98 5.49*
राज्य कालेज	1904.88 0.03*	469.67 0.92*	80.99	5.95	-	2305.16	-	0.80	42.51	4809.96 0.95*	12.18	4822.14 0.95*	64.65	4886.79 0.95*
ख कुल कालेज	2059.46 5.51*	505.77 0.92*	109.05 0.01*	5.95	-	2359.85	-	0.80	42.51	5083.39 6.44*	12.18	5095.57 6.44*	66.20	5161.77 6.44*
ग कुल विश्वविद्यालय+ कालेज	7058.55 16.92*	4387.73 11.53*	2276.73 2.93*	243.61 0.38*	2087.78	3728.83 26.59*	44.96	10.11	44.93	19883.39 58.35*	2122.27 2.74*	22005.60 61.09*	124.13	22129.73 61.09*
स्थापना के माध्यम से किया गया भुगतान	-	2.68	93.52	0.06	-	58.60	91.10	76.68	-	322.64	-	322.64	4.00**	326.64
विश्वविद्यालयेतर संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	63.22	-	63.22	-	63.22	-	63.22
कुल जोड़	7058.55 16.92*	4390.41 11.53*	2370.35 2.93*	243.67 0.38*	2087.78	3751.43 26.59*	136.06	150.01	44.93	20269.19 58.35*	2122.37 2.74*	22391.46 61.09*	128.13	22519.59 61.09*

* समायोजन द्वारा
**व्यक्तिक अवार्ड

परिशिष्ट - XIII

वर्ष 1992-93 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों, समविश्वविद्यालय संस्थाओं तथा राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में अनुरक्षण अनुदान (योजनेतर) तथा आवर्ती व्यय (योजनेतर) को दर्शाने वाला विवरण

(क) केंद्रीय विश्वविद्यालय

(रु० लाख में)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	वि०अ०आ० से योजनेतर अनुरक्षण अनुदान	कुल योजनेतर आवर्ती व्यय
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	हैदराबाद	861.03	905.80
	मेघालय		
2.	नार्थ ईस्टर्न हिल	1267.83	1242.69
	पांडिचेरी		
3.	पांडिचेरी	304.43	317.92
	पश्चिम बंगाल		
4.	विश्व भारती	1228.14	1258.23
	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)		
5.	दिल्ली	2891.48	3023.11
6.	जामिया मिलिया इस्लामिया*	970.97	1092.77
7.	जवाहरलाल नेहरू	1602.86	1566.16

** इसमें जनसंचार तथा अनुसंधान केंद्र भी शामिल है ।*

(ख) समविश्वविद्यालय संस्थाएं

(रु० लाख में)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	राज्य सरकार से योजनेतर अनुदान	कुल योजनेतर आवर्ती व्यय
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	–	65.71
	बिहार		
2.	भारतीय खान स्कूल	521.16	571.74
	कर्नाटक		
3.	भारतीय विज्ञान संस्थान	2211.22	2503.86
	महाराष्ट्र		
4.	डकन कालेज - पी.जी. तथा अनुसंधान संस्थान	–	82.48
5.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान	–	91.16
6.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	201.73	216.62
7.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	–	92.23
	राजस्थान		
8.	बनस्थली विद्यापीठ	–	215.38
	तमिलनाडु		
9.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	204.34	213.23
	उत्तर प्रदेश		
10.	दयालबाग शिक्षा संस्थान	76.78	257.98
11.	गुरुकुल कांगड़ी	118.15	116.84
	पश्चिम बंगाल		
12.	बंगाल इंजीनियरी कालेज	–	430.48
	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)		
13.	श्री लालबहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	–	96.79

(ग) राज्य विश्वविद्यालय

(रु० लाख में)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	राज्य सरकार से योजनेतर अनुदान	कुल योजनेतर आवर्ती व्यय
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	श्री पद्मावती महिला	153.84	135.69
	अरुणाचल		
2.	अरुणाचल	–	–
	गोआ		
3.	गोआ	175.55	207.27
	गुजरात		
4.	भावनगर	305.20	390.44
5.	सरदार पटेल	299.96	436.5i
	हरयाणा		
6.	कुरुक्षेत्र	910.54	1529.27
7.	महर्षि दयानंद	467.28	1167.61
	हिमाचल प्रदेश		
8.	हिमाचल प्रदेश	580.44	883.31
	जम्मू और कश्मीर		
9.	जम्मू	215.00 (अ)	603.84
	कर्नाटक		
10.	कर्नाटक	1330.65	1454.85 (अ)
11.	मंगलौर	253.88	363.23 (अ)
12.	नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया	5.00	37.11
	केरल		
13.	केरल	1269.10	1716.52
14.	महात्मा गांधी	366.42	657.36

* *(अ) = अनंतिम*

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

1	2	3	4
मध्य प्रदेश			
15.	देवी अहिल्या	274.01	477.29
16.	एच.एस.गौड़	133.85 (अ)	553.37
17.	गुरु घासीदास	105.33	215.61
18.	रानी दुर्गावती	241.71 (अ)	396.68
19.	विक्रम	181.60 (अ)	426.77
महाराष्ट्र			
20.	अमरावती	107.08	307.25
21.	नार्थ महाराष्ट्र	24.73 (अ)	110.16
22.	एस एन डी टी महिला	290.00 (अ)	832.14
23.	शिवाजी	429.42	1014.89
24.	यशवंतराव चह्वाण महाराष्ट्र मुक्त	354.12 (अ)	203.93
मणिपुर			
25.	मणिपुर	128.00 (अ)	273.30
उड़ीसा			
26.	बरहामपुर	345.80	470.93
27.	सम्बलपुर	356.68	432.16
पंजाब			
28.	गुरु नानक देव	1115.43	1345.03 (अ)
29.	पंजाब	2443.08	3002.66
30.	पंजाबी	1570.05	2025.35
तमिलनाडु			
31.	अलगप्पा	91.66	138.05
32.	भारतीदासन	161.56	404.57
33.	भरतियार	45.58 (अ)	300.44
34.	तमिलनाडु एम जी आर मेडिकल	100.00	152.40
35.	मदुरै कामराज	185.66	791.19
36.	मनोनमनियम सुंदरानर	53.00	216.81

* *(अ) = अनंतिम*

राज्य विश्वविद्यालय ....जारी

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
37.	इलाहाबाद	967.53	1357.33
पश्चिम बंगाल			
38.	जादवपुर	1489.95	1740.41
39.	नार्थ बंगाल	548.65	681.11

टिप्पणी :

1. केंद्रीय विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालय संस्थाओं के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्‌वारा प्रदत्त अनुरक्षण अनुदानों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा सूचित किए गए व्यय को दिखाया गया है । राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में, इस परिशिष्ट में दिए गए आंकड़े विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं ।

2. यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकारों से विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त केवल अनुरक्षण अनुदानों तथा कुल आवर्ती व्यय (योजनेतर) को दिखाया गया है । विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकारों (राज्य विश्वविद्यालयों के लिए) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (केंद्रीय विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालय संस्थाओं के लिए) को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों को नहीं दिखाया गया है ।

3. आवर्ती व्यय (योजनेतर) में ये मदें शामिल हैं – शिक्षण स्टाफ तथा प्रशासनिक स्टाफ का वेतन, रसायनों की खरीद, उपस्करों का अनुरक्षण, परीक्षाएं संचालित करना, भवनों का अनुरक्षण तथा दिन-प्रति-दिन के कार्यकलापों पर होने वाला व्यय ।

NIEPA DC
D09607

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9607
Date........ 05-09-97